लोक-सभा

मंगलवार,
१३ सितम्बर, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

खंड ५, १९५५

(२२ अगस्त से १६ सितम्बर, १९५५)

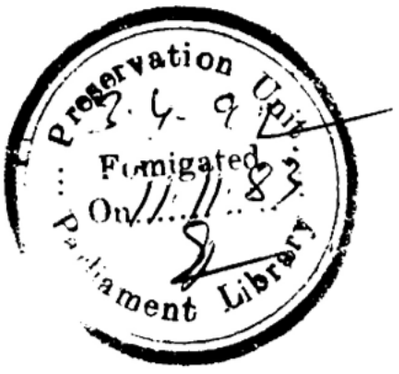

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

(खंड ५, अंक २१ से ४०, दिनांक २२ अगस्त से १६ सितम्बर १९५५

अंक २१––सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–– स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ९७७, ९७८, ९८१, ९८३, ९८४, ९८६, ९८८ से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९९ से १००१, १००३, १००४, १००८ से १०१०, ९८५, १००५ और १००७ . . . १४३९–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १४७८–८३

प्रश्नों क लिखित उत्तर––

ताराकित प्रश्न संख्या ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८७, ९९३, ९९७, ९९८, १००२ और १००६ . . . १४८३–८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१४ से ५३४ . . . १४८९–१५००

अंक २२––मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३,१०१५, १०१७, १०१९ से १०२ , १०२४ से १०२८,१०३०, १०३१, १०३२,१०३४ से १०३६, १०३८, १०४१ से १०४६, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५४ से १०५६ . . १५०१–४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०११, १०१२, १० ४, १०१६, १०१८, १०२२, १०२३, १०२९, १०३३, १०३७, १०३९, १०४०, १०४७, १०५०, १०५१, १०५२ और १०५७ से १०६४ . . . १५४४–५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५६३ . . . १५५७–७२

अंक २३––बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६६, १०६८ से १०७२, १०७४, १०७५, १०७९, १०८१,१०८३, १०८५,१०८९ से १०९१, १०९३ से १०९५, १०९८ से ११००, ११०२ से ११०६ और ११०८ . . १५७३–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १०६७, १०७३, १०७६ से १०७८, १०८०, १०८२, १०८४, १०८६. १०८८, १०९२, १०९६, १०९७, ११०१, ११०७ और ११०९ से ११२३ १६२१-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५८४ और ५८४ और ५८६ से ६०४ १६३९–६८

अंक २४--गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२९, ११३१, ११३२, ११३५, ११३७ से ११३९, ११४१, ११४५, स ११४७, ११४९, ११५०, ११५२ ११५४ से ११५६, ११५८, ११३३, ११२६, ११४८, ११४४, ११५३ और ११५७ ११६९–१७०९ १७०९–११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२७, ११२८, ११३०, ११३४, ११३६, ११४०, ११४२, ११४३ और ११५१ १७११–१६ १७१६–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१८

अंक २५--शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६१, ११६४ ११६७, ११६८, ११७०, ११७१, ११७३, ११७५, ११७८, ११८१, ११८४, ११८५, ११८९, ११९०, ११९४, ११९५ और ११९६ १७२३–१७६३

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ क उत्तर में शुद्धि १७६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६३, १ ६५, ११६६, ११६९, ११७२, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९, ११८०, ११८२, ११८३, ११८६ से ११८८, ११९१ से ११९३, ११९७ से १२०३ . . १७६३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ से ६३६ . . . १७७८–८८

अंक २६--मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०६, १२११, १२१२, १२१४ से १२१६, १२२१, १२२४ से १२२८, १२३१, १२३२, १२३४ से १२३९ और १२४१ १७८९–१८३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२१०, १२१३, १२१७ से १२२०, १२२२, १२२३, १२२६, १२३०. १२३३, १२४० और १२४२ से १२५४ .... १८३२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६६८ . . १८४८–७०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५५, १२५६. १२५८, १२६२ से १२६४, १२६६. १२६८ से १२७०, १२७२, १२७४; से १२७७, १२७९ से १२८३, १२८८ से १२९०, १२९२, १२९३. १२९५ से १२९९. १३०१ और १३०२ १८७१—१९१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२५९ से १२६१, १२१५, १२६७, १२७१ १२७३, १२७८, १२८४ से १२८७, १२९१ से १२९४ और १३०० १९१५–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ६७९ १९२१-२८

अंक २८—गुरुवार १ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३, १३०६, १३०७, १३०९, १३१० से १३१२, १३१५, १३१७, १३१८, १३२०, १३२२ से १३२४, १३२६ से १३३०, १३४१, १३३१, १३३३, १३३५ से १३३७, १३४० और १३४२... १९२९-७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०४, १३०५, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६, १३१९, १३२१, १३२५, १३३४, १३३८, १३३९ और १३४३ से १३४५ . . . . . १९७२–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७९१ १९८०–९०

अंक २९— शुकवार २ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रस्न संख्या, १३४६, से १३५५, १३५९ से १३६२, १३६४, १३२५, १३६७, से १३७४, १३७६, १३७८, से १३८३ और १३८६ १९९१–२०३६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . २०३६–३८

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६ से १३५८, १३६३, १३६६, १३७७, १३८४, १३८५, १३८७, से १३९१ . . २०३८–४५

अता ंकित प्रश्न संख्या ७०२ स ७४० २०४५–७०

अंक ३०—शनिवार ३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९४, १४०३, १३९५ से १३९७, १३९९, १४००, १४०४ से १४०७, १४०९, १४१०, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४१९, १४२३, १४२४, १४२६ से १४२८, १४३०, १३९२ और १४१२ . . . . २०७१-२११२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३, १३९८, १४०१, १४०२. १४०८, १४११, १४१५, १४२१, १४२२, १४२५, १४२९ और १४३१ . . २११२-२११८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ से ७५३ . . २११८-२१२४

अंक ३१—सोमवार ५, सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३, १४३६, १४३७, १४४०, १४४१, १४४३, १४४४, १४४७, १४४८, १४५० से १४५३, १४५५, १४५६, १४५८, १४५९, १४६१, १४६४, १४३८, १४४६ और १४४९ . २१२५-२१५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३९, १४४२, १४४५, १४५४, १४५७, १४६०, १४६२, १४६३ और १४६५ . . २१५७-२१६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५४ से ७८० २१६२-२१७८

अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४६७, १४६९ से १४७१, १४७४ से १४८१' १४८५' १४८६' १४८८ स १४९४, १४९६' १४९८ से १५००' ५०२' १५०३' और १५०५ से १५०७ . . २१७९-२२२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६८, १४७२, १४७३, १४८२, १४८३, १४८४, १४८७, १४९५, १४९७, १५०१, १५०४ और १५०८ से १५१५ २२२७-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८१ से ८१०, ८१२ और ८१३ २२३६-५६

अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५४७, १५२८ से १५३३, १५३६, १५३७ और १५३९ से १५४५ २२५७-२३०४

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५३४, १५३५, १५३८, १५४६ और १५४८ से १५५४	२३०४–१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२३	२३१०–१८
अंक ३४ --गुरुवार, ८ सितम्बर १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५५, १५५६, १५५८ से १५६०, १५६२ से १५६६, १५६८, १५७०, १५७१, १५७३ से १५७६, १५७८ से १५८३, १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१ और १५९२	२३१९–६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५७, १५६१, १५६७, १५६९, १५७२, १५७७, १५८४, १५८६, १५९०, और १५९४, से १५९६ . .	२३६४–७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८४१	२३७२–८४
अंक ३५ – शुक्रवार ९ सितम्बर, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९७, १५९८, १६०० से १६०६, १६१० से १६१३, १६१५, १६२०, १६२२ से १६२५, १६२७ से १६३० १६३२ से १६३९ और १६४१ . .	२३८५–२४३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९९, १६०७ से १६०९, १६१४, १६१६, १६१८, १६१९, १६२१, १६२६, १६३१, १६४० और १६४२ से १६५३	
अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ८७४	२४३२–४७
अंक ३६—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	२४४७–७२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५४ से १६५७, १६६१, १६६३, १६६६, १६६७, १६६९, १६७१, १६७३, १६७५, १६७७ से १६८०, १६८२, ६८४, १६८५, १६६८ और १६५९ . .	२४७२–२५११
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६५, १६७० १६७२, १६७४, १६७६, १६८१, १६८३, और १६८६ से १६८८ .	२५१२–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ .	२५१८–२४

अंक ३७--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ से १७१८ . . . २५२५-४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२, ९०४ और ९०५ . . २५४२-५६

अंक ३८--बुधवार १४ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७१९ से १७८७ . २५५८-२६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ से ९४१ . . २६०२-२२

अंक ३९--गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९२, १७९४ से १८०१, १८०३ से १८११, १८१३ से १८१६, १८१९ से १८२१ और १७८८ . २६२३-७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७८९, १७९३, १८०२, १८१२, १८१७ और १८१८ . . . २६७१-७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ से ९५३ २६७५-८२

अंक ४०--शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२, १८२४ से १८२६, १८२८, १८२९, १८३१, १८३२, १८३४, १८३५, १८३७, १८३८, १८४०, १८४१, १८४३ स १८५३, १८५५ और १८५७ से १८६० . . २६८३-२७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२३, १८२७, १८३०, १८३३, १८३६, १८३९, १८४२, १८५४, १८५६ और १८६१ से १८६७ . . २७२८-३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९७६ और ९७८ से ९९१ २७३७-६०

अनुक्रमणिका . १-१८०

GIPND—302 LSD—N.H.S.—18—4—57.—190.

लोक--सभा

मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सिलाई की मशीनें

*१६८९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिलाई-मशीन उद्योग में कुल कितनी पूंजी (रुपया) लगी हुई है ; और

(ख) इन में से कितने कारखानों के स्वामी भारतीय है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमाकर) : (क) और (ख), देश में पूरी सिलाई की मशीनें बनाने वाली केवल दो संगठित फर्में हैं और दोनों भारतीयों की है। बताया जाता है कि इन दोनों के संयत्र और सामान में लगभग ५२ लाख रुपया लगा हुआ है।

नेपाल में सहायता कार्य

*१६९०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री त्रिभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सहायता के कार्य के लिये नेपाल के महामारी से पीड़ित सप्तारी और मोहेत्तरी जिलों में डाक्टरी दल भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो इन्होंने वहाँ कितने समय काम किया; और

(ग) इन सहायता कार्यों से कितने लोगों को लाभ पहुंचा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग), नेपाल तराई के पूर्वी जिलों में हैज़ा और चेचक के संक्रामक रोगों को रोकने के लिए इस वर्ष अप्रैल के मध्य में चार डाक्टरी दल नेपाल भेजे गये थे। दल ने नेपाल में लगभग दो मासों तक काम किया और लगभग २७०,००० लोगों का इलाज किया। स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों ने और जनता ने सब दलों को पूरा सहयोग दिया और उन के काम भी बहुत सराहना की गई।

भारत-बर्मा व्यापार

*१६९१. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) जनवरी से अप्रैल १९५५ तक की अवधि में बर्मा कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की गई ; और

(ख) इस अवधि में बर्मा से कौन कौन सी वस्तुएं आयात की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख), दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिए परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या १]**

प्रयोग शालाओं का कांच का सामान

*१६९२. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोग शालाओं के कांच के सामान का देशी उत्पादन देश की माँगों को पूरा करने के लिए काफी है; और

(ख) १९५४ में कुल कितने मूल्य का ऐसा सामान आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २०]**

तम्बाकू का निर्यात

*१६९३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र और अन्य स्थानों पर पड़े बहुत से तम्बाकू के लिए अन्य देशों में निर्यात मंडी नहीं मिल रही है ;

(ख) इस सम्बन्ध में कुछ देशों को भेजे गये सद्भावना व्यापार मंडल की कोशिशें किस हद तक सफल हुई हैं; और

(ग) इस समय कितना तम्बाकू जमा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) आंध्र में विशेष कर गुन्टूर ज़िले में अधिकतर फ्लू क्योंड बर्जीनिया तम्बाकू पैदा होता है । पिछले वर्ष का और इस वर्ष शुरू में जो तम्बाकू जमा था, वह लगभग बेच दिया गया है । मालूम हुआ है कि देश में कुछ (नात्) तम्बाकू जमा है और बहुत सा बीडी का तम्बाकू जमा है इन के निर्यात की मांग कभी भी अधिक नहीं रही किन्तु इन्हें नये स्थानों को निर्यात करने के लिए प्रयत्न किये जा रहें हैं ।

(ख) संभवतः माननीय सदस्य उस प्रतिनिधि मंडल की ओर निर्देश कर रहे हैं जिसमें थाइलैन्ड, जापान, चीन, हांग-कांग और सिंगापुर का दौरा किया था । यह चीन और कुछ अन्य देशों में भारतीय तम्बाकू के लिए कुछ माँग पैदा करने में सफल हुआ था और इस ने वस्तुतः २००० टन बर्जीनिया (लग-भग ४५ लाख पौंड) तम्बाकू के विक्रय के लिए एक संविदा भी किया था । इस के फलस्वरूप, भारत सरकार ने ९० लाख पौंड तम्बाकू के लिये एक और संविदा किया था और चीनी सरकार ने लगभग इतना तम्बाकू प्रत्यक्ष रूप से और खरीदा है ।

(ग) ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

*१६९४. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि सिन्दरी उर्वरक कारखाने में इस समय उर्वरकों का कुल स्टाक कितना है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : सिन्दरी उर्वरक कारखाने में ८ सितम्बर, १९५५ को अमोनियम सल्फेट का स्टाक २७३० टन था ।

सामग्री क्रय

*१६९५. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसम यह बताया गया हो कि :

(क) भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक देश से कितने मूल्य का सामान खरीदा गया,

(ख) पिछले तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष, देश में कितने मूल्य का सामान खरीदा गया;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष भारत में विदेश में बना कितने मूल्य का सामान खरीदा गया और देश में बना कितने मूल्य का; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा रक्षा, रेलवे, सिंचाई और विद्युत्, उत्पादन, संचार मंत्रालयों के लिय अलग अलग कितने मूल्य का सामान खरीदा गया ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). चार विवरण, जिनमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखे जाते हैं। **[दखिये परिशिष्ट, ९, अनुबन्ध संख्या २१]**

कोयले का निर्यात

*१६९६. **श्री गिडवानी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अब तक कोयले का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) कितने कोयले का निर्यात हुआ; और

(ग) इस वर्ष अब तक कितने मूल्य का कोयला बाहर भेजा गया ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग). जनवरी से जून १९५५ तक की कालावधि के सम्बन्ध में जानकारी निम्न भांति है :--

उत्पादन	१,९१,८०,००० टन
निर्यात	८,३०,००— टन
बाहर भेजे गये कोयले का मूल्य	२४८ लाख रुपये।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

*१६९७ **श्री बी० के० दास** : क्या **पुर्नवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की संख्या क्या है जो चालू वर्ष में पश्चिमी बंगाल के बाहर विभिन्न स्थानों में, जिन्हें वे छोड़ कर चले गये थे, फिर से बसाय गये; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है कि उनकी शिकायतें दूर की जायें और उन्हें भविष्य में जमीन छोड़ कर इस प्रकार चले जाने से रोका जा सके।

पुर्नवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) ४६१।

(ख) जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, विस्थापित व्यक्तियों की उचित शिकायतें दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सरकार की सूचना में यदि एसी कोई शिकायत आयगी तो उसकी जांच की जायेगी।

सीने की सुइय

*१६९८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत में सीने सूइयां बनाने की प्रस्थापना है।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी हां ।

अन्तराष्ट्रीय गुड़िया प्रदर्शनी

*१६९९. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हुई अन्तराष्ट्रीय गुड़िया प्रदर्शनी के आयोजकों को भारत सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(ख) क्या किन्हीं विदेशी सरकारों से भी कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी !

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

दामोदर घाटी निगम से फालतू संयंत्र और मशीनों का दिया जाना

*१७००. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर बांध की फालतू मशीनें और संयंत्र कोसी परियोजना के लिये भेजे जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

(ग) किस प्रकार की मशीनें भेजने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ग). जी हां । फालतू स्टाक में से कुछ मशीनें, जिनमें मुख्य रूप से 'शीट पाइलिंग' और 'अर्थ मूविंग' मशीनें हैं, कोसी परियोजना के लिये भेजी जा रही हैं ।

(ख) इनकी कीमत पुस्त मूल्य में से अवक्षण घटा कर निश्चित की गई ।

नई इमारतों का निर्माण

*१७०१. **श्रीमती कमलेन्दु मति शाह** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नई दिल्ली के लोदी पार्क में और फीरोजशाह कोटला और हार्डिंग ब्रिज के बीच के प्लोटों में फ्लैट और अखबारों के दफ्तर आदि बनाये जाने की एक योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कब अमल किया जायेगा ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जहां तक फीरोजशाह कोटला और हार्डिंग ब्रिज के बीच की जमीन का सम्बन्ध है, उत्तर है "जी हां" । लोदी पार्क के सम्बन्ध में ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) कुछ प्लौट पहले ही अखबार वालों को पट्टे पर दे दिये गये हैं और उनमें से दो ने तो अपनी इमारतें बनाने का काम शुरू भी कर दिया है ।

परिवार कल्याण सहकारी औद्योगिक संस्था

*१७०२. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार कल्याण सहकारी औद्योगिक संस्था लिमिटेड, दिल्ली को चालू वर्ष में कुल कितना धन दिया गया ;

(ख) यह धन किन कार्यों के लिये दिया गया है ; और

(ग) क्या सरकार को उक्त समिति से कार्य प्रगति के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मिली है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ४४,९१५ रुपये १ आना ।

(ख) कार्यवाहक पूंजी की व्यवस्था करने और एक पिक-अप वान खरीदने के लिये ।

(ग) जी हां ।

बाढ़ नियंत्रण क लिए हलीकोप्टर

*१७०३. **श्री अजित सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बाढ़-पीडित क्षेत्रों के काम के लिये शिल्पिक सहयोग मिशन कार्यक्रम के अधीन कुछ हेलीकोप्टर मंगाना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या यह सच है कि यह निश्चय किया गया था कि इस वर्ष बाढ़ आने के पहले हेलीकोप्टर से सहायता कार्य किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो किन कारणों से इस वर्ष हेलीकोप्टर का प्रयोग नहीं किया जा सका ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) शिल्पिक सहयोग मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण कार्यों के निमित सामान मंगाने के लिये, जिसमें हेलीकोप्टर भी सम्मिलित हैं, भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच करार पर हस्ताक्षर हो गये हैं। इस करार के अधीन दो हेलीकोप्टर मंगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस वर्ष खरीद कर या किराये पर, किसी भी प्रकार, हेलीकोप्टर मंगाना संभव नहीं था ।

भारतीय मानक संस्था

*१७०४. **श्रीमती जयश्री** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय मानक संस्था ने रोयेदार तौलिया जैसे हथकरघे से बने सूती कपड़ों के संबंध में भारतीय मानक के जो १३ प्रारूप नाप और विशषताओं को राय जानने के लिप परिचालित किया था, उस सम्बन्ध में कौन सी राय प्राप्त हुई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या-एस ३३१।५५]**

छोटे पैमाने के उद्योग

*१७०५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में आयात नीति के उदारीकरण के कारण छोटे पैमान के किन-किन उद्योगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ख) छोटे पैमाने के उद्योगों के भविष्य पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए इन उद्योगों के उत्पादों की मांग को बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५५ के उत्तरार्द्ध की आयात नीति में किये गये परिवर्तनों से छोटे पैमाने के उद्योगों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २२]**

भगतसिंह मार्केट

***१७०६. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि नई दिल्ली में "भगत सिंह मार्केट" नामक मार्केट बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानित व्यय क्या होगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोसले) :

(क) जी हाँ,

(ख) १६,४८,०८५ रुपये ।

पांडिचेरी

***१७०७. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी प्रशासन की वर्तमान व्यवस्था में कोई मंत्रणा समिति नियुक्त की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कुल कितने सदस्य है ;

(ग) प्रत्येक परामर्शदाता (काउंसिलर) का मासिक वतन क्या है; और

(घ) उनकी नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (घ). पांडिचेरी राज्य में, हाल में हुये चुनावों के नतीजे पर बनी प्रतिनिधि सभा ने फ्रांसीसी कानून के मातहत, ६ सदस्यों की एक सरकार की परिषद चुनी है। एक काउंसिलर को ५०० रुपये मासिक वेतन औह २०० रुपय मासिक मकान-किराया और आने जाने का भत्ता मिलता है। बहुसंख्यक दल के नेता द्वारा दिये गये ६ सदस्यों के नाम प्रतिनिधि-सभा के वोट द्वारा चुने गए।

सामुदायिक रेडियो-सेट

***१७०८ डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १९ अगस्त, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ के लिए पंजाब, पैप्सू और हिमाचल प्रदेश ने कितने सामुदायिक रडियो-सेटों की मांग की है ; और

(ख) इस काम के लिए चालू वर्ष में इन राज्यों को दी गयी या दी जाने वाली सहायता की कुल राशि क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) पंजाब २,३०० सैट
पैप्सू ७० सैट
हिमाचल प्रदेश ८३१ सैट

(ख) राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में १५० रुपये प्रति सैट की दर से या सैट की कुल लागत का ५० प्रतिशत, दोनों में जो कम होगा, दिया जायेगा।

हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना, जालाहाली

*१७०९ **कर्नल जैदी** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना, जालाहाली के लिये शुरू से सभी मशीनों और मशीनी औजारों की खरीद खुले टेण्डरों मे हुई है; और

(ख) ओवरलिकन्स तथा अन्य व्यापारिक साथों से खरीदी गयी मशीनों का मूल्य अलग-अलग क्या है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द): (क) जी नहीं।

(ख) औवरलिकन्स द्वारा दी गयी स्वयं उनकी बनाई हुई या उनके सम्बन्धित व्यापारिक साथों द्वारा बनाई हुई मशीनों का मल्य ··· ३५ लाख रुपये ।

ओवरलिकन्स द्वारा मंगाई गयी यूरोपीय और अन्य व्यापारिक साथों की मशीनों का मूल्य .... १७० लाख रुपये।

खादी

*१७१० **श्री बी० एन० मालवीय** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में खादी उद्योग के विकास के लिये उपकर निधि का उपयोग करने के लिये कितनी योजनायें अनुमोदित हो चुकी हैं ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): २३ योजनायें हैं जिनका विवरण सभा-पलट पर रख दिया गया है । [**दखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २३**]

रेशम उद्योग

*१७११ **श्री के० के० दास** : क्या उत्पादन मंत्री ७ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में रेशम उद्योग की कितनी विकास योजनायें पूरी हो चुकी हैं और कितनी इस समय क्रियान्वित की जा रही हैं; और

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदानों के परिणामस्वरूप रेशम उद्योग को क्या लाभ हुए ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रड्डी) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २४**]

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदानों से राज्य सरकार को रेशम के कीड़ों की नस्ल में सुधार करने और अधिक अच्छे पोषक साधनों, जस अच्छे कोये और बिजली से उनका पालन करना, के काम में सहायता मिली है ।

लोहा और इस्पात सयंत्रों के लिये शिल्पियों का प्रशिक्षण

*१७१२ **श्री बंसल** : क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि इस समय स्थापित किये जाने वाले तीनों इस्पात संयंत्रों के लिए कितने शिल्पिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी;

(ख) यदि हां, तो भिन्न-भिन्न श्रेणियों के अधीन कितने शिल्पियों की आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या सरकार ने इन शिल्पियों के प्रशिक्षण के लिये कोई योजना तैयार की है ; और

(घ) यदि हां तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (घ). एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २५]**

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

***१७१३. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ के दौरान हिन्दुस्तान शिपयार्ड के कार्यों में भारी हानियों के क्या कारण हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : वर्ष १९५३-५४ में जो घाटा हुआ उसका मुख्य कारण यह है कि क्रमश: ७.२५ लाख रुपये और १.३० लाख रुपये उन ८०० कर्मचारियों को छंटनी लाभ और हड़ताल की अवधि के वेतन के रूप में देना पड़ा जिन्हें १९५३ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के पंचाट के अनुसार अतिरिक्त मान कर छंटनी में निकाला गया था ।

भारतीय व्यापार शिष्टमंडल

***१७१४ श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **वाणिय और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आन्ध्र वाणिज्य मंडल द्वारा भेजे गये भारतीय व्यापार शिष्टमंडल जिसने अप्रेल/मई १९५५ में मलाया, सिंगापुर आदि का भ्रमण किया, के नेता ने सरकार के पास कोई प्रतिवेदन पेश किया है ?

वाणिज्य मंत्री श्री (श्री करमरकर) : शिष्टमंडल आन्ध्र वाणिज्य मंडल द्वारा भेजा गया था अत: सरकार के पास कोई प्रतिवेदन आने की जरूरत नहीं है ।

भिलाई इस्पात कारखाना

***१७१५.** **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री एम० एल० द्विवेदी :
श्री हेडा :
श्री पी० रामस्वामी :
डा० सत्यवादी :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी इस्पात कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) प्राप्त करने के लिए कितने भारतीयों को रूस भेजने का विचार है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारत और सोवियत रूस की सरकारों ने कोई योजना बनाई है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी०टी० कृष्णमाचारी):

(क) और (ख). भिलाई में इस्पात का कारखाना स्थापित करने के लिए भारत और रूस के मध्य हुए करार के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों को प्रशिक्षण देने की योजना सोवियत संस्थाओं को तैयार करनी है । यह योजना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । योजना मिल जाने और उस पर विचार हो जाने के पश्चात ही यह निश्चय किया जायेगा कि कितने प्रशिक्षणार्थी रूस भेजे जायेंगे ।

कुटीर उद्योग

*१७१६. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों के उपकार के लिये सरकार ने कुटीर उद्योग को खोलने की कोई योजना बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है;

(ग) योजना कब कार्यान्वित की जायेगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के उपकार के लिए कुटीर उद्योगों की कई योजनायें अभी हाल में बनाई गयी हैं। कुटीर उद्योगों की अभी तक स्वीकृत योजनाओं का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता हैं। **[देखिये परिशिष्ट ९ अनुबन्ध संख्या २६]** पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के उपकार के लिये जापानी ढंग के कुटीर उद्योगों की योजनायें भी बनाई जा रही हैं।

निर्यात वृद्धि परिषद्

*१७१७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ वर्ष के लिये सूती वस्त्र निर्यात वृद्धि परिषद का कितने का बजट है; और

(ख) परिषद में कुल कितने अफसर हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ६,२८,२८७ रुपये।

(ख) भारत म अफसर .. ४

विदेशी कार्यालयों के लिये अफसर (प्रतिक्षण पा रहे हैं) .. ४

योग ८

छपाई का सफेद कागज

*१७१८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कागज मिलों में बने छपाई के सफेद कागज की औसत लागत और बाजार में उसका फुटकर मूल्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमकर) : विभिन्न कागज मिलों की उत्पादन लागत के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। कलकत्ता और बम्बई के बाजारों में छपाई के सफेद कागज का फुटकर मूल्य प्रति पौण्ड ११ से १२ आने तक हैं।

इस्पात के मूल्य

८८५. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से १९५५ तक (वर्ष-वार) देशी इस्पात के उपभोक्ता मूल्य क्या हैं;

(ख) क्या मूल्य बढ़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस्पात के उपभोक्ता मूल्यों में ऐसी वृद्धि की अनुमति सरकार ने किन विशेष कारणों से दी ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले लोहे और इस्पात की आम श्रेणियों का विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ख) जी हां।

(ग) सामान्यतया सरकार की साधारण नीति को कार्यान्वित करने के लिये लोहा और इस्पात समानीकरण निधि में पर्याप्त धन इकट्ठा करने के लिये।

दावे

८८६. **श्री एम० एल० अग्रवाल:** क्या **पुनर्वास** मंत्री प्रत्येक राज्य के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियम २२ के उपबन्धों के अन्तर्गत पंजीकृत तीसर दल के दावों की संख्या और उनके मूल्य क्या हैं;

(ख) ऐसे दावों की संख्या क्या है जो--

(१) न्यायालय आज्ञप्तियों पर आधारित;

(२) निष्क्रान्त व्यक्ति द्वारा लिखे गये बन्धकों, वचन पत्र तथा अन्य लिखतों पर आधारित; और

(३) (१) और (२) के अतिरिक्त;

(ग) नियमों के अनुसार अभिरक्षक द्वारा भुगतान किये गय दावों की संख्या और उनका मूल्य; और

(घ) क्या सरकार इन दावों को खतम करने के लिये कोई विधान बनाना चाहती है जैसा कि २२ सितम्बर, १९५४ को लोक-सभा में मंत्री जी ने संकेत किया था।

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) से (घ). माननीय सदस्य का ध्यान उनके प्रश्न संख्या १६२० की ओर आकर्षित किया जाता है जिसका उत्तर सभा में २९ मार्च, १९५५ को दिया गया था। स्थिति अभी वैसी ही है।

शोरे का निर्यात

८८७. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के लिये शोरे और अन्य चीजों के निर्यात के लिये अनुज्ञप्ति देने के क्या नियम हैं; और

(ख) क्या उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी) (क) और (ख). सभी आज्ञापित स्थानों जिनमें पाकिस्तान भी सम्मिलित है, को नियंत्रित वस्तुओं के निर्यात के लिये अनुज्ञप्ति देने के नियम भारत सरकार के प्रकाशन "निर्यात व्यापार नियंत्रण नियम-पुस्तिका" ["हैंड बुक आफ एक्सपोर्ट ट्रेड कंट्रौल"] में दिये गये हैं जिसकी प्रतियां संभा-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। सभी आज्ञापित स्थानों, जिनमें पाकिस्तान भी सम्मिलित है, को निर्यात में भेजे जाने वाले शोरे के सम्बन्ध में नीति इस प्रकार है:-

(१)-मिल का शोरा--

आन्ध्र का बना : ३,००० टन के अभ्यांश तक खूब अनुज्ञप्ति दी जाती हैं।

(२) खाडसारी शोरा : खुले आम लाइसेंस संख्या ३ पर ।

(३) अन्य : भेजने की अनुमति नहीं है

निष्कान्त व्यक्तियों की भूमि

८८८. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निष्कान्त व्यक्तियों की बन्धक पर रखी गयी भूमि की मुक्ति के लिये सरकार ने कितनी राशि दी है ; और

(ख) ऐसी भूमि कितने एकड़ है ।

पुनर्वास उपमंत्री श्री जे० के० भोंसले) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रखी जायेगी

सरकारी आवास

८८९. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्वार्टर न मिलने के कारण केन्द्रीय सरकार के बहुत से कर्मचारियों को अपने परिवारों के साथ लोधी कालोनी (बस्ती) की चम्मरियों में रहना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) उनको परिवार के क्वार्टर कब दिये जायेंगे ?

निर्माण आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी हां, ४८५ परिवार इन चम्मरियों में रह रहे हैं ।

(ग) ये जिस श्रेणी के हैं, उस श्रेणी के लोगों के लिये बहुत से क्वार्टर बनाये जा रहे हैं और आशा है कि यदि सब को नहीं तो अधिकांश को लगभग दो वर्षों में उचित स्थान मिल जायेगा ।

कृषि के औजार

८९०. **सरदार इंकलाब सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढ़िया किस्म के कृषि के औज़ार बनाने वाले सार्थों की संख्या भारत में कितनी है ;

(ख) १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ के दौरान उनका कुल उत्पादन क्या है ; और

(ग) क्या इन सभी सार्थों में शुद्ध भारतीय पूंजी लगी है और भारतीय प्रबन्ध है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यह बात स्पस्ट नहीं है कि बढ़िया किस्म के कृषि औजारों से माननीय सदस्य का क्या प्रयोजन है केन्द्रीय सरकार की सूची में ६० स अधिक एस सार्थों के नाम हैं जो ट्रक्टर स चलाये जाने वाले औजारों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के कृषि के तरह २ के औजार बनाते हैं। ट्रेक्टर स चलाय जाने वाले औजारों के बनाने के लिये कोई साथ पंजीकृत नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित सभी सार्थों का प्रति वर्ष १९५१ से १९५४ तक का संयुक्त उत्पादन नीचे दिया जाता है :

वर्ष	उत्पादन (टनों में)
१९५१	१८८७३
१९५२	१८१९५
१९५३	८०४६
१९५४	१२७२८

(ग) बताया जाता ह कि इन सभी सार्थों के स्वामी और प्रबन्धक भारतीय हैं ।

दिल्ली में रूसी राजदूतावास

८९१. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रूसी राजदूतावास के कार्यालय में कितने रूसी व्यक्ति नियुक्त हैं, और;

(ख) इस कार्यालय में नियुक्त रूसी कर्मचारियों को क्या दनिक उन्मुक्ति प्राप्त है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) ६४

राजनयिक पदाधिकारी	२७
कर्मचारी	३७

(ख) राजनयिक उन्मुक्ति केवल राजदूतों और उनके निकट के साथियों को पारस्परिकता के आधार पर दी जाती है राजदूत को पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त होती है और वह व्यवाहर तथा अपराधिक क्षेत्राधिकार से मुक्त होता ह उसे पुलिस और गवाह के रूप में बुलाये जाने की भी मुक्ति होती है उस के निवास स्थान, कार्यालय प्रति लेखों और पत्रों की तलाशी नहीं ली जा सकती ।

संसद सदस्यों के लिए मकान

*८९२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् सदस्यों को दिल्ली में जो निवास स्थान दिये गये हैं उनसे सरकार को गत वर्ष कुल कितना किराया मिला है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान किराये की दर में कमी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और;

(ग) संसद् सदस्यों के पास आजकल कुल कितने बंगले, फ्लेट्स और कमरे (सूटस) हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) किराये की रकम जो कि गत वर्ष १९५४-५५ में प्राप्त हुई ६,२४;०५२-३-० रुपये थी ।

(ख) यह मालूम हुआ है कि संसद् की दोनों भवनों की जो मिली जुली सभा धारा ९ संसद के सदस्यों के वेतन तथा भता एक्ट १९५४ के अनुसरण हुई थी उस में किराये की दर में कुछ कमी करने का सुझाव दिया गया है ।

(ग) बंगले	११४
फ्लैट्स	३५६
होस्टल्स में सूट्स	६१
कुल	५४१

अनुज्ञाप्तियां

८९३. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ मई १९५५ तक की अवधि में आयात और निर्यात की पृथक २ कितनी अनुज्ञप्तियां दी गई थी और उनका कुल कितना मूल्य था;

(ख) १९५५ में अब तक कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ग) आयात और निर्यात अनुज्ञप्तियां के पृथक २ कितने प्रार्थना पत्र निलम्बित पड़े हैं ?

वणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ९ अनुबन्ध संख्या २८]**

हज यात्री

८९४. **श्री इब्राहीम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में इराक और इरान में पृथक पृथक हज और पुण्य स्थानों में कितने भारतीय यात्री गये थे ।

(ख) १९५३-५४ में संख्या क्या थी; और

(ग) कितने यात्री वापिस नहीं आये?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). १९५३-५४ और १९५४-५५ में क्रमश: लगभग ९२५० और ७६५० भारतीय यात्री हज के लिये गये थे । इराक और ईरान जाने वाले यात्रियों की संख्या संबन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है । तथापि, जो यात्री अपने गमन आदि के रक्षा के सम्बन्धी सहायता के लिये, भारतीय वाणिज्य दूतावास, बसराह में आये थे, उनकी संख्या १९५३-५४ और १९५४-५५ में क्रमश: २४०३ और २२१४ थी ।

(ग) १९५३ और १९५४ के अन्दर क्रमश: ७७३ और ६३८ यात्री जो हज के लिये गये थे, यात्रियों के जहाजों में वापिस नहीं आय हैं । उनमें से कुछ लोग अन्यथा आ गये होंगे ।

इराक और ईरान से जो यात्री वापिस नहीं आये हैं, उनकी संख्या सम्बन्धी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

हथकरघे

८९५. **श्री इब्राहीम :**
श्री सिंहासन सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि भारत में राज्यवार (रुई और ऊन के पृथक पृथक) हथ करघों की संख्या क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अभी तक विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं उपलब्ध अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संबद्ध है **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २९]** यह भी कहा जा सकता है कि कानूनगो समिति ने इस आंकड़ों को ठीक नहीं माना है ।

मलाया को निर्यात

८९६. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत से मलाया कौनसी महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ९ अनुबन्ध संख्या ३०]**

हिमालय पर पर्वतारोहण

८९७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रधान मंत्री** ६ अप्रैल १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १९८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) हिमालय पर पर्वतारोहण तथा वैज्ञानिक अभियानों के लिये जिन चार विदेशी दलों ने इस वर्ष अनुमति मांगी थी उन्हें कहां तक सफलता मिली है;

(ख) क्या किसी अन्य विदेशी दल ने भी हिमालय पर पर्वतारोहण किया अथवा वहां कोई वैज्ञानिक अन्वेषण किया; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). सवाल नम्बर १९८० के जवाब म जिन चार

अभियानों का जिक्र था उनमें से कुल लाहौल क्षेत्र में आर० ए० एफ० माउंटेनीयरिंग एसोसियेशन और ीक वुल्डर के जर्मन अभियान खत्म हो चुके हैं।

नौ आदमियों का आर० ए० एफ० पर्वतारोही दल, जो कुलु/लाहौल क्षेत्र में सिर्फ पहाड़ पर चढ़ने की गरज से गया था, वह 'कुल्टी वेसिन' के शिखर पर १८,००० फीट से २१,००० फीट तक की ऊंचाई स सात चोटियों पर और २०,३४० फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में एक और चोटी पर चढ़ा। इस दल ने 'कुल्टी वेसिन' में जिन चोटियों पर चढ़ाई की थी, उनकी ऊंचाई मापने के लिये एक सीमित सर्वे किया था।

जर्मन अभियान दल के नेता श्री रोडोल्फ रौट, कुलु घाटी में तीन चोटियों पर चढ़े और फिर लौट आय। 'पीक वुल्डर' पर चढ़ाई नहीं हुई।

जर्मन वैज्ञानिक अभियान दल उत्तर प्रदेश हिमालय में विज्ञान की खोज के लिये प्राकृतिक इतिहास के नमूने इकट्ठे करने को अभी अभी भारत आया है।

आजकल दो और अभियान दल हिमालय में पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। एक पंजाब हिमालय के लाहौल क्षेत्र में ब्रिटिश अभियान दल, और दूसरा पंजाब हिमालय के स्पिति लाहौल क्षेत्र में कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी अभियान दल।

ये सब अभियानें 'इनर लाइन' के दक्षिण में हैं।

प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय

८९८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) १९५५ में अब तक प्रादेशिक पारपत्र अधिकारी, नई दिल्ली के पास कुल कितने प्रार्थनापत्र आये हैं; और

(ख) इनमें से कितन प्रार्थना पत्रों पर कायवाही हो चुकी है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). इस वर्ष ६ सितम्बर १९५५ तक प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय, नई दिल्ली के पास, १२,९११ प्रार्थनापत्र आये हैं। इनमें स ११,९१३ प्राथनापत्र निपटाए जा चुके हैं, ८९१ प्रार्थनापत्र अपूर्ण थे और उनके बार में प्रार्थियों स या स्थानीय अधिकारि ों स अधिक जानकारी अपक्षित है, और शष १०७ प्रार्थनापत्रों पर विचार किया जा रहा था।

विज्ञापन

८९९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में अब तक भारतीय समाचार पत्रों के अन्दर कितने विज्ञापन प्रकाशित किये गये थे; और

(ख) उन पर कितना धन खर्च किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) रेलवे के अतिरिक्त भारत सरकार के विविध मंत्रालयों की ओर से सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की विज्ञापन शाखा द्वारा भारतीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को १९५५-५६ में ३१ अगस्त १९५५ तक मशहूरी के प्रयोजन से ९५ विज्ञापनों की १६९० निविष्टियां भेजे गये थे।

(ख) इन विज्ञापनों पर लगभग ३,८२,५०० रुपये खर्च आये थे।

विस्थापित हरिजन

९००. **श्री जांगडे** : क्या **पनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाजपत-नगर में विस्थापित हरिजनों को अलग से बसाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ;

(ग) उस बस्ती में कितने हरिजन बसाये गये हैं और उन्हें कितने मकान दिये गये हैं ;

(घ) क्या इन लोगों ने यह शिकायत की है कि उनके मकानों के छप्पर फूट रहे हैं और उनमें से पानी टपकता है ; और

(ङ) उक्त बस्ती में कितने पानी के नल और पाखाने हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ९४० हरिजन और १९१ मकान ।

(घ) हरिजन शरणार्थियों को ये मकान किराया-खरीद-ढंग से बेचे गये थे और उनकी छतों के टपकने की कुछ शिकायतें मकानों के बन चुकने के दो साल बाद आई थीं ।

(ङ) २ साफ पानी के नल, ४ हाथ से चलाये जान वाले नल और दस दस सीट वाले ३ पाखाने हैं ।

कीनिया में भारतीय

९०१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीनिया में इस समय कितनी भारतीय जनसंख्या है ;

(ख) क्या सरकार के पास "माओमाओ" आन्दोलन में अन्तर्ग्रस्त कीनिया के भारतीय निवासियों के सम्बन्ध में कोई जानकारी है, और यदि हां, तो अब तक उनमें से कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) कीनिया की पुलिस और माओ-माओ' द्वारा पृथक पृथक अब तक कितने भारतीय गोली का निशाना बना दिये गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १९४८ की जनगणना के अनुसार ९०,५२८ ।

(ख) जहां तक भारत सरकार को विदित है, कीनिया में भारतीय 'माओ माओ' आन्दोलन में अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं ।

*(ग) सूचना मिली है कि 'माओ माओ' आतंकवादियों द्वारा अब तक छः भारतीय मार दिये गये हैं ।

मडगास्कर में भारतीय

९०२. **श्री एन० आर० मुनिस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय उद्भव के कितने व्यक्ति मडगास्कर द्वीप में रहते हैं;

(ख) क्यों उन्हें वहां कोई नियोग्यता झलनी पड़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो यह किस प्रकार की निर्योग्यता हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १९५४ के आरम्भ में मडगास्कर में भारतीय जन-संख्या ११,६२१ थी । भारतीय समाज के कुछ मुसलमान सदस्यों ने अपने आपको पाकिस्तानी घोषित कर दिया है किन्तु उनकी संख्या ज्ञात नहीं है ।

---

*इस उत्तर को बाद में शुद्ध किया गया । देखिये लोक-सभा वाद विवाद—भाग २, दिनांक २६-९-५५ ।

(ख) तथा (ग). भारतीय लोगों ने अब तक अच्छी प्रगति की है विशेषतया व्यापार में, किन्तु अब शिकायतें आ रही हैं कि पुनः प्रवेश अनुज्ञा, के प्राप्त करने दम्पत्तियों के प्रवेश की अनुज्ञाओं और धन भेजने की सुविधाओं आदि की प्राप्ति में कठिनाइयां बढ़ रही हैं।

भारत-पाक पारपत्र करार

९०४. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ में हुए भारत-पाकिस्तान पारपत्र सम्मेलन के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच क्या करार हुआ है ; और

(ख) क्या उसकी प्रतियां सभा-पटल पर रखी जाएंगी !

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). १९५५ में भारत-पाक पारपत्र और दृष्टांक योजना की चर्चा करने के लिये दो भारत-पाक सम्मेलन हुए थे। पहला सम्मेलन जनवरी-फरवरी १९५३ में नई दिल्ली में हुआ था और दूसरा सम्मेलन सितम्बर-अक्तूबर १९५३ में कलकत्ता में हुआ था।

जनवरी-फरवरी, १९५३ में किये गये निर्णयों समेत संयुक्त विज्ञप्ति की प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस-३३२/५५]** सितम्बर-अक्तबर, १९५३ के सम्मेलन में जो निर्णय किया गया था, वह अभी पाकिस्तान सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। ज्यों ही पाकिस्तान सरकार का अनुमोदन स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी, एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की जायेगी और उसकी प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी आवास स्थान

९०५. **श्री बी० के० दास :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के अन्दर कितने सरकारी कर्मचारियों को, जो नौकरी से निवृत हो चुक थ, तीन महीने से अधिक समय तक साधारण कोटि में सरकारी क्वार्टर रखने की अनुमति दी गयी थी।

(ख) यह अनुमति किन आधारों पर दी गई थी; और

(ग) कितने व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी गयी थी; और क्वार्टरों में रहने वालों को सेवा निवृत्त होने के उपरान्त दो महीनों के अन्दर अपने क्वार्टर खाली करने पड़े थे ?

निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ३८।

(ख) सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा सख्त बीमारी, या कुछ अन्य अस्थायी विशेष कठिनाइयों को दूर करने के लिये अनुमति दी गयी थी। साधारणतः अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि कोई वास्तविक कठिनाई का मामला नहीं होता।

(ग) ऐसे किसी मामले में, जहां क्वार्टर रखने का कोई ठीक उचित कारण था, क्वार्टर रखन की अनुमति से इन्कार नहीं किया गया है।

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

मंगलवार,
१३ सितम्बर, १९५५

खंड ७, १९५५

(५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशम सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक ३१ से ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय–सूची

(खंड ७—अंक ३१ से ४५—५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

	स्तम्भ
अंक ३१—सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५	
संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य	२७१७—१९
गणपूर्ति के बार में प्रथा	२७१९—२२
सभा का कार्य	२७२२—२४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	२७२४—२८३२
खंड ३२३ से ३६७	
अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५—	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तगत अधिसूचना	२८३२
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२८३३-३४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२८३४—२९५६
खण्ड ३२३ से ३६७	२८३४—८२
खण्ड ३६८ से ३८८	२८८२—२९५४
खण्ड २	२९५५-५६
अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय विमान नियमों में संशोधन	२९५७-५८
विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणायें	२९५८
अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम	२९५९
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	२९५९-६०
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०-६१
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२९६१—३०९६
खण्ड ३८९ से ४२३	२९६१—३०५०
खण्ड ४२४ से ५५५	३०५०—९३

	स्तम्भ
अंक ३४—गुरुवार, ८ सितम्बर, १९५५—	
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	३०९७—९९
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त . . .	३०९९—३१९८
नया खण्ड ४६० और खण्ड ५१६ . . .	३०९९—३१११
खण्ड ५५६ से ६०९ .	३१११—६४
खण्ड ६१० से ६४९ .	३१६४—९८
अंक ३५—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५—	
लोक लेखा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	३१९९
सभा का कार्य	३१९९—३२०१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	
खण्डों पर विचार—असमाप्त .	३२०१—७१
खण्ड ६१० से ६४९ . .	३२०१ —५१
खण्ड २७३, ५१६, ५१६ क और ६०९ क . .	३२५१—६८
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३२६८ —७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३२७१—७२
विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३२७२—९२
भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—	
असमाप्त	३२९२ —३३२२
अंक ३६—शनिवार, १० सितम्बर, १९५५	
राज्य सभा से सन्देश	३३२३—२६
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . .	३३२६— ६०
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३३२६—६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	३३६०—३४२८
अंक ३७—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या ३० . .	३४२९–३०
आश्वासनों आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	३४३०–३१
आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन	३४३१

स्तम्भ

प्राक्कलन समिति--

तेरहवां प्रतिवेदन--उपस्थापित . . ३४३१

सभा का कार्य . . . . . ३४३१-३२, ३४३३—३५

१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें--उपस्थापित . ३४३२

समिति के लिये निर्वाचन--

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड . . ३४३२

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक--

पुरःस्थापित ३४३२-३३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक याचिका उपस्थापित . . ३४३३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . ३४३५—५८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ३४५८, ३४७२—७६

खण्ड २ और १ . . . . ३४७६—८३

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३४८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव--असमाप्त ३४८३—३५३२

अंक ३८--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५—

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ३५३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--

नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन (३१-३-५५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये) ३५३४

बिजली चालित मोटर उद्योग और डीज़ल ईंधन इंजक्शन सामान सम्बन्धी उद्योग आदि के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प . ३५३४-३५

उड़ीसा की बाढ़ स्थिति सम्बन्धी विवरण . . ३५३८

कार्य मंत्रणा समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित ३५३५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

उड़ीसा में बाढ़ें . . . ३५३५—३८

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . ३५३९

हीराकुड बांध की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३५३९—४७

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—

असमाप्त . . . ३५४०—३६७९

राज्य-सभा से संदेश ३६७९-८०

अंक ३९—बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम . ३६८१–८२

अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम . . ३६८१–८२

कार्य मंत्रणा समिति—

पचीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ३६८२–८३

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ३६८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त . . . . . ३६८३—३८३४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त ३८३८—५२

अंक ४०—गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

लोक लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३८५३

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३८५३–५४

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . ३८५३—३९६३

पांडिचेरी विधान सभा . . . . . ३९६३—७२

अंक ४१—शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ३९७३—८६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें ३९८६

फल उत्पाद आदेश . . . ३९८६

सभा का कार्य . . . . . ३९८६—८९

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३–५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ३९८९—४०३७

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ४०३९—९२

सैंतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४०३७–३८

मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित . . . ४०३८

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४०३८–३९

अंक ४२—शनिवार, १७ सितम्बर, १९५५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—

संशोधित रूप में स्वीकृत . ४०९३—४२२८

	स्तम्भ
अंक ४३—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४२२९
राज्यसभा से सन्देश	४२२९—३१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—पटल पर रखा गया	४२३१
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित ज़िलों में भुखमरी	४२२१—३४
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त	४२३४—८९
व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	४२८९—४३३८
अंक ४४—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५	
प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य क़रार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव — संशोधित रूप में स्वीकृत	४३३९—९०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त	४३९०—४४३६
अंक ४५—बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
प्राक्कलन समिति —	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—पुरःस्थापित	४४३८
औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४४३८–३९
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—पुरःस्थापित	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४४४०—४५१०
मूलरूप मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ	४५१०—२४
अनुक्रमणिका	१—३०

लोक-सभा

मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(**प्रश्न** नहीं पूछे गये—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री टी० ए० एम० सुब्रहमण्य चेट्टियार (धर्मपुरी) ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ के अधीन, ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये नारियल जटा बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-३२६ । ५५**]

बिजली चालित मोटर उद्योग और डीजल इंधन इंजेक्शन सामान सम्बन्धी उद्योग के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१, की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन इन पत्रों की एक एक प्रति भी सभा पटल पर रखता हूं :

(१) बिजली चालित मोटर उद्योग के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५) ।

(२) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या ११(१)—टी० बी०/५५, दिनांक, ७ सितम्बर, १९५५ ।

(३) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की दो अधिसूचनायें संख्या ११(१)—टी० बी०/५५, दिनांक ७ सितम्बर, १९५५ ।

(४) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६(२) के परन्तुक के अन्तर्गत वह कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण कि उपरिलिखित (१) से (३) तक के प्रलेख निश्चित अवधि के अन्दर क्यों प्रस्तुत नहीं किये जा सके [**पुस्तकालय में रखे गये देखियें संख्या एस—३२४/५५**]

(५) डीजल ईंधन इंजेक्शन सामान सम्बन्धी उद्योग के लिये संरक्षण जारी रखने के

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन १९५५ ।

(६) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या २१(१)–टी० बी०/५५, दिनांक ७ सितम्बर, १९५५ ।

(७) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या २१(१)–टी० बी०/५५, दिनांक, ७ सितम्बर, १९५५ ।

(८) प्रशुल्क अधिनियम, १९५१, की धारा १६(२) के परन्तुक के अन्तर्गत वह कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण कि उपरिलिखित (५) से (७) तक के प्रलेख निश्चित अवधि के अन्दर क्यों प्रस्तुत नहीं किये गये । [पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एस---३२५/५५]

कार्य मंत्रणा समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अविलंम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उड़ीसा में बाढ़ें

श्री बी० सी० दास (दक्षिण गंजम) : नियम २१६ के अधीन में सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले की ओर आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने की कृपा करें :

> "उड़ीसा में बाढ़ें, जिन के कारण जीवन और सम्पत्ति की भारी हानि हुई है ।"

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : जब से उड़ीसा की अत्यधिक बाढ़ों की सूचना मुझे प्राप्त हुई है तब से मेरा वहां की राज्य सरकार से साथ घनिष्ठ सम्पर्क है । उड़ीसा में जहां पिछले दो वर्षों से सूखा था, अकस्मात् सितम्बर के पहले सप्ताह में बाढ़ों से घिर गया । महानदी और ब्राह्मणी नदियों के क्षेत्रों में २९ अगस्त से ४ सितम्बर के बीच असधारण रूप से वर्षा होने के कारण इन नदियों में भारी बाढ़ आ गई । नारज में पानी का स्तर खतरे के चिन्ह से दो फुट ऊपर चढ़ गया । पहले भी इस प्रकार की बाढ़ें आई हैं यद्यपि बहुत ही कम असवसरों पर । महानदी में पानी का स्तर बहुत अधिक ऊंचा होने के कारण कई स्थानों पर पानी बांध से ऊपर हो कर निकल गया और कटक से नीचे की ओर प्रायः समस्त बांध की व्यवस्था बिगड़ गई । क्योंकि ब्राह्मणी और महानदी नदियां कई धाराओं के द्वारा परस्पर मिली हुई हैं, इसलिये डेल्टा का निचला भाग प्रायः पानी की एक चादर बन गया । यद्यपि इन नदियों में जितनी जल्दी पानी चढ़ा था, उतनी ही जल्दी उतर भी गया है, इकट्ठा हो गया पानी, समुद्र के समीप ढ़ाल कम होने के कारण और समुद्र के ज्वार भाटे के प्रभाव के कारण बहुत धीरे धीरे बहता रहा । बहुत से गांव अकेले रह गये और लगभग छः लाख व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ा है । फसलों को और सम्पत्तियों को भारी क्षति पहुंची है । जीवन हानि के समाचार भी प्राप्त हुये हैं । बहुत से ढोर नष्ट हो गये हैं । अभी तक हमें हानि का ठीक विवरण प्राप्त नहीं हुआ है । बाड़ों के हट जाने के उपरांत ही यह विवरण प्राप्त हो सकेगा ।

राज्य सरकार ने अकस्मात इतनी तेजी से आने वाली आकस्मिकता का मुकाबला करने के लिये तुरन्त उपाय किये । उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने विमान द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों

का सर्वेक्षण किया । भारत सरकार ने तुरन्त खाद्य और औषधियां भेजने, जल से घिरे लोगों के लिये विमान से खाद्य और वस्त्र गिराने और सहायता कार्यवाहियों के लिये सैनिकों और नावों को भेजने के सम्बन्ध में राज्य द्वारा मांगी गई सभी प्रकार की सहायता दी ।

गम्भीर स्थिति होने के कारण केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्री ने भी ११ सितम्बर, को विमान द्वारा बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सहायता कार्यवाहियों तथा केन्द्र से अपेक्षित सहायता के बारे में राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की । कलकत्ता में जो फालतू खाद्यान्न पड़ा था, वह उन्होंने वहां भिजवाया । उड़ीसा सरकार को सूचित कर दिया गया है कि वह जितना भी चावल मांगेगी, उसे प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी ।

सहायता कार्यवाहियों में सहायता देने के लिये हीराकुड परियोजना से इंजीनियर भेजे गये थे । खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सहायता की सूचना भेजने के लिये उपयुक्त स्थानों पर बेतार यंत्र लगा दिये गये थे । अनुदान के रूप में सहायता दी जा रही है

इस वर्ष विस्तृत बाढ़ मुख्यतया महानदी और ब्राह्मणी नदियों में प्रायः एक साथ बाढ़ आ जाने के कारण हुई है । सभा को विदित है कि महानदी की बाढ़ों को रोकने के लिये ही हीराकुड बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है । हीराकुड बांध परियोजना काफी तैयार हो चुकी है और जून, १९५६ में प्रारूप स्तर तक बन कर तैयार हो जायेगी । इस समय जिस स्तर तक बांध बना है उस से भी महानदी में आने वाली बाढ़ में लगभग दो लाख कुसैक्स पानी घटाया गया था । यदि यह परियोजना न होती तो डेल्टा के भाग में बहुत अधिक हानि हुई होती । बांध के पूरा हो जाने पर बाढ़ में दो लाख कुसैक्स पानी और कम हो जायेगा, और इस प्रकार की बाढ़ों से कोई भी हानि नहीं हो सकेगी ।

उड़ीसा सरकार ने बहुत सी छोटी बाढ़ सुरक्षण योजनायें हाथ में ले रखी हैं जिनके लिये केन्द्र द्वारा लगभग २० लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है । उड़ीसा सरकार ने इन क्षेत्रों में जहां इस वर्ष पानी टूट गया था, तीन बड़ी बाढ़ रोकने की योजनायें भी तैयार कर ली हैं ।

बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम को द्वितीय योजना में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये शीघ्र ही केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक होने वाली है । ब्राह्मणी और उड़ीसा की अन्य नदियों की बाढ़ों को रोकने के उपायों की योजना बनने के लिये विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक हैं और बाढ़ के हट जाने के तुरन्त पश्चात् यह काम आरम्भ कर दिया जायेगा ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

उड़ीसा की बाढ स्थिति संबंधी विवरण

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : अभी मैं ने जो वक्तव्य दिया है उसके अतिरिक्त मैं उड़ीसा की बाढ़ स्थिति सम्बन्धी एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एस--३२७/५५]**

अध्यक्ष महोदय : विवरण की प्रतियां सब सभासदों को दी जायें ।

श्री नन्दा : हां, श्रीमान् ।

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्ट्रीकरण

डा० एस० एन० सिंह (सारन पूर्व) : २० अगस्त को प्रेस आयोग के प्रतिवेदन पर भाषण देते हुये मैं ने कहा था कि श्री नटेशन द्वारा एक हिन्दी शब्द का प्रयोग किया गया था । तदुपरान्त मुझे मालूम हुआ कि श्री नटेशन ने उस शब्द का प्रयोग नहीं किया था । श्री नटेशन पर उस शब्द के प्रयोग का आरोप लगाने का मुझे खेद है ।

हीरा कुड बाँध की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मुझे सभा को यह सूचना देते हुये खेद होता है कि कल प्रातः काल सवा नौ बजे हीराकुड में एक अत्यन्त दुखद और भयानक दुर्घटना हुई। दुर्घटना सम्बन्धी सूचना हमें हीराकुड के चीफ़ इजीनियर द्वारा टेलीफोन से दी गई । उसके कथनानुसार दाहिनी ओर वाले सीमेंट के बांध पर सामान ले जाने के लिये जिस मचान का उपयोग किया जाता था, उस तंक जाने वाली सीढ़ी टूट कर गिर पड़ी थी । दुर्घटना के २० मिनटों के अन्दर ही घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया और उन्हें तुरन्तडाक्टरी सहायता दी गई । १०४ घायलों में से १३ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । अन्य तेरह व्यक्तियों को जिन्हें हल्की चोटें लगी थीं, इलाज कराने के बाद हस्पताल से छुट्टी दे दी गई । अभी जो ७८ व्यक्ति अस्पताल में पड़े हैं उनमें से पांच या छः व्यक्तियों को सख्त चोटें लगी हैं और आशा की जाती है कि शेष को एक या दो दिन के अन्दर अस्पताल से छुट्टी मिल जायेगी ।

मुख्य इंजीनियर ने दुर्घटना का कारण बनने वाली परिस्थितियों की स्थानीय जांच करने के लिये दो सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियरों की एक प्रविधिक समिति बनाई है । उड़ीसा के मुख्य मंत्री भी जिनसे परामर्श लिया गया था, इस बात से सहमत हैं कि दुर्घटना इतनी बड़ी है कि इसकी जांच करने के लिये एक स्वतन्त्र जांच समिति नियुक्त करना उचित है । हम शीघ्र ही एक ऐसी समिति बनायेंगे । हम परियोजनाओं को अनुदेश जारी कर रहे हैं कि निर्माण कार्य में अधिक सुरक्षा बनाये रखने की दृष्टि से सब कार्यों का परीक्षण करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये । हम भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को होने से रोकने के लिये अन्य सभी आवश्यक उपाय कर रहे हैं ।

मैं ने हीराकुड के मुख्य इंजीनियर के द्वारा मृत व्यक्तियों के परिवारों और घायल मज़दूरों के प्रति अपनी गहरी हार्दिक सहानुभूति प्रकट कर दी हैं । मैंने मुख्य इंजीनियर से घायलों को सब प्रकार की सहायता दिये जाने और प्रत्येक सतप्त परिवार को अनुग्रह सहायता के रूप में तुरन्त २०० रुपये दिये जाने का आदेश दिया है । यह राशि उस राशि से पूर्णतः भिन्न होगी जो उन्हें कर्मकर प्रतिकर अधिनियम के अधीन मिल सकेगी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : क्या जांच न्यायिक होगी या विभागीय जांच होगी ?

श्री नन्दा : यह न्यायिक स्वरूप की जांच होगी ।

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय: अब विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों, १९५५

संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इस विषय के लिए निर्धारित आधा समय लिया जा चुका है इसलिये अब प्रत्येक सदस्य को १५-२० मिनट के अन्दर अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिये सामान्य चर्चा पौने दो बजे तक होगी। तदुपरांत प्रस्तावों पर विस्तार पूर्वक विचार किया जायेगा अब माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव करेंगे।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये :—

नियम संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव संख्या
१	२	३
२	पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव)	५७
	श्री एन० बी० चौधरी (घाटल)	१६६
३७	पंडित ठाकुर दास भार्गव	५८, ५९
	श्री वी० जी० देशपांडे (गुना)	१३४
	श्री एन० बी० चौधरी	१६७, १८२
१७	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट)	१०९
१९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	११०
	पंडित ठाकुर दास भार्गव	६०, ६१
	श्री एम० एल० अग्रवाल	१७१
२१—क से २१—च (नये)	पंडित ठाकुर दास भार्गव	१११
२२	पंडित ठाकुर दास भार्गव	६२, ६३, ६४, ६५, ६६
	श्री वी० जी देशपांडे	१३६, १३७, १३८, १३९
	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	११२
२३	पंडित ठाकुर दास भार्गव	६७, ६८
	श्री एम० एल० अग्रवाल	१७२
२४	पंडित ठाकुर दास भार्गव	६९
२५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	११३, ११४
	पंडित ठाकुर दास भागव	७०
	श्री नंदलाल शर्मा (सीकर)	९८

१	२	३
	श्री एन० बी० चौधरी	१८३
२६	पंडित ठाकुर दास भार्गव	७७
	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	११५
२८	श्री नंदलाल शर्मा	९९
२९	पंडित ठाकुर दास भार्गव	४०, ४१
	श्री वी० जी० देशपांडे	१४०
३२	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	११६
३४	पंडित ठाकुर दास भार्गव	४२
	श्री वी० जी० देशपांडे	१४१
३५	पंडित ठाकुर दास भार्गव	४३
३६	पंडित ठाकुर दास भार्गव	४४, ४५, ४६
	श्री वी० जी० देशपांडे	१४२, १४३, १४४
	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	११७, ११८
३७	पंडित ठाकुर दास भार्गव	४७
	श्री वी० जी० देशपांडे	१४५
	श्री नंदलाल शर्मा	१००
	श्री एम० एल० अग्रवाल	१७३
४०	पंडित ठाकुर दास भार्गव	४८
	श्री वी० जी० देशपांडे	१४६
४१	पंडित ठाकुर दास भार्गव	४९
	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	११९
४२	पंडित ठाकुर दास भार्गव	५०
	श्री मती रेणु चक्रवर्ती	१२०
	श्री नंदलाल शर्मा	१०१
४२—क (नया)	पंडित ठाकुर दास भार्गव	५१, ७२, ७२
	श्री वी० जी० देशपांडे	१४७
४४	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१२१
४५	पंडित ठाकुर दास भार्गव	५२
	श्री नंदलाल शर्मा	१०२
	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१२२
	श्री वी० जी० देशपांडे	१४९
४६	पंडित ठाकुर दास भार्गव	५३
	श्री वी० जी० देशपांडे	१५०
४७	पंडित ठाकुर दास भार्गव	५४
	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१२३
	श्री वी० जी० देशपांडे	१५१

[अध्यक्ष महोदय]

१	२	३
४८	पंडित ठाकुर दास भार्गव	५५, ५६
	श्री वी० जी० देशपांडे	१५२
	श्री नंदलाल शर्मा	१०३
	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१३४
५६	श्री नन्दलाल शर्मा	१०४
५७	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१२५
	पंडित ठाकुर दास भार्गव	७३
५७–क (नया)	पंडित ठाकुर दास भार्गव	७८
६१	पंडित ठाकुर दास भार्गव	७४
	श्री वी० जी० देशपांडे	१५३
	श्री नंदलाल शर्मा	१७४
६२	श्री एन० बी० चौधरी	१६९, १७५
६३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१२८
	श्री जांगड़े (विलासपुर) (रक्षित-अनुसूचित जातियां)	१५४
	श्री नंदलाल शर्मा	१०५
६४	पंडित ठाकुर दास भार्गव	७५, ७६, ७९, ८०
६५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१२९
	श्री नंदलाल शर्मा	१०६
	पंडित ठाकुरदास भार्गव	८१, ८२ ८३, ८४,
	श्री वी० जी० देशपांडे	१५५, १५६, १५७, १५८
६९	पंडित ठाकुर दास भार्गव	८५
७०	पंडित ठाकुर दास भार्गव	१५९, १६०, १६१
७६	श्री नंदलाल शर्मा	१०७
७७	श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर)	२
	पंडित ठाकुर दास भार्गव	८६
८७	श्री एम० एल० अग्रवाल	१७६
८८	श्री एम० एल० अग्रवाल	१७७
९०	श्री एम० एल० अग्रवाल	१७८
९१	श्री एम० एल० अग्रवाल	१७९
९३	श्री एम० एल० अग्रवाल	१८०
९५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१३०
	पंडित ठाकुर दास भार्गव	८७ से ९३
	श्री एन० बी० चौधरी	१६२, १६३
	श्री नंदलाल शर्मा	१०८
९७	श्री वी० जी० देशपांडे	१६४
९८	पंडित ठाकुर दास भार्गव	९४
९९	पंडित ठाकुर दास भार्गव	९५
९९–क और ९९–ख (नये)	पंडित ठाकुर दास भार्गव	१३१
११९	पंडित ठाकुर दास भार्गव	९६
	श्री एच० जी० वैष्णव (अम्बड़)	१७०
	श्री एम० एल० अग्रवाल	१८१
१२०	पंडित ठाकुर दास भार्गव	९७
परिशिष्ट-८	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१३२
	पंडित ठाकुर दास भार्गव	१३३

अध्यक्ष महोदय : यह सब प्रस्ताव सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : श्री मेहरचन्द खन्ना के पुनर्वास मंत्री बनने पर पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को बड़ी आशा हो गई थी किन्तु अब इन नियमों को देखकर, जो सभा पटल पर रखे गये हैं, अत्यन्त निराशा होती है । मैं मंत्री तथा उपमंत्री महोदय से

अपील करता हूं कि वे इन नियमों पर लगे काले धब्बों को धो डालें ।

खण्ड २२ में आवंटित की जाने वाली अधिग्रहीत निष्क्रान्त सम्पत्ति में मकान का अधिकतम मूल्य पांच हज़ार रुपये और दुकान का दो हज़ार रुपये होना चाहिये, यह नियम बनाया गया है । यह अधिकतम सीमा बहुत कम है और इसके स्थान पर दस हजार और पांच हजार होना चाहिये । दस हजार रुपये तक के दावों की संख्या दावों की कुल संख्या का ६० प्रतिशत है, इसलिये ऐसा करने से ६० प्रतिशत दावेदार प्रभावित होंगे और इनपनियमों द्वारा पुनर्वास के नाम पर हम लोगों को पुनः विस्थापित करने लगे हैं ।

दूसरी बात यह है कि सम्पत्तियां नीलाम नहीं की जानी चाहियें, वरना कम आय वाला वर्ग समाप्त हो जायेगा ।

नियम २६ के अनुसार गैर दावेदारों के कब्जे में जो सम्पत्ति है उसे अन्य व्यक्तियों को दिया जाना चाहिये । क्योंकि गैर-दावेदारों की संख्या कुल शरणार्थियों का दो तिहाई है इसलिये उनके लिये भी अवश्य कुछ किया जाना चाहिये । जिन दावों का सत्यापन हो चुका है, उन को प्रतिकर की राशि मिलनी चाहिये । सरकार को यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर आवश्यक धन राशि का उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिये ।

नियम २९ में 'सम्पत्ति हस्तान्तरण को स्वीकार करने से इन्कार' के सम्बन्ध में यह जो नियम है, कि उसके प्रतिकर के भुगतान को निलंबित किया जायेगा, बुरा नियम है । नियम ६१ इस से भी बुरा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कृषि भूमि को लेने से इनकार करता है तो यह उस के प्रतिकर के दावे का भुगतान हुआ समझा जायेगा । यदि किसी व्यक्ति पर किसी मूल्य की सम्पत्ति थोप दी जाये और वह उसे लेने से इन्कार करे, तो उसके दावे को अनिश्चित समय के लिये विलंबित कर देना सर्वथा अवैध एवं असंवैधानिक है । इस प्रकार के नियमों को सर्वथा निकाल दिया जाना चाहिये ।

नियम ४५ में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों या दुकानों के दावेदारों को दावे की पूर्ति के लिये मिलने वाले प्रतिकर के लिये उसे नियम २२ और ३६ के अनुसार आवंटित की जाने वाली सम्पत्ति दे दी जाये । इस का परन्तुक और भी बुरा है, जिस के अधीन उस व्यक्ति के ग्रामीण सम्पत्ति के दावा को घटा कर आधा कर दिया जायेगा । केवल इसी कारण कि उसे नगरीय सम्पत्ति दे दी गई है या सरकारी बस्तियों में स्थान मिला है, उसके दावे को घटा कर आधा कर देना सर्वथा न्याय से रहित और अनुचित बात है । इस प्रकार के मनमाने नियम बनाना उचित नहीं है ।

नियम ४९, ५० और ५६ में यह बुरी बात है कि यदि किसी व्यक्ति का दावा चार पक्का एकड़ भूमि मिलने का है, तो २०,००० रुपये से ऊपर का उस का दावा समाप्त हो जाता है । और उसे केवल ४५० रुपये या ३५० रुपये की दर से भुगतान किया जाता है । यह ठीक नहीं है । पंजाब और पैप्सू में केवल पंजाब के शरणार्थियों को कृषि भूमि आवंटित की गई है और अभी भी वहां ३६ लाख एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध है ।

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि इन साठ लाख कच्चे एकड़ों को २४ लाख पक्का एकड़ बना दिया गया है, इसलिये और अधिक भूमि उपलब्ध नहीं है । और

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

अब बहुत ही कम भूमि ऐसी बची है जिसे आवंटित किया जाना है।

श्री एन० सी० चटर्जी : यह भावना फैली हुई है कि ग्रामीण जनता को नगरीय क्षेत्र में आने के लिये उत्साहित नहीं किया जाना चाहिये। परन्तु वे आ चुके हैं और इस नियम बनाने की शक्ति द्वारा कोई बाधा खड़ी नहीं की जानी चाहिये। नियम ६५ में कई मामलों में ग्रामीण मकानों का प्रतिकर न दिये जाने का उपबन्ध एक अत्यन्त असाधारण उपबन्ध है।

इसलिये यदि कोई व्यक्ति १९,९९९ रुपये की दस सम्पत्तियां पाकिस्तान में छोड़ आया है, और यहां उसे चार एकड़ कृषि योग्य भूमि मिल गई है, तो वह अपने दावे में से और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के विचित्र उपबन्ध को समाप्त कर दिया जाये। यह तो एक प्रकार की गल्ती है।

इसी प्रकार का एक और उपबन्ध भी है। नियम संख्या ९२ में यह दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति के विक्रय को रद्द कराना चाहे तो वह निपटारा आयुक्त अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से इसके सम्बन्ध में आवेदन कर सकता है। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है; इसमें कोई सीमा नहीं रखी गई है। कोई भी व्यक्ति नीलामी के द्वारा अथवा टेण्डर के द्वारा बिकी हुई किसी भी सम्पत्ति को रद्द कराने के लिये आवेदन कर सकता है। इसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि इसके बारे में कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। नहीं तो बड़ी अव्यवस्था सी फैल जायेगी।

फिर नियम संख्या ११९ के अनुसार किसी भी विधिवेता को धारा ९ के अधीन किसी मामले के अतिरिक्त और किसी भी मामले में न्यायालय में आने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। धारा ९ स्वामित्व सम्बन्धी झगड़ों के विषय में है। परन्तु धारा ९ के अधीन मामलों में भी विधि वेत्ता को केवल निम्न न्यायालय में ही आने का अधिकार दिया गया है, उसे उच्च अथवा अपीलीय न्यायालय में आने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। और इसका फल भुगतना पड़ेगा बेचारे सम्बन्धित व्यक्ति को।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसकी ओर ध्यान देंगे। एक और अधिनियम है जिसे निष्क्रांत हित (पृथक्करण) अधिनियम १९५२ कहते हैं। इसके अनुसार यदि कोई निष्क्रांत सम्पत्ति किसी स्थानीय हिन्दू के पास बंधक के रूप में रखी हो तो उसके बंधक हित को दृष्टि में रखते हुये उसे पूरी पूरी कीमत देनी होगी। इससे बहुत अधिक निष्क्रान्त सम्पत्तियों पर प्रभाव पड़ा है। परिणाम स्वरूप विस्थापित व्यक्तियों को क्षति उठानी पड़ती है क्योंकि इससे निष्क्राम्य निधि में कमी हो जाती है। शरणार्थी समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। हमें इसकी ओर पूरा ध्यान देना चाहिये। इसलिये इसके सम्बन्ध में भलीभांति सोच विचार किया जाये।

पंडित दास ठाकुर भार्गव : जनाब स्पीकर साहब, इस मौके पर मुझे जरासी खुशी भी है कि आज मैं अपने शरणार्थी भाइयों की तकालीफ के बारे में और जो बेइन्साफियां उनके साथ हुई हैं उनके बारे में आपके रूबरू तकरीर कर रहा हूं। मुझे खुशी होती अगर सारी केबिनट यहां पर तशरीफ रखती और सारे मिनिस्टर साहिबान यहां मौजूद होते ताकि वे हमारे भाइयों की दर्दभरी कहानी

को सुन सकते। जहां तक मिनिस्टर साहिबान का ताल्लुक है, चूंकि उन के पास बहुत सी शिकायात आती हैं जिनको वे ठीक नहीं कर पाते इसलिये उनका दिल पत्थर का हो जाता है। लेकिन जनाब वाला के रूबरू जो मुझे यह नई कहानी बयान करने का मौका मिला है इसका मैं फायदा उठाना चाहता हूं ।

कुछ अर्सा हुआ कि इस सदन में एक बिल आया था गवर्नमेंट के प्रेमिसेज़ के मुताल्लिक : उस वक्त, जनाब वाला को याद होगा कि यहां पर श्री गाडगिल साहब ने बड़े सोलम प्रामिज़ेज किये थे जो कि हमारे प्रोसीडिंग्स में दर्ज हैं। पिछली दफा जब गवर्नमेंट प्रेमिसेज़ बिल हमारे सामने आया था तो मैंने बड़े जोर के साथ यह शिकायत की थी कि जो प्रामिसेज़ आनरेबिल गाडगिल साहब ने हम से किये थे वे पूरे नहीं किये गये और हमारे शरणार्थी भाई कहते हैं कि वे ' 'गलगल" प्रामिसेज़ थे, वे बेमानी प्रामिसेज़ थे। उसका नतीजा यह है कि आज गवर्नमट के प्रामिसेज़ और एश्योरेंसेज़ की कोई कीमत नहीं रह गई है। मुझे यह अफसोस है कि जो एश्यरेंसेज़ इस हाउस में दिये गये उनको पूरा नहीं किया गया और इस तरह से हाउस की बेइज्जती की गयी। मैं तो इसको पार्लियामेट की कंटेम्प्ट कहूंगा ।

जनाब वाला ने एक एश्योरेंसेज़ कमेटी बनायी है जिसकी रिपोर्ट भी जनाब के रूबरू है। न जाने उस की रिपोर्ट पर क्या होगा। उसकी रिपोर्ट कीं नकल हमारे पास भी भेजी गयी है और उस कमेटी ने यह तै कर दिया है कि दरअस्ल एश्योरेंसेज़ तोड़े गये हैं ।

मैं आज दूसरे एश्योरेंसेज़ को तोड़ने की कहानी जनाब की खिदमत में पेश करने को खड़ा हुआ हूं। मेरे पास वक्त थोड़ा है इसलिये अपनी सारी बात आपके सामने नहीं रख सकता। मैंने अपनी आंखों से वह वक्त देखा है जब कि सारी गवर्नमेंट आफ इंडिया की ताकत एक जगह लगा कर एक करोड़ आदमियों को इधर से उधर ले जाया और लाया गया। मुझे मालूम है कि गगवर्नमेंट आफ इंडिया ने शरणार्थियों के वास्ते ढाई सौ करोड़ रुपया खर्च कर दिया। मैं जनता हूं कि दुनिया की कोई दूसरी गवर्नमेंट इससे ज्यादा अच्छा नक्शा हमारे सामने पेश नहीं कर सकती। मुझे वे दिन याद हैं कि जब सरदार पटेल और नेहरू जी से रोज पांच पांच सौ आदमी मिलते थे। मैंने खुद देखा है कि सरदार पटेल किस तरह से खुद गुड़गांव गये और लोगों के दुख को देखा और उनकी मदद की। मैं कैसे इस मामले में गवर्नमेंट आफ इंडिया की शिकायत कर सकता हूं। चार पांच रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर आये और हर एक ने अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश की। हमारे गोपालस्वामी आयंगर साहब ने मेहरबानी फरमाकर हमारे सारे मामले को देखा और यह तै कर दिया कि उनको कम्पेन्सेशन मिलेगा, नहीं तो बहुत से लोग तो गवर्नमेंट आफ इंडिया में ऐसे थे जो कम्पेन्सेशन देने को तैयार नहीं थे। मोहन लाल सक्सेना साहब के बारे में मैं क्या कहूं। उन्होंने शरणार्थियों के पीछे अपनी मिनिस्ट्री तक में लात मार दी। नियोगी साहब के कारनामे मेरे सामने हैं। मुझे अफसोस है कि श्री अजित प्रसाद जी जैन इस वक्त मेरे सामने ही बैठे हैं। उनके मुह पर उनकी तारीफ करना वाजिब नहीं मालूम देता लेकिन मुझे यह कहने में जरा भी तामूल नहीं है कि उन्होंने इस कम्पेन्सेशन के मामले में अपनी मिनिस्ट्री को जरा बराबर भी परवाह नहीं की और इस्तीफा देने को तैयार हो गये जब कि गवर्नमेंट

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कारपोरेशन नहीं देना जाहती थी। तो इन सब साहिबान न कितनी जाफिशानी से, कितनी मेहनत से और कितनी हमदर्दी से इस काम को किया है इस के लिये मैं उनका निहायत शुक्रगुजार हूं। म कह नहीं सकता कि मेरे दिल में उन लोगों के लिये कितनी इज्जत है जिन्होंने शरणार्थियों की खिदमत की है? आज इस काम को करने के लिये श्री खन्ना जी तशरीफ लाये हैं। उनको मैं क्या मुबारकबाद पेश कर सकता हूं। यह तो वह बदकिस्मत आदमी हैं जिस से लाखों शरणार्थी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाये बैठे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि यह इनकी बदकिस्मती है कि यह उन लोगों के जख्मों की मरहम पट्टी तक नहीं कर सकते हैं। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि खन्ना साहब बेबस हैं। उनके दिल में दर्द है। हम खुद जानते हैं कि हम ग़ैर शरणार्थियों के साथ वे किस तरह मुहब्बत से पेश आते हैं, फिर शरणार्थियों के साथ तो वे और भी मुहब्बत से पेश आते होंगे। मैं भोंसले साहब को जानता हूं। जो काम उनके सुपुर्द किया गया है उसको वह किस कदर मेहनत से कर रहे हैं। दो एक कालिजों का मुझ से ताल्लुक था। उनकी बुनियाद उन्होंन रखवा दी। लेकिन मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि जो सारा काम मिनिस्टर साहिबान ने कियावह आज इन रूल्स की शक्ल में सामने आया है। मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि मैं और भी साहबान को जानता हूं जो कि इस मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। उनमें अच्छे से अच्छे आदमी हैं और अच्छे से अच्छा काम करने वाले हैं। लेकिन आप मुलाहिजा फरमायें कि उन सब की सारी कोशिशों के बावजूद जो नतीजा निकला है वह इतना खराब है, इतना दर्दनाक है, इतना अलमनाक है कि अगर कोई इस सारी कहानी को सुने तो वह आँसू बहाये बगेर नहीं रह सकता। अब मैं चन्द वाकये बयान करता हूं जिनसे मालूम होगा कि किस तरह से जो में कहता हूं वह सही है।

एक मिसाल तो मैं ने गाडगिल साहब की दी कि किस तरह से उनके एश्योरेंसेज को तोड़ा गया और शरणार्थियों के वे मकान गिरा दिये गये जिनको उन्होंने अपने जेवर बेच बेच कर बनाया था, जिनको उनकी औरतों न गारा और मिट्टी खुद उठाकर बनाया था। उन मकानों को इस मिनिस्ट्री ने तो नहीं लेकिन इस मिनिस्ट्री के एक्शन की वजह से दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी आँखों के सामने और हमारे प्रोटेस्ट्स के बावजूद गिरा दिया। पुलिस का एक स्कवेड गया जैसे कि आसमान से कहर नाजिल होता हो और उसने मकान गिरवा दिये। एज़ मकान तो ४०,००० का था उसको भी गिरा दिया गया। अगर वह एश्योरेंस, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिये गये थे, पूरे किये जाते तो लोग कहते कि गवर्नमेंट ने हमारा कितना भला किया है। लेकिन गवर्नमेंट के इस काम से शरणार्थियों के दिल मे गवर्नमेंट की तरफ से घृणा पैदा हो गई है। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने तो अपने एश्योरेंसेज को पूरा किया और न गरीब आदमियों की परवाह की। मैं जानता हूं कि मिनिस्टर साहब यहाँ इन बातों का जवाब दे देंगे और वोट से भी हरा देंगे, लेकिन मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि खुदा के यहाँ इन्साफ है। वह सारे मकान गिराकर बराबर कर दिय गये हैं। पर वह जमीन अभी तक खाली पड़ी है। शायद हाउसिंग मिनिस्ट्री को वह जमीन चाहिये। सरकार को तो वह जमीन प्यारी है क्योंकि

उसकी कीमत ३० या ४० रुपये फी गज है। यह तो यहाँ गवर्नमेंट आफ इंडिया की नाक के नीचे हुआ।

अब मैं आपको कुछ दूर ले जाना चाहता हूं। श्री जैन साहब ने बड़े जोर शोर के साथ अपनी इंटेरिम स्कीम का पमफ्लेट निकाला तो उसमें कहा था कि हमने वैस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को जिनको जमीन दी उनको एक मकान भी दिया है। लेकिन उसमें आपने यह भी फरमाया कि ५ लाख ७५ हजार क्लेम थे उनमें से ४ लाख ७५ हजार को तो आपने जमीन दी, लेकिन एक लाख आदमी ऐसे थे जिनको जमीन एलाट तो की गयी लेकिन उन्होंने उस जमीन पर कब्जा नहीं किया। यह उनकी इंटरिम स्कीम के पैमफ्लेट से पहले सफे पर लिखा हुआ है। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जिन एक लाख आदमियों ने एलाट की हुई जमीन नहीं ली उनके बार में क्या किया गया। सन् ४८ के कानून के मातहत उनको यह जमीन एलाट की गई थी। सन् ५० में एक और कानून बनाया गया जिसमें कहा गया कि अगर किसी आदमी को चार या इससे ज्यादा एकड़ भी जमीन एलाट कर दी गई है और उसका दस हजार या २० हजार का मकान का क्लेम है तो वह नहीं सुना जायेगा। जनाब वाला मैं कहूंगा कि यह उन लोगों के साथ धोखे बाजी और चालाकी की गई है। मुझे सिर्फ खुशी इतनी ही है कि यह काम जान बूझ कर इस नीयत से नहीं किया गया, लेकिन इससे ज्यादा फाड्यूलेंट मैं और कोई चीज नहीं समझ सकता कि सन् ४७ में किसी को कागज पर एक या दो एकड़ जमीन एलाट कर दी और सन् ५० के कानून में लिख दिया कि जिन को हम ने जमीन एलाट कर दी है उन के जायदाद के दस हजार और बीस हजार तक के क्लेम नहीं लिय जायेंगे। यह कहां का इन्साफ है ? लेकिन यह अजित प्रसाद जैन साहब का फेल नहीं था। यह तो मोहन लाल सक्सेना साहब के जमाने में हुआ था। लेकिन अजित प्रसाद साहब ने यह नहीं देखा कि जो जमीन उनको एलाट की गयी है उस पर उन्होंने कब्जा नहीं किया। उन्होंने ऐसे लोगों के क्लेम्स को मंजूर नहीं किया। तो इस तरह से जैन साहब ने चोरी की। अब हमारे खन्ना साहब इन रूल्स के जरिये खुला डाका डालना चाहते हैं। और मैं बतलाता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कहता हूं। सन् ५१ में जब कैम्पों में हमारे शरणार्थी और बिछड़े हुये आदमियों की तादाद कई लाख हो गई और उस वक्त श्री मोहन लाल सक्सेना जिनके कि हाथ में यह काम था, उन्होंने हिसाब लगा कर बतलाया कि कैम्पों में सरकार फी आदमी पर एक रुपया रोज़ खर्च कर रही थी और खर्च का उस समय कोई ठिकाना नहीं था, सरकार बेशुमार सरमाया रेफ्यूजीज पर खर्च कर रही थी और सरकार ने चाहा कि वहाँ कैम्पों से यह लोग जायें और रेफ्यूजीज को कैम्पों से समझा बुझा कर बाहर जाने के लिये कहने के काम पर हम लोगों को भी डप्यूट किया। मैं मिनिस्ट्री का ऐडवाइजर था और हमारे जिम्मे यह काम किया गया कि किसी तरह से इन लोगों को जा कर समझाओं ताकि कैम्पों से वे लोग बाहर चले जॉय और चुनाचें हमन उनको समझाया बुझाया और उनको कहा कि हम तुमको दूसरी जगह जमीन वग़ैरह दें कर बसायेंगे और वे कैम्पों से बाहर आ गये। तक़रीबन दस हजार ऐसे लोगों को भरतपुर और अलबर के जैसे बंजर इलाकों में दस दस एकड़ जमीन लीज के तौर पर दी गई। ग्रो मोर फूड कम्पेन के सिलसिले में वह जमीन उनको दी गई और जमीनें दी जा कर यह कहा गया कि तुम इन जमीनों से अपना गुजारा करो।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अब जनाब खुद गौर फरमा सकते हैं कि वहां यानी पंजाब की ज़मीन में और हमारे हिसार व अलवर, भरतपुर की ज़मीनों में कितना फर्क है। भरपुर, अवलवर की दस एकड़ तो क्या अगर सौ एकड़ भी ज़मीन हो तो भी उससे गुजारा नहीं चलता, किसी काम के लायक जमीन नहीं है और नतीजा यह निकला कि कई हजार लोग वहां से भाग गये। अब आपके कम्पेनसेशन रूल्स में क्या दर्ज है, वह भी जरा मुलाहिजा फरमायें। वह दस एकड़ ज़मीन जिन लोगों को दी गई थी, उनके दस, दस, हजार के और बीस बीस हजार के मकानों को क्लेम्स वैरिफाई नहीं हुये, उनके क्लेम्स एंटरटेन नहीं हुये हैं। उनके कहने के मुताबिक वह दस एकड़ जमीन उनको लीज में दी गई थी, उनको यह तो नहीं कहा गया था कि जमीन तुम्हारी है। वह तो उनको टेम्पोरेरी तौर पर टेनेन्ट ऐट विल तसलीम करके जमीन दी गई थी और रूल्स के मुताबिक उनके हाउसेज के जो क्लेम्स थे वह सारे खारिज हो गये और तभी मैं कहने पर मजबूर हुआ कि खन्ना साहब तो हमारे डाका मार रहे हैं। उस जमीन की क़ीमत वसूल की जा रही है और कहा जा रहा है कि उस ज़मीन के दाम में से मुआविजा वसूल किया जायेगा, ज़मीन अगर तुम अपने पास रखते हो तो तुम उसकी कीमत दो, दस, दस और बीस, बीस हजार के क्लेम्स इन ज़मीनों की वजह से खारिज कर दिये गये और जमीन की कीमत इस बिना पर वसूल की जाने लगी की यह तुमको लीज पर दी गई है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि उनको न तो जमीन ही मिली और न मकान ही मिला, अब तक उनको कुछ भी नहीं मिला। तो यह हालत हमारे मुसीबतज़दा भाइयों को आज बन रही है। कैम्पों से तो उनको यह कह कर उठाया गया कि बाहर तुमको जगह देंगे और तुम को ठिकाने से लगायेंगे लेकिन उनके साथ किया यह गया। जनाब-वाला, मैं जानता हूं कि मैंने बड़े जोर के अल्फाज इस्तेमाल किये हैं और मैं बखूबी उन लफ्जों की वुकअत जानता हूं लेकिन क्या करूं, मैं लाचार हूं, मेरा दिल दुःख में है और मैं ऐसा कहे बगैर नहीं रह सकता। आज अच्छा इतिफाक है जो पंडित नेहरू यहां सदन में मोजूद हैं और इसको हमारी खुशकिस्मती कहना चाहिये जो आज वह यहां पर तशरीफ फरमा हैं। पंडित नेहरू साहब ने सन् ४७, ४८ में एक ब्रेन वेव के ज़रिये लाखों और करोड़ों आदमियों को फायदा पहुंचाया और वह उसूल क्या था। उस वक्त उन्होंने यह उसूल रखा था कि किसी आदमी को जो किसी जगह पर बैठा है उसको उस जगह से तब तक बेदखल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसको कोई आप आलटरनेटिव जगह न दे दें, आलटर-नेटिव जगह देने के बाद ही उसको उसकी पहली जगह से बेदखल किया जा सकेगा। इस उसूल ने लाखों शरणार्थियों को इतना फायदा पहुंचाया है जिसका कि कोई ठिकाना नहीं। जनाब की खिदमत में मैंने अभी तक दो वाकयें अर्ज किये हैं, उन पर आप ग़ौर फरमायें।

अब मैं जनाब की तवज्जह तीसरे वाक़ये की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरे हाथ में एक चिट्ठी है उसमें लिखा है कि श्री जैन साहब गंगानगर सन् ५१ में तशरीफ ले गये थे और उन्होंने गालिबन २८ जनवरी सन् ५१ को एक पबलिक जलसे में पचास ऐजार आदमियों के मजमे के सामने यह ऐलान फरमाया था कि जिन लोगों को गंगानगर में जमीनें मिली हैं, अगर वे लोग

पंजाब की ज़मीनों का एलाटमेंट कैंसिल करवा दें तो यहां पर हम उतनी ज़मीन उनको दे देंगे. ज्यादा ज़मीन होगी तो हम उनसे पैसा वसूल कर लेंगे। चुनाचे लोगों ने मिनिस्टर के एनाउंसमेंट का ऐतबार करके पंजाब में अपनी ज़मीन का एलाटमेंट कैंसिल करवा लिया और एलाटमेंट वहां से कैंसिल हो गया । जो गंगानगर में आये उनके वास्ते यह रूल ६४ बना है जिसमे दर्ज है कि जिन लोगों ने वहां पंजाब का एलाटमेंट नहीं लिया, रेफ्यूज़ कर दिया उनका कोई क्लेम नहीं होगा । २८ फरवरी सन् ५४ को एक चिट्ठी जिसका मैंने हवाला दिया उसकी रू से फिर जैन साहब का हुक्म पहुंचा कि ऐसे आदमियों ने जिन्होंने कि पंजाब का एलाटमेंट कैंसिल करवा दिया है, उनको उतनी ज़मीन दे दी जाय, लेकिन इन रूल्स ने उन सारे ऐलानात पर जो जैन साहब ने किये थे, उन सब पर पानी फेर दिया है ।

मैं जनाब की तवज्जह एक और क़िस्से की तरफ दिलाना चाहता हूं । कितने ही क़िस्से मेरे सामने हैं लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि उन सब को मैं चन्द मिनटों में खत्म नहीं कर सकूंगा ।

जनाबवाला इस हाउस के अन्दर जो सन् ५४ का बिल आया, मैं उस समय सेलेक्ट कमेटी का चेअरमैन था और हम ५१ आदमियों ने गवर्नमेंट की खिदमत में और इस हाउस की खिदमत में अपनी अर्जदाश्त भेजी थी कि यह रकम बहुत थोड़ी है, इसको और अधिक बढ़ाया जाये । जैन साहब ने उस मौके पर जो जवाब दिया उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगजार हूं। बेशक यह सही है कि जैन साहब उस रकम को नहीं बढ़ा सकते थे, चुनाचे उन्होंने कहा कि मैं उस रकम को नहीं बढ़ा सकता । मुझे इसकी शिकायत नहीं है कि उन्होंने हमको ऐसा जवाब दिया । मुझे शिकायत तो इस बात की है कि जैन साहब ने जो फरमाया था और मैं समझता हूं दुरुस्त तौर पर फ़रमाया था और खुले दिल से फ़रमाया था कि मैं एक भी आदमी को किसी मकान से बेदखल नहीं करूंगा, मैं एक आदमी को भी उसके घर से नहीं निकालूंगा । यह उनके अल्फ़ाज़ हैं और मैं चाहता हूं कि इन अल्फ़ाज़ों को जो जैन साहब की स्पीच में दर्ज हैं, उनको सुनहले लफ्ज़ों में लिख कर हर एक शरणार्थी भाई अपने घर के आगे लटका ले और जब कोई आदमी उसे बेदखल करने जाये तो उसके सामने वह तख्ती पेश कर दे कि तुम मुझे क्यों बेदखल करते हो, जैन साहब का तो यह हुक्म है । आज होने यह जा रहा है कि बावजद जैन साहब के उन ऐलानात और वायदों के कि मैं एक भी आदमी को घर से नहीं निकालूंगा, देहली में और दूसरी जगह बहुत काफ़ी तादाद में लोग आपके इन रूल्स की पालिसी से बेदखल हो जायेंगे । यह मिनिस्ट्री वाले हालात से वाक़िफ़ नहीं मालूम होते या भोरे बने हुये हैं, मुझे नहीं मालूम । मुझे तो आज की हालत देख कर शर्म आती है कि लोगों को बेदखल किया जा रहा है जब कि हमको मिनिस्ट्री ने यूज़ किया कि दिल्ली में जो शरणार्थी पटरियों पर बैठे हैं, वह वहां से उठ जायें और उठाते वक्त यह कहा गया कि हम उनके वास्ते कमला मार्केट व दूसरी मार्केट बना रहे हैं, वहां उनको जगह देंगे । हमारे कहने से वे लोग पटरियों पर से उठ गये, वर्ष दो वर्ष तक काम नहीं किया और इस उम्मीद पर बैठे रहे कि कमला मार्केट में हमको दुकानें मिलेंगी और हमारे लिये इस तरह पक्का इन्तज़ाम हो जायेगा । लेकिन आज उनको मायूसी का सामना करना पड़ा है । मैं खन्ना साहब की खिदमत में दस्त बस्ता अर्ज़ करूंगा कि जैन साहब ने जो वायदा किया था और इस हाउस में एलान किया था, आप उस वायदे

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

को पूरा करें, आखिर को आप उनके सक्सेसर हैं। जो अच्छी बातें उस ज़माने में हुई उनकी तो आप ज़िम्मेवारी लेते हैं लेकिन अगर कोई कमी है बुराई है तो उसके लिये भी तो अब आप की ही ज़िम्मेदारी है। आज आप किस मुंह से कहते हैं कि तुम इन माकनों से निकल जाओ जब जैन साहब कह चुके हैं कि मैं एक भी आदमी को उसके मकान से नहीं निकालूंगा। मैं बिना आलटरनेटिव जगह के उसको मकान से नहीं निकालूंगा और मैं ने उनको गेनफुल एम्प्लायमेंट देने का ज़िम्मा लिया हुआ है। मेरी आज खन्ना साहब से गुज़ारिश है कि यह आप पर वाजिब है कि आप अपने सक्सेसर के वायदों को निभायें और उनको तोड़ें नहीं।

अब मैं जनाब की तवज्जह दूसरी जानिब मबजूल करना चाहूंगा। सेलेक्ट कमेटी में इस मामले को लेकर बड़ा तनाज़ा चला था और चुनांचे हमारे जैन साहब ने फरमाया था कि हम इन मकानों से कोई मुनाफ़ा नहीं कमाना चाहते और हम इन मकानों मुनासिब क़ीमतें रक्खेंगे और उन्होंने यहां तक कहा कि इंजीनियर्स जो उनकी क़ीमत आंकेंगे और अगर रेफ्युजीज़ को वह ज्यादा जान पड़ी तो उस पर अपील का हक़ होगा और उन्होंने फ़रमाया था कि मैं मार्केट वैल्यू चार्ज नहीं करूंगा। जैन साहब की वह स्पीच मेरे हाथ में इस समय मौजूद है, मेरे पास वक्त नहीं है कि उसमें से उनके वह फिकरे पढ़ कर सुनाऊं। उन्होंने साफ़ अल्फ़ाज़ में कहा था कि हम मार्केट वैल्यू चार्ज नहीं करेंगे लेकिन आज क्या हो रहा है, जो रूल्स बनाये गये हैं उनके मुताबिक़ मार्केट वैल्यू वसूल की जा रही है। अब मार्केट वैल्यू का क़िस्सा जरा सा बयान कर दूं और मार्केट वैल्यू की बाबत जैन साहब ने खुद फ़रमाया था कि कई जगह मार्केट वैल्यू पहले के मुक़ाबले दुगनी, तीन गुनी और चौगुनी हो गई है और यह जगहें वह हैं जहां पहले कोई जाता नहीं था, वीरान पड़ी थीं, और चोर और डाकुओं का डर बना रहता था, वहां आदमी नहीं दिखाई देता थे, कुत्ते और बिल्ली और दूसरे दरिन्दे घूमते फिरते थे, आज वह जगहें गुलज़ार बनी हुई हैं क्योंकि शरणार्थी लोग वहां जा कर बसे और उनको आबाद किया और उन्होंने अपने मकानात बनाये और नतीजा यह हुआ कि मकानों की क़ीमतें बढ़ गयीं और आज जिस मकान की क़ीमत पहले ४ हज़ार ५ सौ थी, आज उसके ९ हज़ार ९०४ रुपये मांगते हैं। और मुझे कई आदमियों ने कहा कि हमारे दस हज़ार के क्लेम थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उस मकान की क़ीमत में एक हज़ार और फालतू जोड़कर उस मकान की क़ीमत दस हज़ार से ज्यादा कर दी और जिसका नतीजा यह निकला कि हमको वह मकान नहीं मिल सका। मैं इस बात को मानता हूं कि वह रुपया गवर्नमेंट की जेब में आयेगा और हमारे दूसरे भाइयों को कम्पेनसेशन देने के काम में आयेगा लेकिन वह यह क्यों भूल जाते हैं कि जैन साहब ने अपने उस पैम्फलेट के सफ़े तीन पर यह फरमाया है कि यह सब मकानात शरणार्थियों के वास्ते बने थे। यह मकानात लोगों को कम्पनसेशन देने के वास्ते नहीं बने थे लेकिन आज मालूम यह पड़ता है कि रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री कम्पेनसेशन मिनिस्ट्री बन गई है और जो नये रूल्स बनाये गये हैं उनमें जैन साहब के जितने पुराने वायदे और ऐलानात थे, उनको खैरबाद कह दिया गया है क्योंकि मालूम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने जो क़ीमत १८० करोड़ की, फ़िलवाक़या उतनी नहीं है यह फेस सेविंग डिवाइस है और मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि अगर यह रहने वाले तबाह हो गये तो क्या करेंगे। मैं अदब से गवर्नमेंट

की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस में बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिये। जनाबेवाला, जो कीमत बढ़ाई गई है। इस वक्त मेरे हाथ में उसकी एक लिस्ट है। पहले तो ९ रुपये फ़ी गज उस जगह की क़ीमत थी लेकिन अब २५ रुपये फ़ी गज़ कर दी गई है। इस क़ीमत की बात को छोड़ कर मैं दो तीन और चीज़ों की तरफ़ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक रोज़ सुबह के वक्त बैठकर, गालिबन महूरत निकलवा कर इस मिनिस्टरी ने तक़रीबन ६,५०० क्लेम खारिज कर दिये। एक कमेटी बनाई गई जिस का नाम रूरल स्करीनिंग कमेटी था और जिस के अन्दर बगैर उन लोगों को बुलाये सैंकड़ों और हजारों आदमियों के क्लेम खारिज कर दिये गये। मैं अपने साथ दो तीन चिट्ठियां उठा लाया हूं जो कि रिप्रेजेंटेटिव चिट्ठियाँ हैं और मैं समझता हूं कि रोजमर्रा बड़ी तादाद में गवर्नमेंट के पास इस किस्म की चिट्ठियां मौसूल होती होंगी। एक मेरे पास चिट्ठी है एक बेवा की जिस को मार्फत गारू राम वल्द चेला राम की जो जमीन थी उसके क्लेम को खारिज कर दिया गया है क्योंकि दूसरे किसी उसी नाम और पिता के नाम वाले आदमी के पास कोई ज़मीन थी, लेकिन इस बेवा के पास नहीं थी। उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, उसको बुलाया तक नहीं गया और उस बेचारी ने अनेकों जगह अर्जियां दी हैं और कई जगह वह टक्करें मार चुकी है लेकिन किसी दरख्वास्त का जवाब ही उसको नहीं दिया जा रहा है.....

श्री मेहर चन्द खन्ना : कब की बात कर रहे हैं, यह तो बहुत पुरानी बात मालूम पड़ती है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह पुरानी बात नहीं है नई बात है और उनके वास्ते जिन के क्लेम खारिज कर दिये गये हैं उनके लिये यह अब भी बिल्कुल नई है। उस बेवा का नाम तगीबाई है।

मेरे पास एक दूसरी दरख्वास्त है उस शख्स की जिस के पास सिर्फ १/४ आफ ए यूनिट था। उसका १०,५०० का क्लेम था और वह नामंजूर कर दिया गया है। उसका नाम थाना राम वल्द भवानी दास अहूजा है।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि एक शख्स मेरे पास आया जिस का क्लेम था। मैं यहां पर आप को बताना चाहता हूं कि पंजाब के अन्दर जो लोग आबाद थे इस तरफ और उस तरफ उन की जो जायदादें थीं उन में बहुत फ़र्क था। जो लोग यहां से पाकिस्तान गये उनके तो ९० फ़ीसदी कच्चे मकान थे और जो लोग उधर के थे हिन्दु और सिख उन के पास काश्त के सिवा और भी काम थे जैसे तिजारत और दूसरी क़िस्म का लेनदेन। वे लोग ज़मीन भी रखते थे और उनके पक्के और अच्छे मकान भी थे। जिस वक्त आप का यह १९५० का एक्ट बना तो मुझे याद है कि यह १०–१५ मिनट के अन्दर पास हो गया उसका न फर्स्ट रीडिंग हुआ और न सेकिंड और न पूरा सा थर्ड। मैं ने उस में एक एमेंडमेंट पेश किया था जो कि मंजूर कर लिया गया और इसके सिवा कुछ भी नहीं हुआ। इसका क्या रिजल्ट हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट को अख्तियार मिल गया कि वह अर्बन एरिया के लिये मुआवजा दे सके। बाक़ी के जो एरियाज़ रहें उनके बारे में सेंटरल गवर्नमेंट को यह अख्तियार मिला कि वह इंडिकेट करेगी क्लास आफ प्रापर्टी। क्लास आफ प्रापर्टी के क्या माने हैं? इसके माने यह हैं कि फलां जगह क्या कोई मकान है, सराये है, धर्मशाला है, फैक्टरी है या क्या है, खुली ज़मीन है या बंजर। अब आप देखेंगे

(पंडित ठाकुर दास भार्गव)

कि इस का क्या नतीजा निकला। नोटीफिकेशन जारी किये गये जिन में यह लिख दिया गया कि जिन लोगों को चार एकड़ से कम ज़मीन दी गई है उनकी १०,००० की जायदाद खत्म और जिस को चार एकड़ से ज्यादा ज़मीन दी गई है उसकी २०,००० की जायदाद खत्म। मैं अर्ज़ करता हूं कि इस एक्ट के नीचे जो नोटिफिकेशन जारी किये गये हैं वे बिल्कुल अनकांस्टीट्यूशनल हैं, बिल्कुल इल्लीगल हैं। अख्तियार तो दिया गया था क्लास आफ़ प्रापर्टी इंडिकेट करने का न कि क्लास आफ़ मैन या पर्सन्ज इंडिकेट करने का। चार एकड़ और उससे कमीबेश एकड़ की जो बात रखी गई है वह बिल्कुल गलत है। एक शख्स जिस का क्लेम १,३०,००० का था और जिस में से २३,००० का एक क्लेम वेरिफाइड क्लेम था और बाक़ी के १,०७,००० में जो उसकी जायदाद थी उस में से कोई भी २०,००० से ज्यादा की नहीं थी। अब उसकी १,२३,००० की जो जायदाद थी वह सारी की सारी खत्म हो गई और उसका क्लेम सिवाये २३,००० के खारिज कर दिया गया। यह किस तरह से हुआ यह बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं। शायद यह चीज़ नीचे से हुई है। एक ज्वायंट सेक्रेटरी था जिस का नाम श्री कूपर था। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर दिया जिस की कापी मेरे पास मौजूद है। उन्होंने उसमें यह व्याख्या कर दी कि "भवन का अर्थ" है "एक ऐसा भवन जिसकी क़ीमत १०,००० रुपये या २०,००० रुपये से कम, जैसी स्थिति हो" है। अगर दस बिल्डिंग्ज़ हुईं और किसी की भी क़ीमत १०,००० से ऊपर नहीं हुई तो उसकी सारी बिल्डिंगज़ ही खत्म हो गई और उसका कोई भी क्लेम न रहा और उसका सारे का सारा क्लेम खारिज कर दिया गया। यह बात भी कैसे हुई यह भी मैं इस भवन में सुना चका हूं। और मुझे आशा है कि आप को याद भी होगा। जब भारत और पाकिस्तान के बीच फैसला हुआ तो मालूम हो गया कि हमारी जायदाद इतनी है कि अगर सारा पाकिस्तान रहन भी हो जाये तो भी हमारी जायदाद की क़ीमत वह अदा नहीं कर सकता। वहां से जब पाकिस्तान के सेक्रेटरी वापस गये और उन्होंने जिन्ना साहब को बताया कि हम भारत से फैसला कर आये हैं कि जो भी डिफरेंस इन प्राइस होगा वह हम अदा करेंगे तो इस पर जिन्ना साहब ने कहा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम बहुत अर्से तक पाकिस्तान को मार्टगेज कर के भी कई बरस तक कर्ज़ अदा नहीं कर सकोगे। इस पर गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने सोचा कि उतनी चीज़ की ही मांग की जाये जितनी पाकिस्तान दे सके ताकि ऐसा न हो कि कुछ भी न मिले। उस वक्त हमारे मिनिस्टर यह चाहते थे कि जिन के उधर मकान थे उनको यहां पर एक मकान दे दिया जाये। असल में यह बात दुरूस्त भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सरकार अब यह नहीं कहती कि उन मकानों के बजाय दो एकड़ ज़मीन की ४५० रुपये के हिसाब से क़ीमत ले लो। मकानों पर पानी फिर गया। जिस आदमी के दस मकान थे उसके दस के दस मकान खत्म हो गये। यह मैं मानता हूं कि बड़ी मुसीबत नजर आती है। अब आप देखें कि उनको क्या मिला? इस वेलफेयर स्टेट के इन्साफ़ को देखिये कि उन को क्या दिया गया और जब यही हालत है तो वे लोग सरकार को क्या कहेंगे। यह जो सारी बातें हैं मैं समझता हूं कि इन को दूर करने के लिये कुछ रद्दोबदल करने की ज़रूरत है जिस के लिये गवर्नमेंट तय्यार नहीं है। चूंकि मुश्किलात हैं इस लिये मुझे इसके सिवा और कोई चारा नज़र नहीं आता। अगर श्री मेहर चन्द खन्ना साहब ने ईमानदारी के साथ

अपनी रिहेबिलिटेशन मिनिस्टरी के काम को करना है तो मैं उन से ऐज़ मिनिस्टर नहीं बल्कि ऐज़ श्री खन्ना साहब के अपील करूंगा कि वे इन सब चीज़ों को देखें और इन्हें दूर करें । यह जितनी भी बेइन्साफियां हुई हैं इन को दूर करने की ज़रूरत है और जब यह दूर हो गई तो किसी को भी कोई शिकायत करने का मौक़ा नहीं मिलेगा । मैं बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो गलतियां हुई हैं उन का एतराफ़ किया जाये और उन को दुरुस्त करने की कोशिश की जाय ताकि वे लोग जो कि उजड़ कर यहां आ गये हैं उनके साथ इन्साफ़ हो सके । जो जस्ट क्लेम्ज़ हैं उनको मान लिया जाये और मुआवज़ा क़ानून के मुताबिक़ दिया जाये । जिन लोगों के क्लेम किसी वजह से रजिस्टर नहीं किये गये हैं उन को रजिस्टर करें और उनको भी मुआवज़ा कानून के मुताबिक़ दें ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली) : जो थोड़ा सा समय मुझे दिया गया है उसमें मैं जो इस स्कीम में नुक्स हैं और जो बेइंसाफियां हैं उनको बतलाने की कोशिश करूंगी । इस बात में कोई शक़ नहीं है कि कई नुक्स हैं और कितनी ही बेइन्साफियां स्कीम में मौजूद हैं । आज कोई भी रिफ्यूजी यह नहीं समझ रहा है कि उसको पूरा कम्पेन्सेशन मिलेगा उस प्रापर्टी का जो कि वह उधर छोड़ आया है । वे लोग इस चीज़ को बरदाश्त करने को तैयार हैं । लेकिन रिफ्यूजीज़ कम से कम यह उम्मीद ज़रूर करते हैं कि जो भी कानून गवर्नमेंट बनाये उसको इन्साफ़ की बुनियाद पर बनाया जाये और साथ ही एक रिफ्यूजी और दूसरे रिफ्यूजी के बीच अन्तर न किया जाये । एक ही क़ानून के मुताबिक़ और एक ही रेट के मुताबिक़ सब रेफ्यूजीज़ को कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिये । पंजाब के रेफ्यूजीज़ को एक रेट से मिले और दूसरों को दूसरे रेट से मिले, यह बात ठीक नहीं है और न ही यह इन्साफ़ है । वैसा ही इवैकुई प्रापर्टी पूल से रेफ्यूजी और नान रेफ्यूजी को जब कुछ दिया जाता है, तो उन दोनों में भी किसी क़िस्म का फ़र्क़ न होना चाहिये, कोई डिस्क्रिमिनेशन न किया जाये, बल्कि उनको एक ही स्टेंडर्ड से दिया जाये । यही मुनासिब है और यही इन्साफ़ है । अब हमें देखना यह है कि वह इन्साफ़ इस एक्ट और रूल्स में मौजूद है या नहीं ।

अभी मिस्टर चटर्जी ने एक एक्ट के बारे में ज़िक्र किया है । मैं भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने काफी कुछ कह दिया है । उस एक्ट का नाम है इवैकुई इन्ट्रेस्ट्स (सैपेरेशन) एक्ट, १९५१ और उसके द्वारा यह इन्तज़ाम किया गया है कि अगर इवैकुई प्रापर्टी में यहां के किसी नागरिक का हक़ है—वह को-शेयरर है या मारगेजी है या मार्गेजर है—तो वह हक़ गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी । मेरे पास कुछ फिगर्ज़ हैं । अगर वे गलत हों, तो मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वह उनको करेक्ट कर देंगे । नान-इवैकुई १,८७,००० तो क्लेमेंट हैं और उनमें से ३८,००० से ऊपर का एक्चुअल सैपेरेशन हो चुका है । ७,००० का एडजुडिकेशन हो गया है २४,००० को क्स्टोडियन में वैस्ट कर दिया गया है और सिर्फ १४,००० केसेज़ पेंडिंग हैं । इसका मतलब यह है कि क़रीब क़रीब पौने दो लाख केसेज़ में से ज्यादातर का फ़ैसला हो चुका है और थोड़े से बाक़ी हैं । यह फ़ैसला किस क़ानून के मुताबिक़ किया गया है ? जो लोग हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं अर्थात् जो नान-पार्टीशन्ड एरिया के रहने वाले हैं, उनको इवैकुई प्रापर्टी पूल में से क्या मिलेगा ? हमारे पास एक नोट है, जिसमें कहा गया है कि

"अनिष्क्रान्त हिस्सेदार को उचित तरीक़े से बेदखल नहीं किया गया

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

हैं अतएव वह विभाजन या विभाजन के किसी अन्य तरीक़े से अपना पूरा हस्सा पाने का अधिकारी है ।"

उसको फुल शेयर दिया जायेगा और यह भी कहा गया है कि फुल शेयर के साथ ही साथ उसको ५ परसेंट इन्ट्रेस्ट भी दिया जायेगा । अगर कोई साधारण मार्टगेजी या मार्टगेजर अपनी जायदाद वसूल करना चाहता है, तो उसको कोर्ट में जाना पड़ता है और काफी खर्च और बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है । लेकिन नान-इवैकुई जो इवैकुई पार्ट से जायदाद वसूल करना चाहते हैं उन पर हमारी सरकार इतनी मेहरबान है कि उसको कोर्ट में बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा स्टेम्प ड्यूटी नहीं लेते हैं । मिनिस्टर साहब चैक लिख देंगे और उनको मिल जायेगा । हम इस बात से बहुत खुश हैं, लेकिन अगर यही इन्तज़ाम सब के लिये किया जाये, तो बहुत अच्छा है । तभी सब के साथ इन्साफ़ हो सकता है । वह क़ानून पास करने के बाद अब सरकार ने यह क़ानून हमारे सामने रखा है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सरकार ने नहीं, हाउस ने वह क़ानून पास किया है । बख्शी टेकचन्द, लाला अचिन्तराम और हम में से बहुत से लोग सिलेक्ट कमेटी में थे ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : हाउस ने पास किया है, मगर हम तो उसका समर्थन नहीं करते हैं ।

इस क़ानून के मुताबिक़ आप रेफ्यूजीज को क्या देना चाहते हैं ? इस बारे में जो स्केल रखा गया है, वह सफ़ा ४५ पर दिया हुआ है । छोटे से छोटे क्लैमेंट को, जिसको कि ५०० रुपये तक मिलेगा, ६६ परसेंट मिलेगा । उसको भी फुल कम्पेन्सेशन नहीं मिलेगा, हालांकि उसका क्लेम इतना थोड़ा है । जैसे जैसे क्लेम बढ़ता जायगा, वैसे वैसे परसेंटेज घटता जायगा । इस तरह जिस का क्लेम बीस लाख का है, उसको ११ परसेंट मिलेगा । इसके बाद जिन लोगों का क्लेम करोड़ों में होगा—दस बीस करोड़ होगा—उनको सिर्फ ४ चार परसेंट मिलेगा । जो रेफ्यूजी सब कुछ गंवा कर यहां आ गये हैं, उनको तो इवैकुई पूल में से ६६ परसेंट से १ परसेंट तक मिलेगा, लेकिन नान-रेफयूजी को, जिसका कोई नुक्सान नहीं हुआ है, जो यहां बैठा हुआ है, जिसकी जायदाद का एक टुकड़ा सिरफ गया है, बगैर कोर्ट में गये और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह दिये फुल कम्पेन्सेशन मिलेगा और साथ ही ५ परसेंट इन्ट्रेस्ट भी दिया जायेगा । यह इन्साफ नहीं है । मैं यह नहीं कहती कि यह उनको क्यों दिया जा रहा है ? मैं बड़ी खुश हूंगी अगर आप उनको १० परसेंट इन्ट्रैस्ट भी दे दें, बशर्ते कि आप रेफयूजीज को भी उसी हिसाब से दें । मैं तो यही कहना चाहती हूं कि रेफयूजी और नान-रेफयूजी के लिये एक ही क़ानून होना चाहिये । जो कुछ आप किया है, उसको किसी भी तरह इन्साफ़ और सोशलिज्म नहीं कहा जा सकता है ।

इसके बाद मैं सीलिंग फिरूस करने के सवाल पर आती हूं । इस बारे में मेरी पोज़ीशन बहुत आकवर्ड है, क्योंकि मैं तो सोशलिस्ट पार्टी में हूं । मैं तो यह चाहती हूं और मुझे बहुत खुशी होगी अगर यहां पर सोशलिस्टिक पैट्रर्न कायम कर दिया जाये और प्रापर्टी पर भी सीलिंग रख दी जाये । मगर मैं यह कहना चाहती हूं कि आप यह सीलिंग का सिद्धान्त रेफयूजीज़ से मत शुरू कीजिये । सवाल यह है कि अगर यह सीलिंग फिक्स कर दी जाये, तो फादा किस को होगा ? अगर फायदा गरीब रिफयूजी को हो, तो वह बड़ी अच्छी

बात है । आप ने पचास हज़ार का सीलिंग फ़िक्स किया है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कैश नहीं है । लोगों को कैश से कम्पन्सेट नहीं किया जायेगा, प्रापर्टी से किया जायगा और वे प्रापर्टीज़ आक्शन होंगी—नीलाम होंगी । नीलाम में एक रेफ्यूजी—चाहे वह दस करोड़ की जायदाद छोड़ कर आया हो—पचास हज़ार तक की ही बोली देगा । लेकिन एक नान-रेफ्यूजी—कोई मारवाड़ी, जिसके पास पहले ही दस बीस मकान हैं और करोड़ों रुपये की जायदाद है—पचास हज़ार से दो तीन हज़ार बढ़ा कर उस प्रापर्टी को ले लेगा, फिर चाहे वह उस मकान में रहे या न रहे, हालांकि वह रेफ्यूजी सिर्फ अपनी रिहायश के लिये ही मकान चाहेगा । इस तरह हम देखते हैं कि रेफ्यूजी को इस से कोई फायदा नहीं होगा । उसको तो मकान से निकाल दिया जायगा और एक नान-रेफ्यूजी अमीर आदमी को उस में रख दिया जायगा, फिर चाहे वह उस मकान में रहे या उससे मुनाफ़ा करे । मेरे पास पंजाब से एक चिट्ठी आई है, जिस में कहा गया है कि जिस मकान में हम रहते थे, वह आक्शन हुआ, हम लोग चार हज़ार नहीं दे सके और दूसरे लोग ले गये । मैं कहना चाहती हूं कि यह सोशलिज्म नहीं है, इन्साफ़ नहीं है । यह जो चीप स्लोगनाइजिंग है । सोशलिज्म तो वह होगा जिसमें रेफ्यूजी—नान-रेफ्यूजी, छोटे दावे वाला, और बड़े दावे वाला सब के साथ एक जैसा व्यवहार किया जायेगा । यह तो लाप-साइडिड, अन-बैलेस्ड सोशलिज्म है ।

जो कम्पन्सेशन स्कीम हमारे सामने बन कर आई है, उस पर गवर्नमेंट के लोगों ने बड़ा परिश्रम किया है और नान-गवर्नमेंटल लोगों ने भी बड़ा परिश्रम किया है, लेकिन इसमें बे-इन्साफी की बू आ रही है । इसमें सैकड़ों नुक्स हैं । इस बारे में कुछ ज्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्री ठाकुर दास भार्गव बहुत अच्छी तरह समझा चुके है । आखिर इसकी वजह क्या है ? वजह यह है कि रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री के पास काफी रक़म नहीं है, जिससे कि वह कम्पेन्सेशन स्कीम को अच्छी तरह से चला सके । जब तक कैश न होगा, तब तक कम्पेन्सेशन स्कीम चल नहीं सकती है । और फिर कैश कैसे आये ? कैश के वास्ते रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री और हमारी सरकार ने एक बहुत बढ़िया तरक़ीब निकाली है । कैश को रेफ्यूजीज़ के माथे रख दिया गया है—एक रेफ्यूजी की जेब से रुपया ले कर दूसरे रेफ्यूजी को कम्पेन्सेट किया जा रहा है । इसी को कहते हैं एक से लिया और दूसरे को दिया, यह कोई मुनासिब बात नहीं है ।

आज यह रूल बनाया गया है कि दो हज़ार रुपये वाली दुकानें और पांच हजार वाले मकान नीलाम होंगे और जो लोग उनमें रह रहे हैं, उनको नहीं दिये जायेंगे । यह इन्साफ़ नहीं है । इन्साफ़ यह है कि जो लोग उन मकानों की आकुपेशन में हैं, उनको लांग-लीज़ टर्म पर और ईज़ी इन्स्टालमेंट्स पर वे मकान दे दिये जायें, ताकि वे लोग आहिस्ता आहिस्ता वह रुपया अदा कर सकें । लेकिन मुश्किल यह है कि अगर उनको आक्शन नहीं किया जायेगा, तो सरकार के पास पैसा कहां से आयगा ? सरकार ने लोन और मकानों की रिकवरी और कम्पेन्सेशन स्कीम को रिलेट कर दिया है । जब तक ऐसा रहेगा, तब तक कम्पेन्सेशन स्कीम नहीं चल सकती । मिनिस्ट्री के सामने तो एक बहुत बड़ा डाइलेमा है—एक बड़ी समस्या है । अगर हम मान जायें कि मकानों को नीलाम नहीं करेंगे, तो कम्पेन्सेशन कहां से देंगे, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं है । अगर इन्स्टालमेंट्स में रुपया लें, तो सारी स्कीम पिछड़ जायगी । इस स्कीम को जल्दी खत्म करने के लिये सरकार के ऊपर बहुत प्रैशर डाला जा रहा है ।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

सीधी सी बात यह है कि जब तक कम्पेन्सेशन पूल में और रक़म न डाली जायगी, तब तक यह स्कीम चल नहीं सकती है । इस वक्त तो सरकार लोगों से मजाक कर रही है, एक फ़ार्स खड़ा किये हुये है, एक ड्रामा खेल रही है । अगर सरकार सचमुच कम्पेन्सेशन देना चाहती है, तो वह पूल में और पैसा डाले । इधर उधर से खींच तान कर कम्पेन्सेशन के रूल्ज़ बना दिये गए हैं, जिनसे रेफ्यूजीज़ को कोई फायदा नहीं होगा ।

अब यह जो फाइनेन्शल पोजीशन है वह क्या है ? हमारे मिनिस्टर साहब के पास वह कौन सी रकम है जिससे कि वह कम्पेन्सेशन देने जा रहे हैं ? मैं माफी चाहती हूं कि मुझे कुछ बातें दुहरानी पड़ रही हैं । कहा जाता है कि हमारे रिफ्यूजीज़ का कुल क्लेम ५०० करोड़ का है । हमारे पास देने को क्या है ? हमारे पास देने को १८५ करोड़ है । जो लोग ५०० करोड़ की जायदाद छोड़ कर आये हैं आप उनको १८५ करोड़ देने को तैयार हैं । यह १८५ करोड़ कैसे बना ? इस में से १०० करोड़ की तो इवक्वी प्रापर्टी है, ५० करोड़ वह है जो गवर्नमेंट ने मकान वग़ैरह बनाने में लगाया है और ३५ करोड़ वह है जो कि गवर्नमेंट ने रिफ्यूजीज़ को कर्जा दिया है । तो यह जो १८५ करोड़ रुपया बताया जाता है यह कोई समूची रकम गवर्नमेंट के पास नहीं है । यह तो एक नोशनल और ख्वाबी रकम है । जैसा मैं ने शुरू में कहा इसमें तो नान इवेक्वी इंटरेस्ट को अलग कर दिया जाये । कुछ रकम जो मुसलमान वापस आयेंगे उनको जायगी । इसके अलावा जो प्रापर्टी रिमोट जगहों में है उसकी आज वेल्यू बहुत कम रह गयी है । मान लीजिये कि जूनागढ़ में किसी गांव में किसी नवाब ने अपने लिए एक बड़ा मकान बनवाया । आज नहीं कहा जा सकता कि उसकी कीमत क्या होगी । तो इस तरह से जो १०० करोड़ इवेक्वी प्रापर्टी का रुपया बतलाया जाता है वह १०० करोड़ है नहीं । मुमकिन है कि उसे ७५ करोड़ मिले या ६० करोड़ मिले । मैं तो मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहती हूं कि यह तो नोशनल एमाउंट है । सही एमाउंट क्या होगा, ५० करोड़ या ४० करोड़ ? अब जो ८५ करोड़ बाकी रहा उस में ५० करोड़ तो गवर्नमेंट ने कालोनीज में लगाया है और ३५ करोड़ लोन की शक्ल में दिया गया है । गवर्नमेंट कालोनीज़ में जब मकान बनाये गये थे तो यह किसी ने नहीं सोचा था कि इनको कम्पेन्सेशन स्कीम में शामिल किया जायेगा । वह मकान तो रिहैबिलिटेशन करने के लिये बनाये गये थे । उन में किस को बिठाया गया है ? उन में क्लेमेंट, नान क्लेमेंट एर एक को बिठाया गया है । आज स्थिति यह है कि इन मकानों में दो तिहाई नान क्लेमेंट बैठे हुए हैं और बाकी ऐसे लोग हैं जिनके क्लेम इतने कम हैं कि मकानों की कीमत तक नहीं पहुंच सकेंगे । तो यह जो ५० करोड़ की रकम है इसको गवर्नमेंट केसे कम्पेन्सेशन के लिए ले सकेगी । कुछ समय हुआ जब एक मीटिंग हुई थी उसमें मिनिस्टर साहब ने हम को बतलाया था कि बहुत सी कालोनीज की कीमत कम हो गयी है ।

श्री गिडवानी : बहुत से मकानों में तो कोई रहता ही नहीं है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : ऐसी जंगली जगहों में कालोनीज बनायी गयी हैं जहां पर कोई काम नहीं है । हम नहीं समझते

कि गवर्नमेंट क्या होशियारी कर रही है। राजेन्द्र नगर में हल्ला मचा हुआ है कि राजेन्द्र नगर को खाली किया जायेगा। निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय को वह जगह मिलेगी। जाने वह मिनिस्ट्री उस जगह की क्या वैल्यू करेगी। असल में यह मालूम नहीं है कि इन कालोनीज़ की क्या कीमत होगी। न मालूम इस में ५० करोड़ वसूल होगा या कितना वसूल होगा।

अब इस के बाद आप लोन पर आइये। यह जो ३५ करोड़ का लोन लोगों को दिया गया था वह कम्पेन्सेशन स्कीम के अन्दर नहीं दिया गया था। यह कर्ज तो डिस्प्लेस्ड लोगों को मदद देने के लिए दिया गया था क्योंकि इन लोगों को रोजगार देने का जिम्मा गवर्नमेंट का था। यह कर्जा क्लेमेंट्स को भी दिया गया था और नान क्लेमेंट्स को भी दिया गया था। मुझे डर है कि इस लोन में से कम से कम, बहुत आपटिमिस्टिक व्यू अगर लिया जाये, ३० परसेंट बैड डट हो जायेगा। तो यह ३५ करोड़ भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि एक तरफ तो यह १८५ करोड़ का नोशनल फिगर है दूसरी तरफ हमारा यानी रिफ्यूजीज़ का क्लेम ५०० करोड़ का बतलाया जाता है। यह ५०० करोड़ का कैसे बना ? यह रिफ्यूजीज़ के क्लेम्स को बहुत घटाकर बना है। अपने तो १३० या १३५ करोड़ रकम को बढ़ा कर १८५ करोड़ बतलाया जाता है और जैसा कि ठाकुर दास जी ने बतलाया, उनके क्लेम्स को घटाकर ५०० करोड़ ही बतलाया जाता है। जो प्रापर्टी लोग वहां छोड़ आये हैं उसका ठीक कोई हिसाब नहीं है। जो मूवेबिल्स लोग वहां छोड़ आये हैं, जो मूवेबिल्स बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में लोग छोड़ आये हैं और जो मूवेबिल्स देहातों में लोग छोड़ आये हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। रूरल क्लेम्स अगर दस हजार या बीस हजार से कम के हों तो आप उनको मानते नहीं हैं। इस तरह से उनके क्लेम्स को घटाया गया। एक बहुत लम्बी चौड़ी फैहरिस्त ठाकुर दास जी ने बतलायी है। उन सब को रजिस्टर नहीं किया गया। आपने हजारों रिफ्यूजीज के क्लेम्स को रजिस्टर नहीं किया। अगर सारे क्लेम्स का हिसाब लगाया जाये तो यह ५०० करोड़ से बहुत ज्यादा होगा। आप दो रोटियां लेकर बैठे हैं और खिलाना है आप को बीस आदमियों को। मुझे आप के साथ बहुत हमदर्दी है कि आप किस तरह से इस काम को कर सकेंगे। आप इस १८५ करोड़ में से ५०० करोड़ के क्लेम्स कैसे अदा करेंगे। अगर आप क्लेमेंट्स को खुश करेंगे तो आपको नान क्लेमेंट्स को नाखुश करना होगा और अगर आप नान क्लेमेंट्स को खुश करना चाहें तो आपको क्लेमेंट्स को नाखुश करना होगा। जो जमीन इन लोगों को मिली हुई है आज उसको लेने की कोशिश की जा रही है। यह क्या कोई इन्साफ है। मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन मैं यह कहूंगी कि यह डिसआनेस्टी है। आप साफ साफ कह दीजिये कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कम्पेन्सेशन नहीं दे सकते। यह ज्यादा ईमानदारी की बात होगी। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करती। रिफ्यूजी के क्लेम को तो कम करना चाहते हैं और अपने दो पैसे को एक रुपया बतलाते हैं। मैं समझती हूं कि इस तरह से सरकार गलत रास्ता अख्तियार कर रही है यह मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से कहती हूं। मैंने आपको एनेलाइज कर के दिखा दिया है कि यह जो १८५ करोड़ का कम्पेन्सेशन पूल है यह १५० करोड़ का भी नहीं है।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

इसका मुकाबला करिये उस कम्पेन्सेशन पूल के साथ जिसके बारे में गोपालस्वामी आयंगर ने कहा था कि वह तीन चीजों से बना है, एक्स, वाई और जैड। उस पूल में तीन चीजें यह थीं। एक तो थी इवेक्वी प्रापर्टी, दूसरी थी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और तीसरी वह रकम थी जो कि पाकिस्तान से मिले। अब इसमे वाई और जैड तो है ही नहीं। यह आठ साल बाद अब हालत है। इवेक्वी प्रापर्टी सौ करोड़ से भी कम की होगी। पाकिस्तान से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। जो यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ८५ करोड़ यह गलत है। यह रकम तो आपने रिहैबिलिटेशन के वास्ते खर्च की है। इस को आप दो दो जगह नहीं दिखला सकते। यह रकम तो आपने क्लेमेंट नान-क्लेमेंट सब को दी है। इसी को आप अब कम्पेन्सेशन पूल में दिखलाना चाहते हैं। अब आप अगर क्लेमेंट्स को सेटिसफाई करेंगे तो नान क्लेमेंट्स के हक से और अगर नान-क्लेमेंट्स को सेटिसफाई करेंगे तो, क्लेमेंट्स के हक से। आप यह गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। इस तरह से यह स्कीम नहीं चल सकती। अगर गवर्नमेंट इसको ठीक तरह चलाना चाहती है तो उसको इस पूल में ७०, ८० या १०० करोड़ रुपया डालना चाहिए ताकि मिनिस्ट्री के पास कैश हो और वह लोगों के क्लेम्स का रुपया फौरन दे सके। लोग आज कम्पेन्सेशन चाहते हैं। वह बहुत इंतिजार नहीं कर सकते लेकिन अगर आप रिकवरी करके उनको रुपया देना चाहते हैं तो इस में चार छः दस साल तक लग सकता है। अगर गवर्नमेंट इस स्कीम को चलाना चाहती है कि उसको पूल में एक अच्छी रकम देनी चाहिए।

जो रूल्स गवर्नमेंट लाई है इसमें रिफ़्यूजीज़ के साथ बहुत बेइन्साफी होगी इसका प्रमाण यही है कि इनमें दुरुस्ती करने के लिए सब तरफ से इतने अमेंडमेंट दिये गये हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी के मेम्बर हों या किसी दूसरी पार्टी के, सब ने इन में दुरस्ती के लिए इतने ज्यादा अमेंडमेंट दिये हैं। सब लोग एक एक क्लाज पर लड़ने वाले हैं। हम समझते हैं कि इस स्कीम में लोगों के साथ बहुत बेइन्साफी होगी। अगर आपको कम्पेन्सेशन देना है तो आप ठीक प्रकार से रिफ़्यूजीज़ को कम्पेन्सेशन दें।

अध्यक्ष महोदय : भाषण देने को उत्सुक सदस्यों की संख्या को देखते हुये समय का पुनः विभाजन आवश्यक प्रतीत होता है।

यह नियम एक तिथि विशेष को पटल पर रखे गये थे और यदि यह सभा एक मास की अवधि में अपना निर्णय नहीं दे देती है तो समस्त कार्यवाही रद्द हो जायेगी। वह अन्तिम तिथि १६ है। इसलिये कल चार बजे तक हमें उसे समाप्त कर ही देना है। कल १४ है, १५ को उन पर चर्चा हो सकती है और १६ को उन से सम्बन्धित कार्य समाप्त हो सकता है। इसलिये मैं कल शाम चार बजे तक की समय सीमा निश्चित करता हूं। मैं चर्चा के लिये सात घंटे का समय दे सकता हूं, इसमें माननीय मंत्री का उत्तर भी सम्मिलित है।

नियम संख्या २१क से २१च (नये) के सम्बन्ध में श्रीमती इला पालंचौधरी का एक अग्रिम प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। इसकी संख्या १३५ है।

श्रीमती इलापाल चौधरी (नवद्वीप) ने अपना संशोधन संख्या १३५ प्रस्तुत किया।

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): मैंने प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के विभिन्न पहलुओं पर कतिपय सदस्यों के विचार सुन लिये हैं। मैं मानता हूं कि इस अधिनियम और इन नियमों में दी हुई हमारी योजना पूर्ण नहीं है। किन्तु प्रतिकर भुगतान जैसे विवादास्पद विषय में पूर्णता प्राप्त करना प्रायः असम्भव सा ही है। हम जानते हैं कि इस योजना की कुछ प्रमुख बातें विस्थापितों के सभी क्षेत्रों को मान्य नहीं होंगी किन्तु हम कह सकते हैं कि जिन परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ रहा है उन का यही सब से उत्तम समाधान है। हमने आस्तियों और दायित्वों में एक सन्तुलन स्थापित करने की चेष्टा की है। हमारा विचार है कि यदि यह सन्तुलन बिगड़ जाता है तो सारी योजना चौपट हो जायेगी। हम शरणार्थियों को प्रत्येक प्रकार की सम्भाव्य रियायतें देने की इच्छा करते हैं। परन्तु ऐसा करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। हम वित्तीय पहलू को भुला कर कोई योजना नहीं बना सकते हैं। हम कोई ऐसा क़दम नहीं उठा सकते हैं और न ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हैं जिसके कारण प्रतिकर संग्रह में भारी तथा अप्रत्याशित कमी हो जाये। अतः मेरा अनुरोध है कि नीति के सम्बन्ध में कोई निर्णय करते समय सभा को वित्तीय पार्श्व का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं नियमों की प्रमुख बातों पर

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

ही संक्षेप में प्रकाश डालूंगा।

जैसा कि कल एक दो सदस्यों ने कहा था यह संग्रह दो प्रकार से प्राप्त हुई सम्पत्तियों से बना है : एक, मुसलमानों द्वारा भारत में छोड़ी गई सम्पत्तियों से दूसरी, सरकार द्वारा शरणार्थियों के लिये सरकारी निधि में से बनाई गई सम्पत्तियों से। अतः यह आवश्यक है कि अधिकांश दावेदारों को सम्पत्ति आवंटित की जानी है। हमने नियमों में यही करने का प्रयत्न किया है। किन्तु जहां कहीं सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं हो सकता है अथवा विस्थापित व्यक्ति सरलता से सम्पत्ति के रूप में प्रतिकर नहीं ले सकता है वहां हमने नक़द भुगतान की व्यवस्था भी की है। तब भी बहुत से दावेदारों को, जो प्रतिकर संग्रह में सम्मिलित की गई सम्पत्ति में नहीं रह रहे हैं और जिन के दावे छोटे छोटे से हैं, उनको नक़द रुपया देना पड़ेगा।

कल कुछ सदस्यों जैसे श्री गिडवानी और लाला अचिन्तराम ने यह कहा था कि इन नियमों में ग्रामीण घरों के दावेदारों के साथ भेदभाव का बरताव किया गया है। यह भेदभाव इसलिये उत्पन्न होता प्रतीत होता है कि नगरीय मकानों की तुलना में ग्रामीण मकानों का मूल्यांकन करते समय ग्रामीण मकानों का कोई भी बाज़ार मूल्य निश्चित करना सम्भव नहीं था। ग्रामीण मकान प्रायः निवास के उद्देश्य से बनाये गये थे और व्यवहारतः उनका कोई भी बाज़ार मूल्य नहीं था। फिर भी, सभा और सभा के बाहर की गई इस मांग को दृष्टि में रखते हुये कि ग्रामीण और नगरीय दावेदारों के साथ एक समान व्यवहार किया जाये, हमने इस संग्रह की सम्पत्ति के एक समान वितरण के लिये यह निश्चय किया है कि ग्रामीण दावों का पूरा मूल्य दिया जायेगा। यह नियम सिंध के नगरपालिका क्षेत्रों के निवासियों पर भी लागू होता है। इन्हें ग्रामीण क्षेत्र मान लिये जाने के कारण उनको हानि होती रही है। पश्चिमी पंजाब और सीमान्त

[श्री जे० के० भोंसले]

प्रान्त में कई ऐसे स्थान थे जिनकी जनसंख्या अधिक थी और जिनमें नगरों के सभी गुण थे। किन्तु उन्हें केवल नगरपालिका अथवा नोटीफाइड ऐरिया समिति के न होने के कारण नगर नहीं समझा गया था। इस निर्णय के फलस्वरूप कि नगरीय और ग्रामीण दावेदारों को समान प्रतिकर मिलेगा अब उन्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी।

नीति सम्बन्धी एक और प्रश्न जिसकी सदस्यों ने कल कटु आलोचना की थी उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में है जिन्हें कृषि के लिये भूमि दी गई है। एक दो वक्ताओं को कदाचित् यह नहीं मालूम हो सका है कि ऐसे कितने दावे अस्वीकृत किये गये थे। मैं उन्हें पंजाब और पैप्सू की पुनर्वास योजना की एक प्रमुख बात बताना चाहता हूं। वह यह है कि प्रत्येक कृषक को भूमि के अतिरिक्त एक मकान भी दिया जायेगा। हमारी योजना में भी यह उपबन्ध सम्मिलित है। पंजाब और पैप्सू में लाखों व्यक्तियों को भूमि के साथ साथ मकान भी दिये गये हैं। यदि अब उनको पाकिस्तान में छोड़े हुये ऐसे ही मकानों के लिये भी प्रतिकर दिया जाये तो यह अनुचित होगा। १९५० में जारी की गई अधिसूचना का, जिसका निर्देश कल कुछ वक्ताओं ने किया था, यही आधार था। फिर भी हम मानते हैं कि जिनको थोड़ी भूमि मिली है और जिन की भूमि की अभी स्वीकृति नहीं दी गई है उनके विषय में ग्रामीण मकानों सम्बन्धी दावों को रद्द करना अथवा अस्वीकृत करना उनको कष्ट में डालना होगा। अतः हमने निश्चय किया है कि जिस व्यक्ति को पंजाब और पैप्सू की पुनर्वास योजना के अन्तर्गत दो पक्के एकड़ कृषि भूमि से कम भूमि मिली है उसे आवंटित भूमि के अनुसार ४५० रुपये प्रति पक्के एकड़ की दर से पुनर्वास सहायता दी जाये। यदि उसने भूमि लेने से इन्कार कर दिया हो अथवा उसकी भूमि की स्वीकृति रद्द कर दी गई हो तथा उसने अन्य किसी प्रकार की सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रतिकर न दिया गया हो तो उसे यह साहयता दी जाये। नियम संख्या ९७ में हमने कुछ प्रतिबन्धों के अधीन चार एकड़ से कम भूमि वालों के लिये भी पुनर्वास सहायता की व्यवस्था की है। मेरा विचार है कि यह नियम इस प्रकार के जटिल मामलों को सुलझाने में सहायक होंगे और मैं आशा करता हूं कि वे लोग और यह सभा इन पर सन्तोष प्रकट करेगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग अपनाने से सहस्रों दावों का पुनरीक्षण करने और तब कदाचित और अधिक वाक्-बद्धताओं की पूर्ति करने के लिये प्रतिकर दर के सम्पूर्ण मापमान का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता पड़ती। इन प्रस्तावित उपबन्धों से सभी ऐसे व्यक्तियों के साथ जिनके पास थोड़ी भूमि है न्याय ही होगा।

अन्त में मैं श्री गिडवानी और श्री चौधरी द्वारा उठाये गये प्रश्न की ओर आता हूं। उनका कहना है कि कुछ व्यक्तियों को पट्टे पर भूमि दी गई थी किन्तु अब उनसे पूरा मूल्य लिया जा रहा है। साथ ही इन व्यक्तियों को ग्रामीण मकानों के लिये दावे प्रस्तुत करने से रोक दिया गया है। सरकार इस प्रश्न की जांच कर रही है और मुझे आशा है कि शीघ्र ही इस के सम्बन्ध में कोई निश्चय कर लिया जायेगा।

अन्त में, मैं कहूंगा कि कल बोलने वाले कुछ सदस्यों का उद्देश्य हमें हृदयहीन और उद्दण्ड चित्रित करना मात्र था। मैं इस सम्बन्ध में सभा को बता देना चाहता हूं कि हमारा बड़ा सहानुभूतिपूर्ण हृदय है और हम अपने ऊपर रखे गये उत्तरदायित्व को

भली भांति समझते हैं । यदि हमारे पास साधन होते तो हम शरणार्थियों को और अच्छे मकान और पुनर्वास सुविधायें प्रदान करते । यदि मेरा वश हो तो मैं उन्हें केवल ईंटें और सीमेंट के ही मकान न देता अपितु उनको सोने चांदी के बने हुये मकान देता क्योंकि मैं समझता हूं कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान में खोया है उसके लिये यह भी कुछ नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय मंत्री ने कहा है कि १८५ करोड़ रुपये की यह राशि पर्याप्त नहीं है । परन्तु मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । श्री ए० पी० जैन ने प्रतिकर विधेयक के सम्बन्ध में भाषण देते समय यह कहा था कि सहायता का द्वार बन्द नहीं कर दिया गया है । शरणार्थियों को पुनर्वास अनुदानों के रूप में भी धन दिया जायेगा । उस वचन का अब क्या बना है ? क्या इस वचन को पूर्ण करने के बारे में कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : अनेक संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, और उन पर चर्चा करते समय अपने विचारों को प्रकट करने का सदस्यों को पर्याप्त अवसर मिलेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसका अर्थ यह है कि आपके पास मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है ।

सभापति महोदय : वह इसका उत्तर अन्त में देंगे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मुझे इस बात का हर्ष है कि उप-मंत्री महोदय ने कम से कम एक तो ऐसी घोषणा की है जिसका हम स्वागत करते हैं । आशा है कि मंत्री महोदय भी इस प्रकार की अन्य घोषणाएं करेंगे जो कि देश के लिये हितकर होंगी ।

इसके सम्बन्ध में नियम बनाये जाने से पूर्व एक समिति बनाई गई थी जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि थे, परन्तु मेरी पार्टी के प्रतिनिधि इसमें नहीं रखे गये थे इसीलिये मुझे इस समस्या के बारे में इतना अधिक ज्ञान नहीं है ।

जब मैं देखता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा अनेकानेक संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि नियम बनाते समय कहीं कोई भयंकर गलती हुई है ।

सरकारी प्रवक्ता ने देश की स्वतन्त्रता के लिये सर्वस्व न्योछावर करने वाले शरणार्थियों के प्रति कुछ भावनापूर्ण शब्द कहे हैं । मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि यह उनके बलिदानों का एक प्रकार से अपमान करना है । उन्होंने जानबूझ कर बलिदान नहीं दिया था । अंग्रेजों ने भारत छोड़ते समय शक्ति का हस्तान्तरण इस प्रकार से किया था कि उस से प्राप्त होने वाली स्वतन्त्रता के लिये किसी न किसी को तो मूल्य चुकाना ही था । वह मूल्य इन बेचारे शरणार्थियों के धन सम्पत्ति तथा जन हानि के रूप में चुकाना पड़ा । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय, जो कि स्वयं भी एक शरणार्थी हैं इन शरणार्थियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे ।

इसलिये उनके प्रति मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये और उन्हें प्रतिकर देने के स्थान पर उनके पुनर्वास पर अधिक बल दिया जाये । आप उन्हें पूर्ण रूप से प्रतिकर कभी नहीं दे सकते, परन्तु उन्हें अच्छी प्रकार से बसा अवश्य सकते हैं । इसलिये उनके लिये एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाये जिस में कि वे अपने आपको आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित समझें ।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

परन्तु मैं देखता हूं कि इन नियमों में उनके पुनर्वास पर नहीं अपितु उन्हें प्रतिकर दिये जाने के तरीकों पर ही बल दिया गया है । इसीलिये मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि पुनर्वास मंत्रालय के सम्पूर्ण दृष्टिकोण में ही एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है । ये नियम ऐसे हैं जिनमें शरणार्थियों के पुनर्वास पर कोई बल नहीं दिया गया है, उन्हें जीवन सम्बन्धी सुविधायें देने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

मैं श्रीमती सुचेता कृपालानी के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि प्रतिकर की अधिकतम सीमा ५०,००० रुपये तक सीमित नहीं की जानी चाहिये । कारण यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार प्रतिकर निधि को बढ़ाना नहीं चाहती है । इसलिये यदि प्रतिकर-निधि बढ़ाई नहीं जा रही है तो हमें अधिकतम प्रतिकर की कोई न कोई सीमा तो निर्धारित करनी ही होगी, और मेरे विचारानुसार वह अधिकतम सीमा ५०,००० रुपये होनी चाहिए ।

श्री एन० सी० चटर्जी का यह कथन है कि सरकार समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के बहाने से शरणार्थियों को ही अपना शिकार बनाना चाहती है । परन्तु मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं । हमें समाजवादी समाज की स्थापना करनी है और इसके लिये यह एक सुन्दर अवसर है । अतः मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि शरणार्थियों को प्रतिकर के रूप में ५०,००० रुपये से अधिक नहीं दिया जाना चाहिये ।

प्रधान मंत्री ने श्रीमती कृपालानी द्वारा भेजे गये एक पत्र के उत्तर में जो पत्र लिखा था उससे यह प्रकट होता था कि इन नियमों के द्वारा लगभग ८० प्रतिशत शरणार्थियों को लाभ होगा । परन्तु वास्तव में यह बात गलत है । छोटे दावे वालों और दावे न करने वाले शरणार्थी समस्या का मुख्य भाग है । लगभग साठ लाख शरणार्थियों में से केवल पांच लाख ने ही दावे प्रस्तुत किये हैं । उनको ही कुछ लाभ हो सकने की सम्भावना है । चालीस लाख को कुछ भी सहायता नहीं मिलती है । अतः मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि वह ऐसी नीति बनायें जिससे छोटे दावों वाले तथा दावे न करने वालों को भी लाभ पहुंच सके ।

उपमंत्री महोदय ने ग्राम्य सम्पत्ति के बारे में जो घोषणा की है हम सभी उसका स्वागत करते हैं । परन्तु मैं चाहता हूं कि कृषक-शरणार्थियों के सम्बन्ध में एक सुस्पष्ट नीति की घोषणा की जाये और उन्हें अपनी छोड़ी हुई सम्पत्ति के दावे प्रस्तुत करने का दुबारा अवसर दिया जाये ।

मैं श्री चौधरी के इस कथन का समर्थन करता हूं कि भरतपुर, अलवर और राजस्थान के अन्य भागों में आ कर बस जाने वाले भूमिहीन कृषक-शरणार्थियों को स्थायी रूप से कृषि सम्बन्धी अधिकार दिये जाने के बारे में कोई स्थायी नियम बनाया जाये ।

इसके अतिरिक्त मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली नगर में आये शरणार्थी यहां पर आ कर बस गये हैं । अब जब उन्होंने सुना है कि उनके मकानों और दुकानों की नीलामी की जायेगी तो वे बड़े बेचैन से हो गये हैं । इन्होंने पाकिस्तान से आने पर स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयत्न किया था और इसीलिये अपने मकान और दुकानें बना कर बस गये थे । उनकी यह मांग है कि अब उनसे उन दुकानों की कम से कम कीमत ली जाये ।

मकानों के सम्बन्ध में भी हम चाहते हैं कि हमें यह बताया जाये कि सरकार ने उन पर वास्तव में कितना रुपया खर्च किया है। और उसी के आधार पर शरणार्थियों से रुपया लिया जाये। मकानों और दुकानों की उतनी ही कीमत ली जाये जितनी कि वास्तव में उन पर लागत आई थी। यह बताया गया है कि नीलामी का वास्तविक उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जाये और उसे शरणार्थियों को दी जाने वाली निधि में जमा किया जाये, परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि मकानों और दुकानों को क, ख, ग और घ इन चार विभागों में किस आधार पर रखा गया है ?

मकानों की नीलामी के सम्बन्ध में सरकार इस बात का ध्यान रखे कि वह पूरे के पूरे ब्लाक को नीलामी के द्वारा न बेचे, क्योंकि एक एक ब्लाक में बहुत से व्यक्ति रह रहे हैं। वे सब के सब फिर से विस्थापित हो जायेंगे, इसीलिये इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

अतः मैं चाहता हूं कि मंत्रालय इन नियमों को अन्तिम रूप देते समय इन सभी बातों पर अच्छी प्रकार से विचार करेगा और देश के हित को ध्यान में रखते हुये उचित कार्यवाही करेगा।

सरदार हुक्म सिंह : जैसा कि श्री मुकर्जी ने कहा है हमें प्रतिकर की अपेक्षा पुनर्वास पर अधिक बल देना चाहिये। यदि उन्हें शीघ्र और उचित प्रकार से बसा दिया जाता तो सम्भवतः शरणार्थी प्रतिकर पर इतना ज़ोर न देते। सरकार द्वारा इस समस्या की ओर कभी भी ठीक प्रकार से ध्यान दिया ही नहीं गया है।

मुझे किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई शिकायत नहीं है। सर्वप्रथम श्री नियोगी को यह विभाग सौंपा गया था। परन्तु समस्या को एक महान् समस्या समझते हुये इसके लिये एक पृथक् मंत्रालय बनाया गया जिसे श्री मोहन लाल सक्सेना को सौंपा गया। श्री सक्सेना की योजना तथा भावना तो महान् तथा सराहनीय थी। वह प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के निवास स्थान तथा व्यवसाय का पूरा पूरा प्रबन्ध करना चाहते थे परन्तु उन्हें कोई सहयोग नहीं दिया गया। सरकार ने इस कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाई इसीलिये शरणार्थी प्रतिकर मांगने लगे। १९५० में इस सभा में इसी आशय का एक संकल्प प्रस्तुत किया गया था और मैं ने एक प्रस्थापना प्रस्तुत की थी कि इस उद्देश्य के लिये कोई कर लगाया जाये। परन्तु उस समय सरकार को यह विश्वास था कि वह पाकिस्तान से कुछ न कुछ धन अवश्य प्राप्त कर सकेगी। उस समय निष्क्राम्य सम्पत्ति कोई २५० करोड़ रुपये की थी परन्तु हमने छतरीवाला जैसे मामलों में उसका बहुत कुछ भाग नष्ट हो जाने दिया। श्री मोहन लाल सक्सेना के उपरान्त श्री ए० पी० जैन ने भी इस समस्या को सुलझाने का पूर्ण प्रयत्न किया परन्तु कुछ समय उपरान्त ही वह इसे जैसे तैसे समाप्त करके किसी और ऊंचे पद की आकांक्षा करने लगे। तब हमारी मांग यह थी कि कोई विस्थापित व्यक्ति ही इस मंत्रालय का मंत्री बनाया जाये और हम सरकार के प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हैं कि उसने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, परन्तु विस्थापित व्यक्तियों को बांटे जाने वाली निधि में केवल १८५ करोड़ रुपया ही रखा गया। फिर शरणार्थियों में ही विभिन्न प्रकार के वर्गों में संघर्ष होने लगा और प्रत्येक वर्ग अपने ही स्वाथ का चिन्तन करने लगा। हम श्री मेहर चन्द खन्ना के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये बहुत कुछ किया है।

[सरदार हुक्म सिंह]

श्री खन्ना पूर्वी बंगाल की शरणार्थी समस्या में काफी व्यस्त रहे हैं और उन्होंने इस समस्या को सुलझाया है। मैं इस सम्बन्ध में उनके सहकारी, श्री जे० के० भोंसले, को भी बधाई देता हूं। उनका व्यवहार शरणार्थियों के प्रति बड़ा उदार और सहानुभूतिपूर्ण रहा है। उन्होंने बड़ी होशियारी से इस स्थिति का सामना किया और हर प्रकार से शरणार्थियों की सहायता की। शरणार्थी उनके आभारी हैं।

किन्तु समस्या का अन्त यही नहीं है। मौलाना आज़ाद से जब शिक्षा मंत्रालय पर कुछ व्यय करने के लिये कहा गया तो उन्होंने उत्तर दिया : "जेब खाली है, रुपया कहां से लायें।" जब मंत्री भी विवश है तो फिर क्या हो सकता है ? इस अधिनियम के पारित किये जाते समय श्री ए० पी० जैन ने हमें आश्वासन दिया था कि इस सम्बन्ध में यह अन्तिम शब्द नहीं था। मैं समझता हूं कि वह अब भी कुछ न कुछ सहायता सरकार से दिलायेंगे। क्या इस संकोष में कुछ करोड़ रुपयों की वृद्धि करना सरकार के लिये सम्भव नहीं है ?

मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब अल्प आय वालों के लिये गृह निर्माण योजना जैसी अनेक योजनाओं पर कई करोड़ रुपया व्यय किया जाने वाला है तो फिर क्या इस राशि को पुनर्वास योजनाओं में से निकाल कर जिन लोगों के पास १०,००० रुपये से कम कीमत के मकान हैं, उनकी स्थिति पर इन योजनाओं के अन्तर्गत विचार नहीं किया जा सकता है ? इस राशि का भुगतान निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय द्वारा पुनर्वास मंत्रालय को किया जा सकता है और वह राशि अन्य शरणार्थियों को उपलब्ध कराई जा सकती है वरन् इससे शरणार्थियों को जिस स्थान पर रह रहे हैं, रहने में सहायता मिलेगी। प्रश्न केवल यही नहीं है कि वे लोग पुनः विस्थापित हो जायेंगे किन्तु इस का दूसरा पक्ष भी है। उन्हें प्रारम्भ में बताया यह गया था कि यह राशि उन्हें पुनर्वास के लिये मिल रही है, अतः उन्होंने उसे व्यय कर दिया। इन गरीबों ने कुछ मकान आदि बनवा भी लिये हैं तथा फिर उसका नीलाम कर देने से इन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं तो यह समझता था कि मंत्री महोदय कुछ रियायतें देंगे।

अब बताया यह जाता है कि ग्रामीण दावेदारों ने जितनी मांग की है उस को आधा नहीं किया जायेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि शहरों में उन्हें स्थान मिल गया है तो उनके दावे आधे नहीं किये जायेंगे। यह बड़ा अच्छा है। यह भी कहा गया है कि जिनके पास दो एकड़ या उस से कम भूमि थी और जिन्होंने उस पर कब्जा नहीं किया था, उन्हें ४५० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उस भूमि का मूल्य दे दिया जायेगा। किन्तु इस प्रश्न के दूसरे पहलू की उपेक्षा की गई है। किन्तु जैसा कि अनेक सदस्यों ने कहा है कि ऐसे दावेदारों के दावे सत्यापित इस कारण से नहीं किये जा सके थे क्योंकि उनके मकानों का मूल्य १०,००० रुपये से अधिक नहीं था। उदाहरण के लिये जिस शरणार्थी के ६,००० रुपये के मूल्य के दो या तीन मकान थे उसे यदि ९०० रुपया दे दिया जाता है तो यह प्रतिकर कहां हुआ ? अतः जिन दावों को पहले अपेक्षित छोड़ दिया गया था, पुनर्वास मंत्रालय को उन दावों को स्वीकार करना चाहिये। गांव से आने वालों और शहरी क्षेत्रों से आने वालों की आर्थिक स्थिति भिन्न-भिन्न थी। यह मेरे पूर्व वक्ता द्वारा कहा जा चुका है

गांव के बहुत से लोगों की भले ही २०,००० रु० के मूल्य की इमारतें नहीं थीं किन्तु वह बड़े सुन्दर निवास अवश्य थे । उनकी उपेक्षा कर देने से ग्रामीणों की दशा बहुत शोचनीय हो जायेगी । यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि पुनर्वास मंत्रालय इस कार्य को हाथ में लेता है तो कुछ और समय इस में लग जायेगा । हम से यह कहा जा सकता है कि अन्य दावों का पता लगाने से इनको निबटाने में और भी विलम्ब होगा । इसका उपाय यह है कि कुछ राशि ऐसे दावों के लिये अलग रखी जा सकती है । भले ही इस कार्य में समय लगे किन्तु इसको एकदम समाप्त नहीं कर दिया जाना चाहिये । केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि सारे मामलों की फिर से जांच चालू करनी पड़ेगी ।

एक और बात मुझे उन पंजाबियों के सम्बन्ध में कहनी है जो बहावलपुर में जा कर बस गये थे लगभग ५०,००० लोगों को पंजाब या पैप्सू का मूल निवासी होने के कारण भूमि आवंटित कर दी गई थी । बहावलपुर में वे जो ज़मीन छोड़ कर आये थे उसका रेकार्ड न मिलने के कारण उन भूमियों का मूल्यांकन नहीं किया जा सका । उन्हें यहां अस्थायी रूप से कुछ भूमि दे दी गई थी । अब उनके दावों का अन्तिम निर्णय होना है । अब उनकी भूमियों के कुछ रिकार्ड मिल गये हैं । अतः जैसा कि उस समय कहा गया था उनके दावों पर पुन-विचार किया जाना चाहिये और उन की भूमियों के मूल्य पुनः निश्चित किये जाने चाहियें । अब यदि इन दावों पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है और अब जो आवटन अस्थायी रूप से किया गया है उसका आधार वही पुराना अस्थायी मूल्य समझा जाता है और ये आवंटन स्थायी कर दिये जाते हैं तो उन लोगों की बड़ी हानि होगी । अतः इस समय उनके मूल्यों का समायोजन किया जाना चाहिये जिससे कि आवंटन को स्थायी रूप दिया जा सके ।

तत्पश्चात् उन ८,००० लोगों का मामला आता है जिनके पास बहावलपुर या अन्य स्थानों में अनार्थिक भूमियां थीं । उन्हें पंजाब में कुछ भूमि दे दी गई थी । कुछ व्यक्ति राजस्थान चले गये और वहां उनको प्रति व्यक्ति १० एकड़ भूमि दी गई । तत्पश्चात् पुनर्वास मंत्री द्वारा यह कहा गया कि वे दोनों में से एक जगह चुन लें । एक मास का समय उन्हें दिया गया था कि वे यदि चाहें तो पंजाब के आवंटन को रद्द करवा कर गंगानगर में आवंटन करवा लें । उन बेचारों ने वैसा ही किया क्योंकि वे यह समझते थे कि ऐसा करने से वे गंगानगर में जिस भूमि पर रह रहे हैं, उसके मालिक बना दिये जायेंगे । किन्तु इस नियम से कि जिन्होंने ये आवंटन अस्वीकार कर दिये हैं उनके दावे नामंजूर कर दिये जायेंगे उनकी बड़ी हानि होगी । उन बेचारों का इसमें क्या अपराध है ? जैसा कहा गया था उन्होंने वैसा ही किया । अब यह कहना कि क्योंकि उन्होंने ये आवंटन अस्वीकार कर दिये थे इसलिये उनके दावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा सरासर अन्याय है । अतः इस प्रश्न पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे कि उनका दोनों जगहों का हक़ न जाता रहे । उनका गंगानगर या पंजाब में जो भी दावा है उन दोनों स्थानों में से कम से कम एक जगह उन्हें स्थान मिलना ही चाहिये ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : शरणार्थी चाहे पश्चिमी पाकिस्तान के हों या पूर्वी पाकिस्तान के किन्तु उनकी कहानी बड़ी दुखद है । मैं इसके लिये किसी को अपराधी नहीं ठहराता किन्तु वास्तव में जैसा कि अनेक

[श्री डी० सी० शर्मा]

सदस्य कह चुके हैं कि ये नियम जो बनाये गये हैं अथवा जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उससे अवश्य ऐसा भास होता है कि उसमें मानवीय दयालुता का लेशमात्र भी नहीं है। कहा यह जाता है कि शरणार्थियों के मकान 'नीलाम' किये जायेंगे। आप जानते हैं कि यह शब्द नीलाम कितना बुरा है और इसे सुन कर हमारे हृदयों को कितनी ठेस लगती है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि टेंडर मांग कर नीलाम करना या बोली से नीलाम करना दोनों ही भारतीय परम्परा के विरुद्ध हैं। यह विदेशों की देन है। और मैं पुनर्वास मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह कुछ ऐसा साधन ढूंढ निकालें जिससे कि वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिये सरकार द्वारा अथवा अन्य सूत्रों से कुछ और धन प्राप्त हो सके। मैं श्रीमती उमा नेहरू के इस सुझाव का हृदय से अनुमोदन करता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५० करोड़ रुपया इस कार्य के लिये नियत किया जाये। दूसरा समर्थन मैं इसलिये नहीं करता कि शरणार्थी कुछ सहायता मांग रहे हैं वरन् इस राशि से उत्पादन में वृद्धि होगी और जिसका परिणाम होगा अधिक लोगों को काम मिलना और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। शरणार्थी सदैव ही उद्योगी रहे हैं। अतः इस से न केवल रोज़गार का प्रश्न ही हल होगा वरन् मनुष्यों की प्रसन्नता भी बढ़ेगी। शरणार्थियों की समस्या उनके पुनर्वास की है और आज फिर वे विस्थापित से हो रहे हैं। इस कारण ऐसे उपाय किये जाने चाहियें जिन से कि भविष्य में इसकी पुनरुक्ति न हो सके। अतः यदि हम संयुक्त समिति की सिफारिश को मान कर ५० प्रतिशत प्रतिकर की व्यवस्था कर दें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में से कम से कम ५० करोड़ रुपये की व्यवस्था शरणार्थियों के लिये अवश्य की जानी चाहिये।

जब आप जाति विहीन समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं तो मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इन विभिन्न स्थानों से आये शरणार्थियों में जो विभेद किया गया है, अर्थात् उनके लिये अलग-अलग नियम बनाये गये हैं, यह न बनाये जायं। यह सब क्या हैं? इसके अतिरिक्त उनमें हरिजन भी हैं जिन्हें पहले वाले स्थानों से हटाया जा रहा है। अतः इस प्रकार के भेदभाव को मिटाया जाना चाहिये और सभी शरणार्थियों को चाहे वे कहीं से भी क्यों न आये हों एक समान समझा जाना चाहिये। वे किसी प्रकार का भेद-भाव अपने में नहीं चाहते हैं। इस कारण इस चीज़ को मिटाना आवश्यक है।

एक कठिनाई और यह है कि भारत में कुछ निष्क्राम्य सम्पत्ति भारतीयों के पास बन्धक रखी हुई थी। लगभग ३०,००० मामले निपटाये जा चुके हैं और ७०,००० मामले अभी विचाराधीन हैं। इनको छूट के रूप में बन्धक का १०० प्रतिशत और पांच प्रतिशत की दर से ब्याज दिया गया है। यह छूट शरणार्थियों की हानि कर के दी जा रही है। पुनर्वास प्रतिकर को हानि पहुंचा कर नहीं करना चाहिये वरन् पुनर्वास को धीरे-धीरे प्रतिकर में परिवर्तित करना चाहिये। इन दोनों को एक कर दिया जाना चाहिये। अतः अन्तिम रूप देने से पूर्व इन नियमों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

श्रीमती इला पालचौधरी : मेरी सम्मति से पुनर्वास मंत्रालय ने बहुत कठिन कार्य करके दिखाया है। पुनर्वास मंत्री और उनके मंत्रालय ने अशान्ति और असन्तोष को समाप्त करके शान्ति और विकास के बीज

बोये हैं। उनकी सहृदयता से ही यह कार्य इतना सरल हो सका है।

मुझे यह सुनकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि शहरों और गांवों के मकानों को समान समझा जायेगा।

प्रतिकर के लिये एक मकान का मूल्य १०,००० रुपये निर्धारित कर देना मुझे कुछ उचित नहीं जान पड़ा है। क्योंकि गांव में १०,००० रुपये के मूल्य के कितने मकान होते हैं? हां, दो-तीन मकानों का मूल्य मिला कर भले ही १०,००० रुपये हो जाये।

राजस्थान के शरणार्थियों के सम्बन्ध में मैं अपने विरोधी पक्ष के मित्रों से पूर्ण सहमत हूं। वहां जो शरणार्थी बसाये गये वे यह समझते थे कि वे भूमियां उन्हीं को दे दी जायेंगी। ये बहुत गरीब हैं, और लगभग २५,००० परिवार उनमें हैं, अतः उनकी कठिनाइयों को अवश्य दूर किया जाना चाहिये। समाज के समाजवादी ढांचे को ध्यान में रखते हुये उनकी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य की जानी चाहिये। उन भूमि खंडों का मूल्य लेकर उन्हें वे उनको दे दिये जाने चाहियें।

इतने विशद नियमों में भी कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है। नियम ८७ के अनुसार निष्क्राम्य सम्पत्ति बेची जा सकती है। अतः उसको खरीदने का अवसर शरणार्थियों को मिलना चाहिये। नियम १७ के उप नियम (३) के स्पष्टीकरण की भी आवश्यकता है। यदि संयुक्त परिवार को प्रतिकर दिया जाने वाला है, तो प्रत्येक अंश का भुगतान होना चाहिये और उसे अलग समझा जाना चाहिये, अधिक राशि देने से उसका बंटवारा उचित नहीं होगा और तमाम झगड़े उत्पन्न होंगे।

शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग शरणार्थियों के लिये भी उचित व्यवस्था होनी चाहिये। उनकी दशा बड़ी शोचनीय है। कुछ संस्थाओं को उनके उपचार और देख रेख के लिये सहायता दी जानी चाहिये। मैं इउ बात पर भी जोर देती हूं कि इन शरणार्थियों के स्वास्थ्य के लिये भी कुछ राशि निश्चित की जानी चाहिये। उपचार के साथ ही उसके पश्चात् देख रेख की जानी और भी अनिवार्य है। अतः मैं निवेदन करूंगी कि चूंकि पुनर्वास मंत्रालय के अतिरिक्त देख-भाल करने वाला कोई नहीं है, इस कारण हमें जहां तक सम्भव हो सके उनके स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिये।

३०,००० रुपये से अधिक प्रतिकर वाले वर्ग के विषय में मैं निवेदन करूंगी कि बच्चों के लिये १० करोड़ रुपये की राशि पृथक् रखी जानी चाहिये अन्यथा उनका स्वास्थ्य नहीं सुधर सकेगा। ये बच्चे देश का ही एक अंग हैं और देश का भविष्य उन्हीं के ऊपर निर्भर है। अतः मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के इस सुझाव से सहमत हूं कि मंत्रालय के पास ५० करोड़ रुपये की राशि प्रतिकर देने के लिये रहनी चाहिये जिससे कि इस राशि के भुगतान में विलम्ब न हो। इस कारण कोई संशोधन स्वीकार किया जाये या न किया जाये किन्तु इस समस्या को हल करना आवश्यक है। प्रतिकर के सम्बन्ध में चाहे जो कुछ चर्चा हो या जो भी व्यवस्था की जाय किन्तु हमें देखना यह है कि मंत्रालय को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः शरणार्थी हमारे भाई हैं यह समझ कर ही हमें उनकी सहायता करनी चाहिये।

श्री पी० एल० बारूपाल (गंगानगर झुंझनूं--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : कल से इस सदन में शरणार्थियों को मुआविजा

[श्री पी० एल० बारूपाल]

देने के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है। इस अवसर पर मैं भी अपने कुछ विचार संसद् के सामने रखना चाहता हूं।

कम्पेन्सेशन रूल्स नं० ६३ के विषय में जो नान क्लेमैन्टस को मुआविजा देने के विषय में जो नियम रक्खा है, उसको मैं अपनी राय में ठीक नहीं मानता क्योंकि जो नान क्लेमैंट्स हैं उनमें बहुत से हमारे ऐसे रिफ्यूजी भाई हैं जिनके कि बीस हजार तक के क्लेम्स ग्रामीणों के हैं, वह सरकार ने नहीं लिये हैं और ऐसे लोगों को वह जमीन वगैरह जो ऐलाट हुई हैं, वह उन्हीं में ही ऐड करनी है। उन्होंने उसमें सन्तोष कर लिया है लेकिन मेरी राय में यह कुछ अच्छा नहीं मालूम पड़ता और वह उनके साथ में एक प्रकार का अन्याय होगा कि जब हमारी सरकार जो जमीन उन लोगों को देती है उनकी कीमत सरकार उनसे मांगती है। एक तरफ तो सरकार ने उनका क्लेम नहीं दिया, जिस से उनकी हैरानी हुई और दूसरे ऊपर से फिर उन ज़मीनों की कीमत लेना यह फिर बसाओ महकमे की पालिसी नहीं होगी, ऐसा करके तो यह फिर बसाओ महकमा नहीं बल्कि फिस से खाऊ महकमा सिद्ध होगा। उनके लिये, मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार अगर उनसे ज़मीनों की कीमत लेना चाहती है तो उनके जो क्लेम हैं, और उनको सरकार को दुबारा लेना चाहिये और अगर क्लेम उनके नहीं लेते हैं तो उन से कीमत नहीं लेनी चाहिये।

मैं राजस्थान के विषय में और विशेषकर गंगानगर जिले के विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन् १९४७ में जब देश में साम्प्रदायिक झगड़े हुये और हमारे भाई इधर और उधर बेघर बार हुये, उस समय बीकानेर राज्य का बार्डर जो कि पाकिस्तान के साथ लगता है, करीब करीब तमाम सूना हो गया था, उस समय बीकानेर की सरकार के सामने यह सवाल था कि यह जो तमाम इलाका उजाड़ होता जा रहा है, इसको किस तरह से आबाद किया जाये उस समय सरकार के सामने कोई क्लेम इत्यादि का सवाल नहीं था। उस समय सरकार के सामने सिर्फ एक ही ध्येय था कि वहां पर लोगों को बसाया जाये और जो उजाड़ भूमि पड़ी हुई है उसमें अन्न अधिक पैदा किया जाये, वहां पर अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन जारी किया जाये। उस समय हमारे जो बहुत से गरीब भाई शरणार्थी भाई थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थीं, लोक वहां जा जा कर बसे और वहां पर अक्सर पाकिस्तान के हमले भी हुआ करते थे और उन इलाक़ों में चोर, डाकू आदि उनके पशु वगैरह भी चुरा कर ले जाते थे और वहां पर आये दिन गोलियां भी चलती रहती थीं और इस तरह की हालत होने के कारण वहां के जो अमीर लोग थे, वे अपनी जान बचाने के लिये दूर दूर भागते थे। परन्तु उन गरीबों ने सोचा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं जो चला जायेगा, पहले ही मरे हुये हैं अगर और थोड़ा मर जायेंगे तो क्या परवाह है? यहां रह कर ज़मीन तो मिलेगी और इसी चीज़ को लेकर हमारे वे गरीब शरणार्थी भाई वहां पड़े रहे। जब वहां पर शांति स्थापित हुई तो लोगों की आंखें उन ज़मीनों की तरफ गईं और उनको हड़पने के अनेकों प्रकार के प्रयत्न किये गये। अभी तक वह ज़मीन गरीबों के पास थी, गवर्नमेंट की पालिसी रही है कि वह ज़मीनें गरीबों से लेकर क्लेम वालों को दी जाये ताकि हमें आसानी हो जाये और जिससे गवर्नमेंट को कुछ कर्जा वगैरह कम देना पड़े तो इस तरह से हमारे गरीब हरिजन शरणार्थियों से जमीन झूठे इलज़ाम लगा कर छीनी गई और मैं खन्ना साहब की खिदमत में एक

उदाहरण दे सकता हूं कि किस तरह उनके साथ नाइन्साफ़ी बर्ती जा रही है। मैं चाहता हूं कि खन्ना साहब उसके विषय में जॉच पड़ताल कराये, मामला इस प्रकार है कि रजिस्ट्रेशन कार्ड पर एक शरणार्थी भाई की उम्र ३५ वर्ष दर्ज है और उसके दूसरे भाई की ४० दर्ज है, अब क्लेम शरणार्थी में खुद एक दफ्तर की गलती के कारण ३५ वर्ष की आय वाले भाई की आयु वहाँ पर ४० लिख दी और जब इनक्वायरी करने गये तो उन भाइयों से कहा गया कि तुम दोनों भाइयों की उम्र ४०–४० साल की है, इसलिये तुम दोनों भाई नहीं हो सकते। इनक्वायरी करने वाले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देखते हैं जिसमें ४० और ३५ वर्ष की उम्र दर्ज है, खाली क्लर्क की गलती को न देख कर जमीन को कैंसिल कर देते हैं। मैं आज का किस्सा बताऊं। एक सज्जन है जिनके क्लेम की सन् १९५१ में मंजूरी हुई है, बार बार वह दफ्तर में उस क्लेम की कापी लेने जाते हैं लेकिन सरकारी अधिकारी उनके क्लेमों की नक़ल नहीं देते हैं। वह संज्जन यहाँ संसद् के कॉंग्रेस दल के दफ्तर में क्लर्क की हैसियत से काम कर रहे हैं। चार साल से उनका क्लेम नहीं दिया उसने जाकर कहा कि भाई अब यह मियाद खत्म होने वाली है, अगर आप मेरे क्लेम की रसीद नहीं देते हैं तो मजबूर होकर मुझे पार्लियामेंट के मेम्बरों के पास एप्रोच करना होगा और मेरा ऐसा करना आपके लिये ठीक नहीं होगा। उसका चार साल के बाद तो सन् १९५१ में क्लेम मंजूर हुआ और कल जब उसने यह जाकर दफ्तर में कहा तो उसके क्लेम की नकल दी है। इस तरह आपके दफ्तर में कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं जिससे शरणार्थियों को परेशानी और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके क्लेम की नकल इतने दिनों तक क्यों दफ्तर वालों ने रोक रक्खी। इससे साबित हो जाता है कि किस तरह की गड़बड़ वहां पर चल रही है और सुनने में आया है कि जो आदमी मुलाजिमों को रिश्वत खिला देते हैं उनका काम कर दिया जाता है वरना वह धक्के खाते फिरते हैं....

श्री मेहर चन्द खन्ना : मुझे आप इस केस की जरा तफसील दे दें तो मैं बिल्कुल पूरे तौर पर इसकी तहक़ीकात करूंगा।

श्री पी० एल० बारुपाल : ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी राजस्थान के अन्दर और अकेले गंगानगर ज़िले के अन्दर ४ हजार शरणार्थी ऐसे हैं जो नान क्लेमेट्स हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ़ से कोई सहायता नहीं दी जा रही है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक लोटा पानी तक नहीं पिलाया गया है, विशेष सहायता तो अलग रही, वे बचारे मारे मारे फिर रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर वाक़ई सरकार उन बेचारे गरीब हरिजन शरणार्थियों को बसाना चाहती है तो मुस्तैदी से काम करे और कम्पेन्शेसन रूल्स को जो उसमें खामियाँ हैं उनको दूरुस्त करे। आज जब हम और हमारी सरकार देश में समाजवादी ढांचा स्थापित करना चाहते हैं तो उन बेचारे गरीब हरिजन भाइयों से जो उन जमीनों पर बसे हुये हैं, उनको उन जमीनों से बेदखल करना कहां तक उचित और न्यायसंगत है। यह दूसरी नीति आपकी कैसे सफल होगी, यह मेरी समझ में नहीं आता है। होना तो यह चाहिये कि जिन्होंने क्लेम नहीं दिया है और जिनके पास वह जमीनें हैं, उनसे उनका पैसा न लिया जाये। मैं बस इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सी० के० नायर (बाह्य दिल्ली) : यह रिहेबिलीटेशन का काम शुरू हुये आज करीब आठ वर्ष पूरे हो गये हैं और इस दौरान में हम कई स्टेजेज में से गुजरे हैं। पहले गवर्नमेंट ने रिहेबिलीटेशन के निमित्त कई करोड़ रुपये खर्च किये । अब आज कम्पेनसेशन का समय आ गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे रिहेबिलीटेशन के मिनिस्टर यह जो पिछले सात आठ साल से काम चल रहा है वह चाहते हैं और वजा चाहते हैं कि इस कम्पेनसेशन का काम अब बिलकुल समाप्त कर दिया जाये। मैं भी इस चीज को मानता हूं कि यह कम्पेनसेशन का काम जल्द अज़ जल्द खत्म किया जाये वरना जिस तरह से इवैक्वी प्रापर्टीज के बारे में बहुरे मुकद्दमे चल रहे हैं और हमारे कस्टोडियन जनरल के पास कोई चार पांच हजार केसेज अभी पेंडिग पड़े हैं और शायद और भी उनके सामने फैसला होने के लिये आने वाले हैं, वही हालत यहां भी दरपेश होगा। उन केसेज का निबटारा होना बहुत मुश्किल है और कस्टोडियन डिपार्टमेंट के बारे में तो लोगों में आम शिकायत है कि महकमा बहुत करप्ट है, और यहां पर बहुत धीरे धीरे और इनएफिशियेंटली काम होता है, सारी दुनिया इसको जानती है, इसलिये उनकी मार्फत काम अन्जाम देना भी ज़रा मुश्किल है। इसलिये इस को लिक्विडेट करना ही चाहिये और उसके लिये सबसे मुनासिब तरीका यह है कि कम्पेन्सेशन के काम को जल्दी पूरा करके इस काम को समाप्त किया जाये। गवर्नमेंट के पास इस काम के लिये १८५ करोड़ रुपये हैं, हालांकि उनके क्लेम्स पांच सौ करोड़ से ज्यादा के हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि १८५ करोड़ के अन्दर हमें इस काम को करना चाहिये और १८५ करोड़ रुपये इवैक्वी प्रापर्टी से है और बाकी का ८५ करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट ने खर्च किया है रिहेबिलिटेशन के सिलसिले में वह तो खर्च हो गया और खत्म हो गया। बाकी ३५ करोड़ रुपया कर्ज़ की शक्ल में दिया गया है। अब जो तजवीज किया गया है वह यह है कि इसके अलावा ५० करोड़ रुपया जो बिल्डिंग्ज में इन्वेस्ट किया है उसको भी इस काम में दिया जा रहा है। इस प्रकार गवर्नमेंट के पास इस वक्त १८५ करोड़ रुपया है और वह भी जायदाद में है। इस में कोई शक नहीं है कि इस वक्त मिनिस्टरी के पास पैसा नहीं है। इसलिये मुआवजे के लिये जब तक पसा नहीं आयेगा तब तक जो नान क्लेमेंट्स हैं या छोटे छोटे हकदार हैं उनको मुआवजा देने में कठिनाई पैदा होगी। इसलिये में चाहता हूं कि जितनी बड़ी बड़ी प्रापर्टी हैं उसको आक्शन कर दिया जाये। लेकिन इस सिलसिले में यह मांग की जा रही है कि वह प्रापर्टी जो कि दस हजार की है या गवर्नमेंट बिल्ट भी है उसको नीलाम न किया जाये। मुझे बहुत भारी खुशी है कि मिनिस्टर साहब ने बहुत कुछ हद तक इसे स्वीकार भी कर लिया है।

श्री वी० जी० देशपाडे : आप एनाउंस कर रहे हैं?

श्री सी० के नायर : मैं एनाउंस नहीं कर रहा लेकिन मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब इसे मन्जूर कर लेंगे क्योंकि जितनी कोशिश हम से हो सकती थी हमने कर ली है।

दूसरी चीज जो कही गई है वह रूरल प्रापर्टी के बारे में है और जो उन प्रापर्टीज़ के बारे में मालिकों की तकलीफ होगी उसका जिक्र किया गया है। आज ही एनाउंस हुआ है कि ४५० रुपए फी स्टेंडर्ड एकड़ के हिसाब से उनको रुपया दिया जायेगा। लेकिन

में समझता हूं कि यह बहुत ही थोड़ा है। मैं चाहता हूं कि कम से कम जितना उनका क्लेम है उसके मुताबिक उनको देना चाहिये। उन के बारे में यह कहा गया है कि नान-सबस्टांशल क्लेमेंटस हैं। मैं कहता हूं कि नानसबस्टांशल क्लेमेंटस को ही तो रिहैबिलिटेट करना है और सबस्टांशल क्लेमेंट्स को तो कोई बात नहीं है। जो सीलिंग ५०,००० का किया गया है उसको दो लाख करने की बात सोची जा रही है। मैं समझता हूं कि यह गरीबों के साथ एक तरह से अन्याय होगा। इस में कोई शक नहीं कि उनको जिन के क्लेम बहुत बड़े हैं कुछ न कुछ ज़रूर मिलना चाहिये। मैं भी यह नहीं चाहता हूं कि जिन के क्लेम दो लाख के हैं उनको कुछ भी न दिया जाये। उनको ज़रूर कुछ न कुछ मिलना चाहिये। लेकिन यह बात मैं अवश्य करता हूं कि वे लोग इतने दुखी नहीं हैं जितने नानसबस्टांशल क्लेमेंट्स हैं। नानसबस्टांशल क्लेमेंटस को ज़रूर रियायत दी जानी चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब यह होगा कि एक आदमी भीख मांगने जाता है जिस के पास बरतन भी नहीं है और दूसरा आदमी जिस के पास उसके हाथ में एक बरतन है वह भी भीख मांगने जाता है। तो जिस के पास बरतन है उसके बरतन में तो भीख डाल दी जाती है लेकिन जो खाली हाथ जाता है क्योंकि उसके पास बरतन नहीं हैं उसको उसको कोई भीख नहीं दी जाती है। इस लिये नानसबस्टांशल क्लेमेंट्स का, मैं चाहता हूं, ज्यादा खयाल रखा जाये। एक्स ग्रेशिया पेमेंट करने की जो एनाउंसमेंट की गई है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन ऐसा करते हुये भी मैं चाहता हूं कि उनको उनके क्लेम के मुताबिक पूरा देना ही चाहिये बेशक ऊपर के लोगों को आप कुछ कम करके ही दें।

एक और चीज़ के बारे में मुझे कुछ कहना है, जो नान-वेस्ट पंजाबी किसानों के बारे में है जिन में कुछ जमींदार भी हैं और कुछ किसान भी हैं और उनमें बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन के पास वहां पर जमीन नहीं थी। उनको दिल्ली में भी कुछ जमीन दे दी गई है और कुछ अलवर में और कुछ भरतपुर में और कुछ गंगानगर में दी गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को जो कि फ्रंटियर के हैं या बहावलपुर के या सिंध के हैं या बलोचिस्तान के हैं उनको कम से कम हमें सब सूबों में थोड़ी थोड़ी जगह लेकर बसा देना चाहिये। अगर इस प्रश्न को इस तरीके से हल किया गया तो मैं समझता हूं कि यह आसानी से हल हो जायेगा। जैसे हमने ईस्ट पंजाब में रिफ्यूजीज़ को बसाया है बेशक उनको उतनी ज़मीन यहां नहीं दी गई जितनी कि उनके पास पाकिस्तान में थीं, उसी तरह से उन लोगों को भी सारे हिन्दुस्तान में थोड़ी बहुत जमीन देकर बसाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि अगर नज़दीक ज़मीन नहीं मिल सकती है तो हम उनको थोड़ी थोड़ी तादाद में हर एक स्टेट में जमीन देकर आसानी से बसा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि श्री डी० सी० शर्मा साहब ने कहा और मैं भी उसका समर्थन करता हूं और उमा नेहरू जी ने भी कहा है कि आने वाले पांच साला प्लान में जरूर ज्यादा से ज्यादा रकम रिफ्यूजीज़ के रिहैब्लिटेशन के वास्ते रखी जाये ताकि गवर्नमेंट की उनके बसाने में कुछ आसानी हो। मैं यह भी समझता हूं कि रिहैब्लिटेशन पूल के लिये जितना रुपया इवेक्वी प्रापर्टी से मिला है उतना ही लगभग गवर्नमेंट दे रही है इसलिये इस पूल के लिये और ज्यादा रुपया की गवर्नमेंट से उम्मीद रखना कुछ ठीक बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम दरख्वास्त कर सकते हैं और गवर्नमेंट

[श्री सी० के० नायर]

१२ इम्प्रेस कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ज्यादा पया दे। जो १०० रुपया इवेक्वी प्रापर्टी का है लगभग उतना ही यानी ८५ करोड़ रुपया गवर्नमेंट की तरफ से अब दिया जा जा रहा है। ३५ करोड़ रुपये जो लोन की शक्ल में दिया गया है यह भी मुझे मालूम है कि कई हजार लोगों में बांटा गया है। लेकिन इसमें से अधिकांश उनको दिया गया है जिन के बड़े बड़े क्लेम थे और जिन के छोटे क्लेम थे उनको बहुत थोड़ा मिला है। खैर मेरी यह प्रार्थना है कि जिन लोगों की उधर जमीन नहीं थी और जो लोग पंजाब (पाकिस्तान) से नहीं आये हैं उनको भी आसानी से रिहैबिलिटेट करने के लिये पूरी गुंजाइश होनी चाहिये और साथ ही जो सीलिंग दो लाख रुपया रखी गई है वह ५०,००० कर दो जाये, बस यही मेरी प्रार्थना है।

श्री राधारमण (दिल्ली नगर) : मुझे विस्थापितों की मुआवजा देने और उन्हें फिर से बसाने के सम्बंध में जो नियम सदन के पटल पर रखे गये हैं उन के विषय में अपने विचार प्रकट करने हैं और ऐसा करने में मुझे थोड़ा संतोष हो रहा है क्योंकि इन नियमों में लाखों दुःखी भाइयों और बहिनों का भाग्य छिपा है। इन नियमों को अद्योपांत पढ़ जाने पर संभवतः हमारे सदन के एक भी सदस्य की यह राय न होगी कि जो नियम यहाँ पर रखे गये हैं वे पूर्ण हैं और उनके द्वारा विस्थापितों का मसला संतोषजनक रीति से हल हो जायेगा। जब से यह विस्थापित भाई और बहिन पंजाब से और दूसरे सूबों से भारतवर्ष में आये हैं तब से आज तक करीब करीब आठ साल होते हैं। इन की कठिनाइयां हमारे सामने बार बार आती रही हैं। सब से पहले उन्हें सहायता पहुंचाने का काम खड़ा हुआ और सरकार से जितना हो सकता था उसने उनकी सहायता की। उसके बाद उनके पुनर्वास का काम सामने आया और इसमें भी सरकार ने यथाशक्ति कार्य किया। जो कुछ भी काम अब तक हुआ है उसके बारे में यह हम सुनते आये हैं कि वह आशा से बहुत कम रहा है। आज हमारे सामने उनकी क्षतिपूर्ति का या मुआवजा देने का सवाल आया है। नियमों को पढ़ने से मुझे भी भारी मायूसी हुई है क्योंकि इन नियमों में काफी त्रुटियां पाई गई हैं। वर्षों से, सात आठ वर्षों से ये भाई जो उजड़ कर आये हैं उनका यह खयाल रहा है कि उनकी तकलीफें जल्दी ही दूर हो जायेंगी और यदि उनको उस अवस्था में नहीं रहने का मौका मिलेगा जिस अवस्था में कि वे पाकिस्तान में रह रहे थे तो वे ऐसी अवस्था में जरूर रह सकेंगे जिस से कि उनको संतोष हो सके और वे अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकेंगे। मैंने अभी पिछले दो तीन घंटों में कुछ भी इस सदन में कहा गया है और सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं उनको बड़ी गम्भीरता से और ध्यानपूर्वक सुना है और मैं अधिकांश में उन विचारों से सहमत भी हूं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

मैं यह मानता हूं कि उन विचारों में बहुत कुछ सचाई और हकीकत है और हमारी सरकार और हमारे मंत्रिगण को उन पर बड़े ध्यान से विचार करना चाहिये और उन्हें जहां तक बन पड़े सुधारना भी चाहिये। आज जब कि हम विस्थापितों की क्षतिपूर्ति करने की बात करते हैं, तो हमें थोड़ा दिल खोल कर और यह समझ कर कि अगर

हम को एक काम करना है, तो उसको एक एक बा-इज्जत तरीके से, उदारता के साथ और न्याय के नाते करना चाहिये, और उसके अनुसार ही हमें अपने नियम और अपनी व्यवस्था बनानी चाहिये। मैंने देखा है कि इस मुआवज़े के देने में सरकार ने इस बात का ख्याल रखा है कि जो गरीब लोग हैं, जो हल्के वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं, उनको ज्यादा मुआवजा मिले और कुछ ऊंचे वर्ग के लोगों को कम मिले। सरकार ने यह बड़ा अच्छा उसूल अपनाया है। लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ ऐसी कैदें रखी हैं, जिनको अगर सामने रख कर देखें, तो मालूम होता है कि एक हाथ से जो चीज़ वह देते हैं, दूसरे हाथ से वह उसको वापिस ले लेते हैं।

इस बारे में हमारा अनुभव यह है कि गरीब इन्सानों को जब कुछ दिया जाता है—उनके लिये जो रकम मुकर्रर की जाती है, उन तक पहुंचते-पहुंचते वह आधी रह जाती है। इसके अलावा उस को देने के लिये सरकार के जो तरीके होते हैं, उनमें इतनी कठिनाइयां और पेचीदगियां होती हैं कि गरीब आदमी उनको समझ नहीं सकते और बड़ी मुश्किल से आधी चौथाई रकम ही हासिल कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में और दूसरे शहरों में बहुत से विस्थापितों को एक्स-ग्रेशिया ग्रान्ट दी जाती है। बेवाओं वगैरह को बीस पच्चीस रुपये की जो रकम दी जाती है, वह महीनों कोशिश करने और रोज़ाना टांगें तोड़ने के बाद उनको हासिल होती है। अगर इस बारे में हिसाब लगाया जाये, तो मैं कह सकता हूं कि उस बीस पये में से दस पये तो आने जाने में ही खर्च हो जाते हैं। अब आप ही सोचिये कि इस तरीके से वह बीस रुपये देने का क्या फ़ायदा है ?

हमारे मंत्री महोदय के हृदय में विस्थापितों के लिये बड़ी उदारता, बड़ी चिन्ता और बड़ी दर्द है। मैं उनसे यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इन नियमों को लागू करने में सब से बड़ी और सब से आवश्यक बात उन को यह करनी है कि वह ऐसी व्यवस्था बनायें और नियम आदि इतने सहल और सरल बनायें कि जिसको जो काम करना हो, उस में कम से कम दिक्कत हो और विस्थापितों को जो कुछ मिलना हो, वह जल्दी से जल्दी मिले। एक मुआवजा आप विस्थापितों को देना चाहते हैं, आठ बरस के बाद उसको देने की घोषणा करते हैं और फिर उसको नियमों की ऐसी उलझनों में डाल कर देना चाहते हैं कि जो खुशी उन लोगों को मुआवजा हासिल करने में होगी वह उस उलझन से खत्म हो जाये। मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय मेरी इस प्रार्थना पर विचार करें और आवश्यक कार्यवाही करें।

यहां पर कम्पेन्सेशन पूल की बहुत चर्चा की गई है। मेरे बहुत से भाइयों ने उसके बारे में कहा है। हम को बताया गया है कि हमारी एक सीमा है। हम चाहते हैं कि वह रुपया बढ़े जिस से हम विस्थापितों को ज्यादा पया दे सकें, लेकिन सरकार के हाथ बंधे हुये हैं, इसलिये वह इस पूल में और ज्यादा पया नहीं दे सकती और ऐसा करना बहुत कठिन है। मैं समझता हूं कि इस ख्याल को सामने रखते कि विस्थापितों ने बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर के और बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें उठा कर हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है, इस सारी समस्या को देखना चाहिये और हर मुमकिन तरीके से इस पूल की रकम को बढ़ाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि इस समय देश में जितने भी काम हो रहे हैं उन को रोक देना

[श्री राधारमण]

चाहिये और उनको कम महत्व देना चाहिये– वे काम अच्छे हो सकते हैं और अच्छे हैं और हम उन पर जितना भी ज़ोर दें, वह कम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनसे कहीं ज्यादा ज़ोर हमें इस समस्या के हल पर भी देना चाहिये । इसकी वजह यह है कि इस समस्या के साथ हमारी सरकार को सफलता पड़ी है । इस कारण यह एक कसौटी है, जिस पर पूरी उतर कर हमारी सरकार दुनिया में अपनी और अपने देश की शान को बढ़ा सकती है । लाखों इन्सान परिस्थितियों की वजह से उजड़ कर एक जगह से दूसरी जगह आये।उन्होंने तरह तरह की मुसीबतें उठाईं ––किसी का भाई मरा, किसी की बहिन मरी, किसी के दूसरे रिश्तेदार मरे, कोई बेवा हुई और कोई अनाथ हुआ । ऐसे लोगों को अगर हम ने अपने मुल्क में यही किस्म की ज़िन्दगी दे दी, तो मैं समझता हूं कि हमारी आज़ादी को चार चान्द लग जायेंगे । इसलिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पूल की रकम को बढ़ाने का इन्तजाम करें––चाहे वह कैबिनेट में बैठ कर, चाहे प्राइम मिनिस्टर के पास जा कर और चाहे सारे सदन की आवाज़ को सुन कर स्वयं इस बात का इन्तज़ाम ज़रूर करें । जो रकम वह मुआवज़े के तौर पर दे रहे हैं, उसको इस तरह बांटें कि जो बहुत गरीब हों, उनको १०० फ़ीसदी दें और उस से कम गरीब को ९० फ़ीसदी दें और इस तरह कम करते जायें ––इस प्रकार का एक स्लैब-सिस्टम बना कर दो लाख तक ले जायें, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है । जो सब से ज्यादा गरीब हों, उनको ज्यादा से ज्यादा दिया जाये–– उनको १०० फ़ीसदी तक दिया जाये, और जितनी गरीबी कम होती जाय, मुआवज़े की परसेन्टेज को भी कम कर दिया जाये ।

मैं उन बातों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, जिन के बारे में मेरे दूसरे भाई बहुत कुछ कह चुके हैं । मसलन आक्शन––नीलामी––के बारे में हर भाई ने यह मत प्रकट किया कि पिछले आठ साल से आप उन्हें बसाने का काम करते आये हैं, जिस से विस्थापितों को थोड़ी सी सहूलियत मिली है । अब अगर उस थोड़ी सी सहूलियत को खतरे में डालने वाला कोई कदम आप उठायें, तो उसको ऐसा कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसके दिल में ज़रा भी इन दुखी जनों से हमदर्दी हो । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इन नियमों में आक्शन की जो तजवीज रखी गई है, उसको हटा दिया जाये । इन नियमों में देहाती लोगों, अथवा ग्रामीण लोगों को डिस-एडवान्टेज पर रखा है, उनको बराबरी का दर्जा देने का ख्याल नहीं किया है और इस लिये यह एक अन्याय है और नामुनासिब बात है, जिसको हमें दूर करना चाहिये ।

हमारे डिप्टी मिनिस्टर आफ रीहैबिलिटेशन ने यह घोषणा कर दी है कि हम वह भेद खत्म कर रहे हैं । इसके साथ ही मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे विस्थापित हैं, जिन्होंने सरकार से आज तक किसी किस्म की मदद नहीं ली है और जो शुरू शुरू में शहरों में आ कर ऐसे मकानों और दुकानों में किसी न किसी तरह बस गये हैं और फिर से अपना जीवन निर्वाह करने के लिये काम-धंधा कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि अगर किसी भी स्टेज पर किसी भाई या बहिन का कोई सही क्लेम या सही मांग आप के सामने आये, तो आप को उसे स्वीकार कर लेना चाहिये और मन्जूर करना चाहिये, क्योंकि आखिर हमारा मकसद तो यह है कि जिस आदमी

वे तकलीफ उठाई है, उसको किसी तरह से कम कर के कहीं न कहीं उसको मुआवजा दें और उसको बसने में मदद करे।

जहां आपने डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज के लिये कुछ सहूलियतें रखी हैं वहां मंत्री महोदय आप इस बात का भी ख्याल रखें और रूल्ज़ में प्रोवाइड करें कि जो लोग शहरों या गांवों में इवैक्वी प्रापर्टी (निकासी) के मकानों में रहते हैं या जो नान-डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज हैं और ऐसे मकानों में रहते हैं, अगर आप उनके मकानों को नीलाम कर के उनको बेदखल कर देंगे, तो इस तरीके से तो आप एक तरफ लोगों को बसायेंगे और दूसरी तरफ उजाड़ेंगे। असल में आपने अपने सामने यह नजरिया रखा है कि सब देशवासी समृद्धिशाली हों, सब की जिन्दगी बेहतर हो और सब लोग आराम से और सुख से रहें। मान लीजिये कि एक कटरा है, एक मंडी है, जिस में डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज भी रहते हैं और नान-डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज भी। नान-डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज से आप कहें कि नीलाम में दुगुनी या चौगुनी रकम दो और अगर वे देना मुनासिब न समझें, तो वह मकान कोई दूसरा ले ले और उनको खतरा हो जाये कि जिस जगह हम कितनी देर से रह रहे हैं, वहां से हम को निकलना पड़ेगा। यह बात भी ठीक नहीं है और खतरे को दूर कर देना चाहिये तो यह चीज भी आपको सामने रखनी चाहिये क्योंकि मैं समझता हूं कि यह सरकार का फर्ज है कि जहां वह विस्थापितों को स्थापित करने का इन्तिजाम करे वहां यह भी देखे कि जो सैकड़ों भाई निकासी जायदादों में बसे हुये हैं; जिनमें शरणार्थी भी हैं और गैर शरणार्थी भी हैं उनके लिये यह खतरा न पैदा हो जाये कि वे हजारों की तादाद में उजड़ जायें और उनके ऊपर मुसीबत आ पड़े। तो मैं अर्ज करूंगा कि इन सारे नियमों पर गम्भीरता पूर्वक फिर से विचार करें और इनमें जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है और इन विस्थापितों की तकलीफों को दूर करने के कर्त्तव्य जो हमारी सरकार के सामने है वह ठीक तरह से पूरा किया जाना चाहिये और मैं आशा करता हुं कि मंत्री महोदय, जिन्होंने इस मामले में काफी चिन्ता प्रकट की है, वह ऐसा प्रयत्त करेंगे और इन नियमों में इस प्रकार के सुधार करेंगे कि जिससे सब को संतोष होगा।

सभापति महोदय: सभी दलों के सदस्यों को बोलने का अवसर दिया गया है। आपको भी अवसर मिलेगा। यह बात दूसरी है कि कांग्रेस दल के सदस्यों की संख्या अधिक है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: इसमें सन्देह नहीं है किन्तु वाद-विवाद में सन्तुलन रहना चाहिये। उस पक्ष के नौ सदस्य बोल चुके हैं जबकि इधर से एक भी सदस्य को अवसर नहीं मिला है।

श्री एम० एच० रहमान (जिला मुरादाबाद–मध्य): आज जिस मसले पर हम बहस कर रहे हैं वह बहुत ही अहम है।

सभापति महोदय: अब मैं निवेदन करूंगा कि सभी सदस्य केवल दस मिनट ही ही बोलेंगे अन्यथा अन्य सदस्यों को शिकायत बनी रहेगी कि उन्हें वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता है।

सरदार इकबाल सिंह: केवल दो दिन का समय इसके लिये मिला है। दूसरे दस मिनट में बोला भी क्या जा सकता है? जो सदस्य अब तक बोल चुके हैं उन्हें यह कैसे पता लगेगा कि पूर्वी पंजाब में बसे शरणार्थियों पर इन नियमों को लागू करने का क्या प्रभाव पड़ेगा?

सभापति महोदय: माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते कि जो सदस्य पंजाब के नहीं हैं वे इस विषय में अनभिज्ञ हैं।

श्री एम० एच० रहमान: मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो मसला ज़ेरे बहस है वह बहुत अहमियत रखता है। एक पूरे आठ वर्ष की मुद्दत के बाद हम आखरी तौर पर कम्पेनसेशन देने का फैसाल कर रहे हैं और उसके लिये कवायद बना रहे हैं। इस सिलसिले में कोई लम्बी बात कहना बेजा है। इस पर हाउस में बहुत काफी कहा जा चुका है। और हर शख्स यह जानता है कि धर्म, इखलाक और कानून सब की रू से एक इन्सान जो अपने घर को बरबाद करके आया है और अब इस मुल्क का बाशिन्दा है उसकी मदद करना सबसे बड़ी सेवा और खिदमत है। आज हमारे लिये इन लोगों की सबसे बड़ी खिदमत यही है कि हम उनके लिये इस तरह से ऐसा इन्तजाम करें कि वह अपने पुराने घरों को भूल कर इस मुल्क को अपना वतन समझने लगें। यह तभी हो सकता है जब उन के दुख दर्द को दूर किया जाये और उनकी मदद की जाये।

अब में चन्द पुआइन्टस की तरफ आपकी तवज्जोह दिलाना चाहता हूं। मिनिस्टर साहब और डिप्टी मिनिस्टर साहब इस जानिब तवज्जोह दें। यह कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि जिस तरीके से आपने इन्टेरिम वक्त के लिये दो हजार क्लेम करने वालों के लिये ६० फीसदी मन्जूर किया था तो खयाल यह था कि जब आप इसको फाईनल करेंगे तो यकीनन सौ फी सदी कर देंगे और उनको पूरा मुआवजा दिया जावेगा। लेकिन इस बारे म हाउस में बार बार हकूमत ने अपनी मजबूरी जाहिर की है। जिन लोगों को क्लेम का सिर्फ दो हजार मिलना चाहिये। आज उनको ६० फ़ीसदी से बढ़ा कर ६६ फ़ीसदी देने का जिक्र किया जा रहा है इससे किसी का क्या भला हो सकता है और कौन इस तरह से पूरी तरह से अपनी जिन्दगी को फिर से बनाने की उम्मीद कर सकता है। कम से कम ऐसे केसिज में तो १०० फ़ीसदी होना चाहिये। यहां हम बड़े बड़े टैक्सिज का जिक्र करते हैं और इस तरह से अपनी फाईव ईयर प्लान को कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह हमको इस बात की भी फिकर होनी चाहिये कि उन बरबादशुदा इन्सानों का भी सही तौर पर दूख दूर कर सकें। आप कहते हैं कि हमने ६० फ़ीसदी से बढ़ा कर ६६ फ़ीसदी कर दिया है। इससे ज्यादा कानून इज्जात नहीं देता। मैं चाहता हूं कि अगर इस अच्छे काम को करने में कोई कानूनी दिक्कत है तो उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि करीब एक लाख इन्सान ऐसे होगे कि जिनको एक एकड़ या डेढ़ एकड़ जमीन अलाट की गई। और वह किसी भी मजबूरी की वजह से उस पर कब्जा नहीं कर सके तो उन लोगों को आज हाउसिंग स्कीम से महरूम किया जा रहा है और आज उनको इस बिना पर कम्पेनसेशन नहीं दिया जा रहा है। यह लोग जमीन पर कब्जा भी नहीं कर सके और टैक्नीकल बुनियाद पर उनको घर से भी महरूम कर दिया गया। अब वह छोटे से मकान के भी हकदार नहीं रहे। मैं समझता हूं कि यह किसी भी तरह मुनासिब नहीं है इस बात को संजीदगी के साथ सोचना चाहिये। यह बात नहीं है कि जो कुछ हाउस में कहा जाता है वह महज तकरीर करने के लिए कहा जाता है। वह हमारे दिल की आवाज है जिसको हम यहां पेश करते हैं। हम जिन सोसायटियों में बैठते हैं उनके हालात को देखते हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जह

दिलाते हैं। आज आप उन को एक छोटे घर से भी महरूम कर रहे हैं हम समझते हैं कि यह कतईयन ना इन्साफी है। उनको इन्साफ मिलना चाहिये।

तीसरा पौइन्ट मेरा यह है कि आपने यह कानून में कहा है कि जिसके पास चार एकड़ जमीन हो अगर उसके मकानात की कीमत दस हजार हो तो वह अपना क्लेम दाखिल कर सकता है और अगर दस हजार क़ीमत नहीं है तो उसको क्लेम दाखिल करने का कोई हक नहीं है। इसी तरह आपने यह तय किया है कि अगर किसी के पास चार एकड़ से ज्यादा जमीन है, अगर उसके क्लेम की तादाद बीस हजार से ज्यादा होती है तो वह एक क्लेम दाखिल कर सकता है। अगर इसके क्लेम की क़ीमत बीस हजार से कम है तो उसको कोई क्लेम देने का हक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह किसी तरह भी माकूल नहीं है। इन्साफ तो यही है कि उसको अपना पूरा क्लेम दाखिल करने का हक़ होना चाहिये। अगर आपने उसको चार एकड़ जमीन दे दी है तो उस पर कोई अहसान नहीं किया है। उसको हक होना चाहिये कि वह अपना पूरा क्लेम दाखिल कर सके।

सभापति महोदय : वह जमीन तो उसको उस जमीन के बदले मिली है जो कि वह पाकिस्तान में छोड़ आया है।

श्री एम० एच० रहीमान: यह कहना कि इस सूरत में वह अपना क्लेम पेश नहीं कर सकता, ठीक नहीं है। मुझे इस पर एतराज है। मैं चाहता हूं कि उसके जितने भी मकान हैं उन सब के लिये उसे क्लेम दाखिल करने का हक दिया जाये। इस मामले में इस तरह का बटवारा करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है।

इसक अलावा अहम गुजारिश यह है कि आपको मालूम है कि बहुत से आदमी बीमारी की वजह से या नावाक़फियत की वजह से अपने क्लेम दाखिल नहीं कर सके हैं। अगर वह अपना क्लेम दाखिल नहीं कर सके हैं तो यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि अब तुम क्लेम दाखिल नहीं कर सकते या इसके लिये डाक्यूमेंटरी प्रूफ दिया जाना ज़रूरी है, यह शर्त नहीं रखनी चाहिये। हमको तो उनकी इमदाद करनी है। सिर्फ क्लेम का सवाल नहीं है। सवाल तो उन को इमदाद देने का है। अगर इस सूरत में इसका क्लेम न दिया जाये तों मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं होगा। लोग परेशान हैं। श्री महरचन्द खन्ना साहब के मिनिस्टर होने से वह रोते हैं। मैं पहले कुछ लोगों को मिनिस्टर साहब के पास ले गया था लेकिन मुझ को वही जवाब मिला कि हमने तो एक कानून बना दिया है। उसी तरीके से काम होगा। आखिर में मुझे एक बात और कहनी है और वह यह है कि आप ने एक असूल यह भी बनाया हुआ है कि पांच हजार से कम कीमत के जो मकानात या दुकानें हैं उनको अगर क्लेम में शामिल किया गया है तो वह अलाट कर दी जायें। लेकिन अगर उससे ज्यादा कीमत की हों तो फिर उनकी नीलामी होगी। मैं चाहता हूं कि अगर इस लिमिट को आप दस हजार तक बढ़ा दें तो ज्यादा बेहतर है। पांच हजार की लिमिट बहुत कम है और उसके मौजूद रहने से रिफ़्यूजी भाइयों को बहुत ही कम नफ़ा पहुंच सकेगा। लेकिन अगर आप इसकी लिमिट बढ़ा कर दस हजार तक कर दें तो उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। कीमत के मामले में सिर्फ इतनी और गुजारिश है कि कीमत के मामले में यह देखना है कि जो कीमत आप लेते हैं वह किस तरह की जमीन के मुताल्लिक है। अगर आप ने नजूल की जमीन या हकूमत की जाती मिलकियत मुआवजा में रखी है उसको

[श्री एम० एच० रहमान]

आप बिला शुबा मारकेट की क़ीमत पर दे सकते हैं और मारकेट की क़ीमत लगा सकते हैं। लेकिन जो जमीन आपने खरीदी है तो जिस क़ीमत पर आपने इसको ख़रीदा है आपकी ड्यूटी है और आप का फ़र्ज है कि इसकी सिर्फ आप इतनी ही क़ीमत लें और इसके बाद इसमें मीन मेख लगाना, शर्तें और पाबन्दियां आयत करना मुनासिब नहीं है।

यह चन्द चीज़ें हैं जिनको कि मैं ने आपके सामने रक्खा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन चीज़ों पर खास तवज्जोह देंगे और कम्पेन्सेशन के क़वायद बनाते वक्त इन असूलों को और इन बातों को आप खास तौर पर मद्दे नज़र रखेंगे। मैं ने यह बार बार उस चीज़ को कहा है कि हाउस में तक़रीर सिर्फ तक़रीर करने के लिये ही नहीं की जाती है बल्कि हिन्दुस्तान के कोने कोने से यही आवाज़ आ रही है कि हमारे इन मुसीबतज़दा भाइयों की तक़लीफ़ों को रफा करने की कोशिश हकूमत का अवलीन फ़र्ज़ है। आपको सिर्फ अपने दफ्तर की राय और उनकी सलाह पर ही इकतफा नहीं करना चाहिये बल्कि हिन्दुस्तान के लोगों की वह आवाज़ भी सुननी चाहिये जिसको हम इस एवान में पहुंचा रहे हैं। उसको सुनें और वह मुनासिब हों तो उस पर मुनासिब कार्यवाही करें। इन लफ्ज़ों के साथ मैं आपका ध्यान इन चन्द बातों की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जो मैं ने अपनी तक़रीर के दौरान में कही हैं।

श्री टंडन (ज़िला इलाहाबाद पश्चिम) : यह विस्थापितों का प्रश्न सदा से मेरे हृदय पर गहरी चोट करता आया है। मैं ने अनुभव किया कि हम लोगों ने, जो इस ओर भारतवर्ष के उन भागों में रहे हैं जहां मारकाट नहीं हुई और जहां के लोग बिना घरबार वाले नहीं बनाये गये, हम लोगों ने स्वतन्त्रता बहुत आसानी से, अपेक्षित दृष्टि से, बहुत आसानी से पाई जब कि पुराने पंजाब और पूर्वी बंगाल के रहने वाले भाइयों को स्वतन्त्रता के लिये गहरा मूल्य देना पड़ा। ऐसी सूरत में हम लोगों का जिनको कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ कर्तव्य था कि हम विस्थापितों के कष्ट में हृदय खोल कर शामिल होते। मैं ने इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर एक समय यह सुझाव दिया था कि हम लोगों के ऊपर एक विशेष टैक्स विस्थापितों के कष्टों को दूर करने के लिये लगाया जाय। इधर हमारे बहुत धनी लोग हैं, उनके धन का अगर कुछ भाग इसमें ले लिया जाता तो एक अच्छी रक़म खड़ी हो सकती थी और उसका उपयोग इन दुखी भाइयों के कष्ट को कुछ कम करने के लिये किया जा सकता था; परन्तु मेरा वह सुझाव नहीं माना गया। सरकार ने अपनी असाधारण आय में से इनकी कुछ सहायता की, परन्तु वह सहायता बहुत ही कम रही है। जो हमारे पुनर्वास मंत्री महोदय हैं, उनके ऊपर तो मेरा इस विषय में कोई आक्षेप हो ही नहीं सकता क्योंकि वह तो नीति की बात थी। प्रारम्भ काल से जब यह मुसीबत हमारे ऊपर सन् ४७ में आई, उस काल से मेरे ऊपर यह असर है कि केन्द्रीय सरकार ने, इस विषय में जो सहानुभूति, क्रियाशील सहानुभूति दिखलानी चाहिये थी, उसमें बहुत कमी की है। मेरा यह आक्षेप अपनी गवर्नमेंट पर अवश्य रहा है और आज भी है। हम लोगों ने अनुमान किया था कि जो हमारे भाई पाकिस्तान से आये थे, उनकी लगभग १५, २० अरब रुपये की हानि हुई थी। आज उस हानि के बदले में हमने उनको क्या दिया है? गवर्नमेंट ने अब तक सब मिला कर क्या दिया है? बहुत कम दिया है। मेरा तो आज भी

सुझाव है, मैं जानता हूं कि हमारे मंत्री जी के हाथ में इसकी पूर्ति नहीं है, परन्तु मैं फिर भी कह रहा हूं, इसलिये कि मैं आशा करता हूं कि कम से कम मेरी बात वह अपनी कैबिनेट को सुना तो देंगे, यह तो बतला देंगे कि यह मांग है, हमारी मांग यह है कि इस आखिरी समय में भी, जब अपने भाइयों का प्रतिफल, मुआविज़ा निश्चित कर इस विषय को, अन्तिम निर्णय देना है, तब हम पहले से कुछ अधिक उदारता दिखलायें । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने पचास करोड़ की बात की थी । मैं तो उसको बहुत थोड़ी सी रक़म समझता हूं लेकिन आप उसे भी देने को तैयार नहीं हैं । मैं तो चाहता हूं कि इससे कहीं ज्यादा रक़म उनको दी जाये । गवर्नमेंट ने अब तक जो रकम इसमें दी है उसमें और मिलाये । कम से कम गवर्नमेंट ४, ५ अरब रुपया पूरा करे । आप बड़ी बड़ी योजनाओं के लिये काफ़ी रुपया कहीं न कहीं से निकाल लेते हैं तो इसके लिये भी आप अवश्य कोई व्यवस्था कर सकते हैं । अगर आप उसके लिये विशेष टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं तो, आप कहीं और से इसका प्रबन्ध करिये और इस कोष को बढ़ाइये । यह जो १८५ करोड़ रुपये का आपने कम्पेन्सेशन पूल बनाया है, यह बहुत ही कम है । जिस तरह से कि ज़मीनों की बात हुई थी अर्थात् जो भाई उधर ज़मीनें छोड़ कर आये हैं उनको जिस अनुपात से जिस रेशियो से आपने भूमि दी पंजाब में, आज जो रुपया आप दे रहे हैं वह उस रेशियो से भी कम है हालांकि आप जानते हैं कि आज आप यह मुआवज़ा जो दे रहे हैं इस मुआवज़े के देने में उन हानियों को आप नहीं देख रहे हैं जो चल सम्पत्ति के छूट जाने से उनको हुई है । जितनी चल सम्पत्ति विस्थापितों की गई उसको आप ने हिसाब में नहीं लिया । आप ने केवल मकान आदि को देखा । जो छोटे छोट लोग थे उनको भी आप बहुत कम करके मुआवज़ा दे रहे हैं । यहां पर यह सुझाव भी दिया गया है और मैं इससे सहमत भी हूं कि जो बहुत छोटे लोग हैं उनको कुछ सीमा तक अधिक देना चाहिये । जो आपने उनके दावे स्वीकार किये हैं उन दावों की पूरी रक़म कम से कम कुछ लोगों को देनी ही चाहिये ।

यहां अभी थोड़ी देर हुई गृह मंत्री पंत जी आये थे लेकिन अब तो वह चले गये हैं । अगर वह होते तो मैं जो बात अब कहने जा रहा हूं वे उसको स्वीकार करते । उत्तर प्रदेश में जब ज़मींदारी प्रथा समाप्त हुई तो यह बात ठीक थी कि जिन से ज़मींदारियां ली गई उन को उन ज़मींदारियों के बदले में कम रुपया दिया गया क्योंकि उनको पूरा रुपया देना मुमकिन नहीं था । परन्तु जो नीचे दर्जे के लोग थे उनमें से बहुतों को पूरा मुवावज़ा देने का यत्न हुआ और जैसे जैसे ऊपर मूल्य चढ़ा वैसे वैसे मुआवज़े की रक़म कम होती गई । आप ने तो पूरा मुआवज़ा देने की कहीं बात ही नहीं रखी । मेरा सुझाव है कि कुछ हद तक लगभग ५,००० रुपये तक के जिन के दावे हैं उनको पूरा मुआवज़ा देने का यत्न आप कीजिये, इसका नतीजा यह हो सकता है कि ऊपर जाकर दो लाख से ऊपर मुआवज़े में आपको कुछ कमी करनो पड़े । मैं समझता हूं कि अगर आपको ऐसा करना पड़े तो यह बेहतर होगा कि आप इसको भी करें । मैं यह नहीं कहता कि आप उनके मुआवज़े को अवश्य घटा दें लेकिन अगर दोनों में चुनना पड़े तो जो लोग गरीब हैं उनको आप ज्यादा सहूलियत दें । जिन को दो लाख का मुआवज़ा देना है उनको कुछ कम दिया जाये तो यह ज्यादा अच्छा होगा, यदि साथ ही साथ जो गरीब हैं उनको आप कुछ हद तक पूरा मुआवज़ा दें ।

[श्री टंडन]

जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आप यह काम तभी कर सकते हैं जब आप कुछ पैसा और उस में लगायें। पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने अपने भाषण में इस बात की चर्चा की है कि जो आश्वासन पूर्वगामी मंत्री श्री अजित प्रसाद जैन ने इस भवन में दिये थे उनको पूरा किया जाये। उन्होंने यह वायदा तो नहीं किया था कि वह गवर्नमेंट से रुपया दिलवा सकेंगे या दिला देंगे परन्तु उनके कुछ शब्द बहुत साहस के थे। उन्होंने कहा था कि मुझ को अपने में भरोसा है, यह शब्द उनके थे। साथ ही उन्होंने हमदर्दी भी दिखलाई थी.....

सभापति महोदय : यह भी कहा था कि जब दूसरा प्लान तैयार होगा उस वक्त भी मैं यह चीज़ गवर्नमेंट के सामने रखूंगा और साथ ही उन्होंने रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट के बारे में कहा था कि और ज्यादा के लिये यत्न करूंगा ।

श्री टंडन : उन्होंने कहा था कि मैं फिर गवर्नमेंट के सामने उनकी बात को रखूंगा। मेरा विश्वास है उन्होंने बात रखी होगी। मुझे आशा है कि वर्तमान मंत्री जी, अब इस विषय में यत्न करेंगे। मैं जानता हूं कि इसके लिये आपको अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। यह काम एक करोड़, दस करोड़ या पच्चीस करोड़ में होने वाला नहीं है। आपको काफ़ी रुपया चाहिये। मैं यह अन्तिम निवेदन इस विषय पर करना चाहता हूं और शायद आज ही ऐसा निवेदन करने का अवसर है, कि आप इन विस्थापितों के साथ अधिक न्याय कीजिये। आप उन लोगों से लीजिये जिन्होंने बहुत आराम के साथ स्वराज्य पाया है और जो दुमहले, चौमहले दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में खड़े कर रहे हैं। इन सब से आप पैसा निकालें। मामूली आदमी की जेब में भी आप हाथ डालें, हम सब भी कुछ न कुछ दे सकते हैं। परन्तु इन दुखियों की ओर आप कुछ और कृपा की निगाह से देखिये। मैं बराबर अनुभव करता हूं कि किस प्रकार से यह दुखी लोग दौड़ते फिरते रहे हैं, छोटे छोटे स्थानों पर आते हैं। मेरा कार्यालय है, लोक सेवक मंडल का। मैं देखता हूं कि उस कार्यालय में मैं और मेरे साथी अर्चित राम जी बहुत कुछ तो नहीं कर पाते परन्तु कुछ उनको यह विश्वास है कि वहां सहानुभूति मिलती है और इसी लिये वहां ये लोग दौड़े चले आते हैं। ये लोग वहां आज से नहीं आ रहे हैं। जब से यह मुसीबत आई है तब से ही आते हैं। कुछ अनुभव हम लोगों को होता है कि कितनी कठिनाई इनको होती है। मकानों का ही प्रश्न है जो अब नीलाम हो रहे हैं। अपना दुःख सुनाने के लिये कितने ही लोग हमारे पास आते हैं।

मुझे अपना भाषण समय में समाप्त करना है। बस यह आप की गवर्नमेंट से मुझे अन्त में कहना है कि इस मामले में अधिक न्याय करने की बात सोची जाय और इन दुखियों का दुख दूर करने के लिये जहां से भी हो आप पैसा इकट्ठा करें। मेरी समझ में तो कम से कम १०० करोड़ रुपया अधिक आप लगावें। पंडित भार्गव जी ने ५० करोड़ की जो मांग की है उसको मैं थोड़ा समझता हूं। १०० करोड़ रुपया, उस सब को छोड़ कर जो कि आप ने आज तक दिया है, यदि आप और दें पतो भी मैं समझता हूं कि यह कम ही होगा।

मेरी यह आवाज़ आप कैबिनेट तक पहुंचा दें, यही अन्त में मुझे मंत्री महोदय से प्रार्थना करनी है।

श्री पी० एन० राजभोज : हमारे टंडन साहब ने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि यह जो सवाल है यह कितना कठिन सवाल है

निर्वासितों के बारे में मुझे गवर्नमेंट से यह कहना है कि अभी तक जो कुछ उन्होंने किया है उसके लिये पहले में उनको धन्यवाद देता हूं । हमारे सामने डेपुटी मिनिस्टर भोंसले साहब बैठे हुये हैं और मुझे मालूम है कि उन्होंने रिफ्यूजीज़ के लिये क्या क्या किया है । जो लोग पाकिस्तान से आये उन के दो वर्ग थे । मेरे ख्याल में जो लोग सिंध वगैरह से आये या दूसरे पाकिस्तान के भागों से आये उन क बारे में कुछ खास नहीं किया गया है । यह दो वर्ग जो थे उनमें से एक गरीब थे और दूसरे अमीर । जो लोग अमीर थे उनके लिये तो काफी कुछ किया गया है लेकिन जो गरीब थे उनके प्रश्न को हल करने के लिये काफ़ी कुछ नहीं किया और उनके दुखों को दूर नहीं किया जा सका है । मैं मानता हूं कि भोंसले जी और मेहरचन्द खन्ना जी उनके वास्ते काफ़ी कुछ कर रहे हैं । मेरा यह ख्याल है कि इस देश में निर्वासितों के बारे में जो काम हमारी सरकार ने किया है, वह बहुत प्रशंसनीय है और पाकिस्तान, इंगलैंड, जर्मनी इत्यादि जहां कहीं भी निर्वासितों का सवाल पैदा हुआ, वहां उनकी समस्या को हल करने के लिय इतना ज्यादा और इतना अच्छा काम नहीं किया गया है, जितना कि हमारी सरकार ने किया है ।

मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इस सवाल को राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मेरे विचार में इस सवाल को बहुत दया और मानवता की दृष्टि से देखना चाहिये । खन्ना साहब से मैं यह कहना चाहता हूं कि निर्वासितों में दो प्रकार के लोग हैं—बड़े और छोटे । उनमें से एक तो बड़े पूंजीपति लोग हैं, जो १९४७ में रायट्स होने से पहले ही पश्चिमी पाकिस्तान से भाग आये और अपनी सारी कीमती चीजें अपने साथ ले आये । उन्होंने ज़मीन, मकान और जायदाद वहा छोड़ी होगी, परन्तु यहां आने के वक्त उनके पास बहुत सारा पैसा था, जो उन्होंने धन्दे में लगा दिया और उससे मकान खरीद लिए और दूसरी सारी चीजें खरीद लीं । तब भी वे निर्वासित माने जाते हैं और कम्पेन्सेशन के लिए उनका हाथ सब से आगे है । लेकिन दूसरे निर्वासितों की हालत निराली है । रायट्स शरू होने के बाद उनको अपना सब कुछ छोड़ कर पाकिस्तान से भागना पड़ा और वे अपने साथ कुछ भी न ला सके शायद अपनी जानें ही उन्होंने बचा लीं—बाकी कुछ नहीं । ऐसे कई निर्वासित हैं, जिनके कुटम्ब के कई लोग मारे गये । वह बात अब पुरानी हो गई है । इसलिये उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । फिर भी मेरा कहना यह है कि उन गरीब लोगों ने कुछ मकान, कुछ जमीन, कुछ बैल, भस और कुछ और सामान तो वहां छोड़ दिया और उनका क्लेम किसी ने दिया और किसी ने नहीं । वे अनपढ़ और गरीब लोग हैं, वे क्लेम देना नहीं जानते । डाकूमेंटरी प्रूफ वगैरह भी वह कैसे दे सकते हैं। उन्ही लोगों मे [illegible] अछूत भाई भी हैं । हम अनपढ हैं गरीब हैं और बैकवर्ड हैं, इसीलिए तो आपने हमें घटना में संरक्षण दिया है । इसलिये हमें आपसे यह भी संरक्षण मिलना बहुत जरूरी है कि हमारे क्लेम हों या न हों, हमें कुछ जमीन या कम्पेन्सेशन जरूर मिल सके । खन्ना साहब और भोंसले साहब से मैं यह बातें कहना चाहता हूं ।

हमारे जो हरिजन भाई हैं, उनको जो जमीन मिल गई है, उसके वह मालिक रहें जिन लोगों ने अभी तक क्लेम्ज़ नहीं दिये हैं उनके कलेम्ज का अभी भी विचार हो और अगर इसके लिये रूल्ज वगैरह में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, तो वह कर लिया जाय । हमारे जो गरीब निर्वासित हैं आप उनका ख्याल कीजिये । सरकार उनकी सहायता तो जरूर करती है, परन्तु मेरी प्रार्थना है कि उनको इन्स्टालमेंट्स वगैरह के बारे में ज्यादा सहूलियतें दी जायें ।

[श्री पी० एन० राजभोज]

मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद हजारों महाराष्ट्रीय भाई कराची और दूसरे शहरों से यहां आए वे लोग नौकरी धंधे के लिए वहां बह देर से रहते थे जब यहां आए उनको सब कुछ वहीं पर छोड द । उन्होंने अपने आप को निवासित रजिस्टर नहीं कराया और उन्होंने कलेम्ज भी नहीं दिए। ये लोग बड़ी मुसीबत में रहते हैं । देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने भी कीमत दी है । पश्चिमी पंजाब और सिन्ध के जो नागरिक थे, उन्हीं की तरह से महाराष्ट्रीय भी वहां के निर्वासित हैं। उनको भी वहां से भागना पड़ा और इस में उनका कोई दोष नहीं है। इसी लिये मेरी सरकार से और खन्ना साहब से प्रार्थना है कि काम्पेन्सेशन के बारे में इन लोगों का भी विचार रखा जाये ।

कई इलाकों में निर्वासितों के लिए जो बस्तियां बनी हैं उन के लिये एक यूनिफ़ार्म पालिसी होनी चाहिये। मुझे मालूम है कि दिल्ली में करोलबाग, गांधीनगर और दूसरी जगहों पर हरिजनों की जो बस्तियां बनी हैं, उनमें बहुत छोटे छोटे कमरे बनाये गये हैं, जिनमें रहना बहुत कठिन है। इस बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि हरिजनों के लिये अलग वस्तियां बनाई जाये। जब हम उन लोगों को अपने समाज में शामिल करना चाहते हैं और इस देश से छुआछूत को निकालना चाहते हैं तो हरिजनों के लिये अलग वस्तियां बनाना उचित नहीं है। मैं इस बात के वि द्ध हूं। मेरी प्रार्थना है कि हरिजन निर्वासितों को मकान और ज़मीन आसान किस्तों पर देने का प्रबन्ध किया जाय और उनकी हालत को सुधारने और उनके कष्टों का दूर करने की और ज्यादा कोशिश करनी चाहिये । आज सवेरे मेरे भाई चोयथराम सेवक ने, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, मुझे वहां की हालत बताई । वहां पर पच्चीस हज़ार रेफ्यूजी भाई रह रहे हैं, अलवर में बारह हज़ार रहते हैं और गंगानगर में सात हज़ार रहते हैं और कई जगह पर उनकी वस्तियां हैं । उन लोगों को ज़मीन और मकान देने का प्रबन्ध करना चाहिये और उन की हालत को सुधारने के लिये सरकार की तरफ से ज्यादा कोशिश होनी चाहिये । स्कूलों के बारे में उनको ग्रान्टस दी जाती हैं उनको बढ़ाया जाय और विद्यार्थियों के लिये वज़ीफ़े का प्रबन्ध किया जाय और सब प्रकार से उनकी उन्नति की कोशिश की जानी चाहिये ।

यहां पर टंडन साहब ने और हर एक पार्टी के लोगों ने निर्वासितों के सवाल को जल्दी और ज्यादा अच्छी तरह हल करने के लिये कहा है । इसलिये सरकार का कर्तव्य है कि वह इस बारे में जल्दी काम करे और निर्वासितों के कष्टों को दूर करे।

अन्त में मैं फिर यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार दलित वर्ग के लोगों के लिये---बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिये---- अलग बस्तियां न बनाये और ऐसा इन्तजाम करे कि वे हिन्दू समाज के एक बराबर के भाग बन कर रहें और देश की उन्नति के लिये पूरा योग दें ।

श्री यु० एम० त्रिवेदी : मैं विशेषतः माननीय मंत्री का ध्यान नियम ७ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो सार्वजनिक देय का निश्चय करने के सम्बन्ध में है। आप एक ओर शरणार्थियों को कुछ धन देते हैं और दूसरी ओर उसमें से कुछ वापस

ले लेना चाहते हैं। व्यवस्था यह की गई है कि किसी भी दावे का भुगतान करते समय उसमें से सार्वजनिक देय घटा दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो सरकारी इमारतें १,५०० रुपये या २,००० रुपये की लागत लगाकर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई गई हैं, वास्तव में यदि कोई व्यक्ति उन्हें निजी तौर से बनवाता तो उनकी लागत २०० रुपये या ३०० रुपये से अधिक नहीं आती क्योंकि लोक निर्माण विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप इन्हीं आंकड़ों के आधार पर इन मकान का मूल्यांकन करते हैं और किराया वसूल करते हैं।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि मेरी ओर रहन-सहन बड़ा सस्ता है और जिन मकानों का किराया छः या आठ आने होना चाहिये था सरकार उनका किराया ७ रुपये १५ आने प्रति मास के हिसाब से वसूल कर रही है। यदि आप दावे के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि में से इसी दर पर किराया भी काट लेंगे तो फिर उन्हें मिलेगा ही क्या ? इस बात पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

छोटे छोटे शहरी ऋण भी इसमें से काटे जायेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि सरकार की निश्चित नीति यह होनी चाहिये कि ये ऋण वसूल न किये जायें और एक कोष बनाया जाये। कुछ सदस्यों और आपने तथा टण्डन जी ने यह कहा कि ५० करोड़ की राशि कुछ भी नहीं है। इसके लिये यदि आप १८ करोड़ लोगों से पांच रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से वसूल कर लें तो ९० करोड़ रुपये की राशि एकत्र हो सकती है। यदि योजना आयोग की बड़ी बड़ी योजनाओं में चल रहे भ्रष्टाचार बन्द कर दिये जायें तो यह राशि बड़ी सरलता से उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार सारे भ्रष्टाचारों को रोकने से आपके पास २६९ करोड़ रुपये की राशि सरलता से हो जायगी शरणार्थियों में बांटी जा सकती है। अतः मेरा सुझाव यह है कि उन्हें जो कुछ मिलता है, या उन्हें दिया जा चुका है और जो वे पहले व्यय कर चुके हैं उसमें से कुछ न लिया जाये।

नियम ३५ के आधीन बस्तियों के वर्गीकरण की जो बात कही गई है वह मेरी समझ में नहीं आई है इस वर्गीकरण का आधार क्या होगा। यदि नियमों में इसकी व्यवस्था कौन करेगा ? अधिनियम में तो व्यवस्था की नहीं गई थी। इसमें भी क, ख और ग श्रेणियां की जा सकती हैं। अतः इस प्रकार की असंदिग्धाता को समाप्त किया जाना चाहिये।

मेरी समझ में एक बात यह भी नहीं आई कि आप भारत के बाहर बसने वालों को प्रतिकर देने की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं ? अफ्रीका, अदन का ब्रह्मा आदि में जा कर बस जाने वालों को प्रतिकर देने से क्या लाभ है। वह नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारत के नागरिक नहीं रहेंगे।

नियम ११९ को बनाना व्यर्थ इस अर्थ में है कि इसकी भाषा ठीक नहीं है। मेरे विचार से नियम का तात्पर्य यह है कि "इस अधिनियम की धारा ९ के अधीन उत्पन्न होने वाली कार्यवाहियों के अतिरिक्त।" मैं इस शब्दावलि का अर्थ नहीं समझ सका। मैं आपका ध्यान उन विभिन्न नियमों की ओर आकृशित करता हूं जिनके अधीन यह अनिवार्य है कि किसी भी शिक्षित अथवा बुद्धिमान व्यक्ति को सम्बद्ध अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना चाहिये मैंने आपको

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

एक स्त्री के विषय में लिखा था जिसका दावा पचास हज़ार रुपये का था, जो केवल अंगूठा लगाना जानती थी । वह स्त्री किस प्रकार किसी अधिकारी के सम्मुख जा कर अपना दावा प्रस्तुत कर सकती है ? उसका पचास हज़ार रुपये का दावा क्यों रद्द कर दिया गया ? क्योंकि वह नहीं जानती थी कि अपना दावा किसको, कहां पर, और कैसे देती, अतः समय पर दावा प्रस्तुत न कर सकने के कारण उसका पचास हज़ार का दावा अस्वीकृत कर दिया गया । अतः क्या आप ऐसा प्रबन्ध नहीं कर सकते कि इन लोगों को इस सम्बन्ध में कोई मार्ग दर्शक मिल सके ?

दूसरी बात यह है कि यह कोई स्थायी विधि नहीं है । हमें इसकी समाप्ति की समय सीमा निर्धारित करनी होगी । हम सब चाहते हैं कि प्रतिकर का यह प्रश्न जितनी जल्दी समाप्त हो सके उतना ही अच्छा है । इस विषय में मैं एक संगत प्रश्न पूछना चाहता हूं । जो हस्तान्तरण १ नवम्बय, १९५३ के पश्चात् पुनर्वास मंत्रालय द्वारा किये गये हैं आप उन्हें ही मान्यता देते हैं किन्तु जो उस दिन अथवा उससे पूर्व किये गये हैं उनके विषय में आपका कहना है कि वह जिस तिथि से हस्तान्तरित माने जायेंगे उसका अभी निश्चय किया जाना है । मुझे यह युक्तिसंगत नहीं दिखाई देता है । मैं आप का ध्यान इस नियमावलि के नियम ११८ की ओर दिलाना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि इन नियमों में यह उपबन्ध क्यों बनाया गया है कि सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रलेख सम्बन्धी मुद्रांकन्शुल्क सरकार द्वारा दिया जायेगा ? आप ऐसा नियम क्यों नहीं बनाते कि इस प्रकार के सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कोई मुद्रांक शुल्क नहीं लगेगा ? मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इन नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जहां कहीं आवश्यक हो इनमें संशोधन करें ।

सरदार इकबाल सिंह (फ़ाज़िल्का—सिरसा) : इन रूल्स के लागू करने का मंशा यह है कि जो कुछ रिफ्यूजी भाइयों को पंजाब में और सारे हिन्दुस्तान में मिल चुका है वह हमेशा के लिये उनके पास रह सके । इस देश में जो रिफ्यूजी आये वह ज्यादातर देहात के थे और देहात में जा कर बस गये । अब यह जो रूल लागू किये जा रहे हैं उनसे देहात के रिफ्यूजीज़ के साथ इतनी बेइन्साफी होगी जितनी कि अभी तक किसी ऐक्ट के ज़रिये नहीं हुई है । जिस आदमी ने ये रूल्स बनाये हैं उसने शहर वालों और देहात वालों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है । यह रूल्स ऐसे हैं कि देहाती आदमी कभी बस ही नहीं सकते । इनमें शहरी और देहाती लोगों में तफ़रक़ा किया गया है । अगर शहर में किसी को आठ हज़ार तक कैश मिल सकता है तो देहात में एक हज़ार तक ही मिल सकता है । शहरों में ५,००० तक का लैंड एलाट हो सकता है, पर छोटे शहर में दो हज़ार तक ही हो सकता है ।

इसके बाद ज़मीन का एलाटमेन्ट आता है । चाहे किसी की कितनी भी ज़मीन रही हो उसका देहात में पहली दफ़ा ३ एकड़ से ज्यादा नहीं मिल सकती और जो उसकी क़ीमत है वह भी साढ़े १३ या १४ हज़ार बनती है । क्या गुनाह किया था देहात वालों ने कि उनके लिये ऐसे रूल्स बनाये गये । इन रूल्स से देहात वालों के साथ बहुत बेइन्साफी होगी ।

साहबे सदर मैं देहाती मकानों के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं । अब कहा जाता है कि यह बड़ा मुश्किल है कि

दोबारा क्लेम इनवाइट किये जायें । मैं कहता हूं कि आप क्लेम इनवाइट करें और जिसको जो मुआवज़ा मिला हुआ है उसकी क़ीमत उस क्लेम में से ले लें । लेकिन अगर आप समझते हैं कि रिहैबिलिटेशन का यह मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आदमियों को इन्कार किया जाय, ज्यादा से ज्यादा आदमियों को न दिया जाय, ज्यादा से ज्यादा आदमियों के साथ बेइन्साफी की जाय तो मैं समझता हूं कि इस तरह से लोग बस नहीं सकेंगे । हो सकता है कि इस काम के लिये जो आपका पूल बना है वह ख़त्म हो जाय लेकिन अगर आप समझते हैं कि इस तरह से लोग बस जायेंगे तो यह आपका गलत ख्याल है ।

इसके आगे साहबे सदर में जानना चाहता हूं, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स हैं, उनकी बाबत मैं ज्यादा इसलिये नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब अमेंडमेंट्स पर बहस होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे अपने ख्यालात रखने का मौक़ा दिया जायेगा । लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि आप एक एकड़ की कीमत पचास एकड़ तक तो ४५० रुपये रखते हैं, उसके बाद उसकी क़ीमत भी कम कर देते हैं और आप लेने के वक्त कोई स्केल लगा देते हैं और देने के वक्त कोई दूसरा स्केल लगा देते हैं ताकि उनकी क़ीमत और कम हो जाय और मैं तो समझता हूं कि देहाती मकानों की ग्रेडिंग शायद इसी वजह से रक्खी गयी है ताकि उनको इन्साफ़ न मिल सके और हम ने देखा कि इसके मुताबिक़ हमारे खन्ना साहब के अफ़सरान ने जिन लोगों के हज़ारों रुपये के क्लेम थे उनके क्लेम इसी ग्रेडिंग के मसले को लेकर रिजेक्ट कर दिये । जब उनको क्लेम का पेमेंट करने का सवाल आयेगा तो यह अफ़सरान कह देंगे कि आपको ए ग्रेड का मकान मिल गया है इसलिये कम्पेन्सेशन नहीं दिया जायेगा और मैं समझता हूं और मुझे अन्देशा है कि इस ग्रेडिंग की वजह से हमारे देहाती क्लेमेंटस के साथ बड़ी बे इन्साफी होगी । मेरी उनसे अर्ज़ है कि वे देहाती क्लेमेंट्स के साथ इन्साफ करें और उनको मुनासिब क़ीमत दें । हर देहात में पटवारी बैठा है, उसके ऊपर तहसीलदार मौजूद है और वह उसकी कीमत जांच करके बतला सकते हैं और मैं चाहूंगा कि अगर उस की पांच की क़ीमत बैठती है, पांच हज़ार का वह मकान बैठता है तो आप उसको पांच हज़ार दें । मैं यह भी, नहीं चाहता कि आप देहातियों को ज्यादा कीमत दें, लेकिन जो वाजिब है और जो उन को मिलना चाहिए, वह उन को ज़रूर दें । मैं यह ज़रूर चाहता हूं कि आप उनके साथ इन्साफ़ करें और इस तरह पेश आयें ताकि हर एक इन्सान कह सके कि उनके साथ वाक़ई में इन्साफ़ हुआ है ।

हमारे सरदार हुक्म सिंह ने कुछ बातें बहावलपुर के रेफ्यूजीज़ के बारे में कही हैं और वह ग़ौर तलब हैं और सरकार को उन पर तवज्जह देनी चाहिये । मैं यहां पर एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर सरकार के मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज़ और दूसरे आला अफ़सरान अपने कौल पर क़ायम न रहें और उसके मुताबिक़ काम न करें तो ऐसी सरकार की इज्ज़त लोगों के दिलों में नहीं रह सकती । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बहावलपुर के रेफ्यूजीज़ अपनी मांग मनवाने के लिये भूख हड़ताल करते हैं और उनका सरकार के साथ एक फैसला होता है और पंजाब के डायरेक्टर जनरल यह कहते हैं कि भाई आपके क्लेमों का रेकार्ड अभी नहीं आया है, जब वह आ जायगा, उस वक्त हम दुबारा ऐलाट करेंगे और इन्साफ़ के साथ ऐलाट करेंगे । एक चिट्ठी सरदार त्रिलोक सिंह ने बहावलपुर के रेफ्यूजीज़ की भूख हड़ताल के खात्मे के बाद पंजाब

[सरदार इक़बाल सिंह]

के रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर को लिखी जो इस प्रकार है :

"श्रीमान्,

मैं बहावलपुर के शरणार्थियों के सम्बन्ध में हुये समझौते के पदों की एक प्रतिलिपि इसके साथ भेज रहा हूं जिसे पूर्वी पंजाब के पुनर्वास मंत्री ने १६ अगस्त, १९४९ को अनुमोदित कर दिया था ।"

उस फैसले का चौथा क्लाज़ यह कहता है :

"बहावलपुर और सिन्ध के राजस्व अभिलेख तथा अन्य निर्धारण क़ाग़ज़ात प्राप्त हो जाने के पश्चात् बहावलपुर और सिन्ध की भूमि का एक बार पुनः मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया जायेगा ।"

सरदार त्रिलोक सिंह ने जो नोट इस फैसले के बाद अपनी सरकार को भेजा है उस रेकार्ड में यह चीज़ मौजूद है :

"ऐसी भूमि के स्वामी, जहां सिंचाई के लिये बारह मास पानी उपलब्ध हो और जिसका मूल्यांकन अभी तक अन्तिम रूप से निश्चित न किया गया हो, अनुभव करते हैं कि उनके साथ अन्याय किया गया है ।"

मैं उस इलाक़े का रहने वाला हूं और मैं जानता हूं कि जब उस इलाक़े की ज़मीन की क़ीमत उनको देने लगते हैं तो पांच आने डालते हैं और जो पुरानी ज़मीन है उनकी क़ीमत क्या डाली गई है, उनकी ज़मीन की क़ीमत दो पैसे डाली गई है, यानी दसवां हिस्सा रखा है । अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिनकी क़ीमत दस गुना कम हो, उनके साथ वह ज़मीन पक्की करना कहां तक उनके साथ इन्साफ़ होगा ? वह बेचारे अपनी फ़रियाद ले कर पंजाब गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वह कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने हमसे ताक़त ले ली है, उनके पास जाओ और जब वह आपके पास एप्रोच करते हैं तो आप कहते हैं कि यह तो दफ़ा १० की रू से काम हो रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते । मेरी गुजारिश यह है कि आप अगर चाहें तो इस नाइन्साफी को ज़रूर हटा सकते हैं । इस मामले में उनके जो आला अफ़सरान हैं, वे समझते हैं कि यह बेइन्साफ़ी है, लेकिन उसको हटाने के लिये कोई इन्तज़ाम नहीं किया जाता है ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । क्या माननीय सदस्य ने इस प्रकार के संशोधन की कोई सूचना दी है ?

सरदार इकबाल सिंह : जी हां । गंगानगर में पब्लिक मीटिंग में मिनिस्टर साहब जाकर ऐलान करते हैं कि जो पंजाब के क्लेमेंट्स हैं, वे अगर यहां की ज़मीन रखना चाहते हैं तो अपनी पंजाब की ज़मीन का एलाटमेंट कैंसिल करवा दें और जो एसा करेंगे उनको यहां पर ज़मीन दी जायेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के आफिसर मिस्टर प्रधान जो सेटिलमेंट कमिश्नर हैं उन्होंने ऐलान किया कि जो भाई अपनी पंजाब की ज़मीनों का एलाटमेंट कैंसिल करवा देंगे, उनके पास यहां पर जो ज़मीनें मिली हुई हैं, वे उनके पास रहने दी जायेंगी, लेकिन क्या होता है, एक महीना हुआ यहां से हुक्म जाता है कि आपने जो ज़मीन ली है वह नाजायज़ ली है और साढ़े चार सौ रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से उन पंजाबियों से ज़मीन की क़ीमत मांगी जा रही है । मेरा कहना यह है कि आप उनको जहां भी बसायें, इन्साफ़

के साथ बसायें और इसका इन्तजाम करें कि वह वहां पर गेनफुल एम्प्लायमेंट हासिल कर सकें। अगर आप इस तरह एक जगह से दूसरी जगह उनको उखाड़ते फिरियेगा तो आप उनकी समस्या को हल नहीं कर पायेंगें और वह ठीक बस नहीं पायेंगे और रोज़ इस तरह के झगड़े बखेड़े उठते रहेंगे।

साहबे सदर, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह मार्केट वैल्यु के बाबत है। आपने शहरी सम्पत्ति और देहाती सम्पत्ति का इमत्याज़ रक्खा है और आपने कहा है कि एक हज़ार की मालियत के ऊपर जो बाग़ होगा उसको हम नीलाम करेंगे लेकिन दस हजार की प्रापर्टी को हम नीलाम नहीं करेंगे, पांच हजार की मालियत वाली दुकानों को हम नीलाम नहीं करते लेकिन बाग़ के मसले में चाहे वह देहात में हों या शहर में, अगर वह एक हज़ार रुपये की मालियत से ऊपर है तो उसको नीलाम किया जायगा, मेरा कहना यह है कि हज़ारों बाग़ वालों के क्लेम पड़े हुए हैं और इस तरह उनके बाग़ात नीलाम करके उनके साथ आप इन्साफ़ नहीं करेंगे।

कम्पेन्सेशन पूल के बाबत मुझे यह कहना है कि वह बहुत नाकाफी है और सरकार को उस पूल में और अधिक रकम डालनी चाहिये। इसके लिये सरकार को जो इवैकुई प्रापर्टी है उसकी तरफ़ ध्यान देना चाहिये और देखना चाहिये कि सरकार को उसकी वाजिब कीमत मिलती है। देहातों में अक्सर देखा गया है कि अगर कोई मदरसा नहीं है और मदरसा खोलना है तो वहां पर जो मुसलामान भाई की छोड़ी हुई जायदाद पड़ी है, उसमें वह मदरसा खोल दिया जाता है, तो मेरा कहना यह है कि अगर आप इस तरह से इवैकुई पूल को कम करते चले जायेंगे तो आप रेफ्यूजीज के संग नाइन्साफी करेंगे और उनकी कौस्ट पर यह सब करेंगे जो कि मुनासिब और वाजिब नहीं होगा। इन अल्फाज के साथ में अपने मिनिस्टर साहब से इस्तेदुआ करूंगा कि वह रेफ्यूजीज के मसले पर जो तवज्जह देनी चाहिये दे और जो खामियां मैंने और मेरे से पहले दोस्तों ने रूल्स में बतलाई हैं, उनको रफा करने की मेहरबानी करें।

श्री मेहरचन्द खन्ना : करीब दो घंटे कल और चार घंटे आज इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान में उन क़वायद के मुताल्लिक जो कि हम नें १६ अप्रगत को हाउस में पेश किये थे, बहस होती रही। इस बहस में हाउस के हर एक मेम्बर ने चाहे वह कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, हिन्दू महासभाई हो, या कांग्रेसी हो, हिस्सा लिया और यह ऐन खुशी का मुक़ाम है कि जो मसला आज इस ऐवान के सामने पेश है, यह सारे मुल्क के सामने मौजूद है, और उस मामले में किसी क़िस्म की एख़तलाफ राय नहीं है। हर एक ने यही कोशिश की और हर एक ने यही जोर दिया कि जितनी भी जल्दी हो सके, रेफ्यूजीज़ को बसाया जाय और जितनी भी जल्दी हो सके उनको मुआविज़ा दिया जाय। इस के लिये मैं तमाम ऐवान को और खासतौर पर उन भाइयों और बहिनों को अपनी तरफ से और अपने साथी भौंसले जी की तरफ से और उन तमाम अफसरों की तरफ से जिन्होंने आज से ७ बरस हुये एक दुखी प्राबलेम को हल करने की लगातार कोशिश की, धन्यवाद देता हूं। मैं ने उन अफसरों का काम बहुत नज़दीक से देखा है और मैं समझता हूं कि उन्होंने कभी न कोई दिन छोड़ा और न रात छोड़ी है और बड़ी जांफिशानी से काम किया है। आप जानते ही हैं, साहबेसदर, कि जहां लाखों की तायदाद में बहनें और भाई हों, जिन का सिर्फ एक ही कसूर था और वह यह कि उन्होंने मुल्क की आज़ादी के खातिर कांग्रेस का

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

झंडा उठाया और अपने आप को कुर्बान किया और अपना सब कुछ खोकर हिन्दुस्तान में आये अगर उनके दिल्लों में, यह कहा जाये, कि उनके दिलों में कुछ दर्द है, थोड़ा सा दुख है, फ़स्टरेशन है, तो यह बेजा नहीं होगा । इस चीज को वहां लोग महसूस कर सकते हैं जो कि अपने बाप दादों के घर को छोड़ने पर मजबूर हो गये और जिन एनवायरनमेंट्स में वे पैदा हुये हों उन एन-वायरनमेन्ट्स से अगर उनको एक दम अपरूट होना पड़े तो आप जानते हैं कि कितनी उनको तकलीफ हो सकती है । तो अगर हम तमाम भाइयों की एक मिश्नरी की हैसियत में खिदमत नहीं कर सके तो मैं आप से यह कहूंगा कि दिल तो मौजूद है, हमारा इरादा है, हमारा दिल चाहता है, मेरे अफसर जो कि मेरे बाजू हैं उनका भी दिल मेरी तरह का ही है और मैं समझता हूं कि इस मिनिस्टरी में काम करते-करते जैसे मैं शरणार्थी हूं तकरीबन वे भी शरणार्थी बन गये हैं । तो हर एक आदमी को तसल्ली दिलाना और थोड़े से थोड़े वक्त में तसल्ली दिलाना इतना आसान काम नहीं जिनता कि कुछ लोग समझते हैं । तो मैं सिर्फ आप से इतनी बिनती करूंगा कि आप हमारे कसूरों की तरफ न देखें, आप हमारे इरादों की तरफ देखें । हमारा इरादा यह है कि जितनी जल्दी हो और जिस तरह से भी हो हम अपना काम पूरा करें ।

अब जो सब से पहली बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि भाई अचिंतराम जी ने और दूसरे भाइयों ने कुछ यह शकूक जाहिर किये हैं और कहा है कि ऐसा नज़र आता है कि साहब रिहैबिलिटेशन के काम को गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है और उसकी तरफ जो जवज्जह दी जा रही है वह बहुत ही कम है और यह जो मिनिस्टरी है यह रिहैबिलिटेशन से कम्पेंसेशन मिनिस्टरी बनती जा रही है । यह बात कुछ हद तक दुरुस्त भी है और कुछ हद तक दुरुस्त नहीं भी है । जहां तक रिहैबि-लिटेशन का ताल्लुक है मैं ऐवान को और साहबे सदर आप की विसातत से जो हमारे दुखी भाई हैं उनको यह तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि रिहैबिलिटेशन का काम खत्म नहीं हुआ है । इस साल भी हमने मगरबी पाकिस्तान से जिस से कि मैं खुद आया हूं जो शरणार्थी भाई आयें हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिये १४ करोड़ रुपये से ज्यादा रुपया मुहैय्या किया और हमारी मिनिस्टरी ने आइन्दा जो सेकिंड फाइव ईयर प्लान है उसमें जो भाई मशरकी बंगाल से आये हैं या आ रहे हैं उन का सवाल तो अभी नहीं उठता क्योंकि वह तो हल ही होना शुरू हुआ है इसलिये मैं इस वक्त उसकी तरफ ज्यादा तवज्जह नहीं देना चाहता हूं । लेकिन जहां तक मगरबी पाकिस्तान से जो शरणार्थी भाई आये हैं उनका जो सवाल है वह हमारे सामने है । इसके लिये इस साल भी रुपया मुहैय्या किया गया है और आइंदा जो पांच साला योजना बनाई जा रही है हमारी मिनिस्टरी ने उसमें शामिल करने के लिये कुछ एस्टीमेट्स बना कर प्लानिंग कमिशन के पास भेजे हैं । मैं जानता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे साथ इत्तिफाक करेंगे कि किसी गरीब बच्चे को तालीम देना, किसी बच्चे को दस्तकारी सिखाना, अगर कोई मेरी माता बूढ़ी है; और किसी होम में रह रही है तो कभी उसको निकाला नहीं जायेगा, अगर कोई भाई बीमार है, तपेदिक या किसी और मर्ज़ का शिकार है, रिफ़्यूज़ी आम तौर पर किसी न किसी मर्ज़ के शिकार

बन भी जल्दी जाते हैं तो इन सब का काम हम जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं और जब तक हम इसको तसल्ली बख्श ढंग से खत्म नहीं कर पाते तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी को अपरूट नहीं किया जायेगा। लेकिन यह बात जरूरी है कि जैसे जैसे रिहैबिलिटेशन का काम बढ़ेगा, जैसे जैसे कम्पेंसेशन मिलता जायेगा, रिहैबिलिटेशन का जो खर्चा है वह जरूरी बात है कि कम होता जायेगा, लेकिन यह कहना कि आज रिहैबिलिटेशन के नाम काम को खत्म किया जा रहा है यह मैं आप को तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि यह दुरुस्त नहीं है।

पाकिस्तान के मुताल्लिक कुछ जिक्र आया। मैं खुद दो बरस हुये पाकिस्तान गया था और चन्द महीने हुये फिर पाकिस्तान गया था जहां तक कि हमारी मूवेबल जायदाद का ताल्लुक है उसके बारे में हमारा एक समझौता पाकिस्तान के साथ हो चुका है। आया वह समझौता अच्छा है या बुरा है मैं उस बहस में पड़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन किसी समझौते को पाएमाल में लाने के लिये महज एक समझौते का होना काग़ज पर तो बहुत अच्छा नजर आता है लेकिन जब तक उस समझौते को पाये तकमील तक न पहुंचाया जाये वह समझौता कुछ माने नहीं रखता। क्योंकि उस समझौते से हमारे लाखों भाइयों का जिनकी ग़ैर मनकूला जायदाद वहां रह गई थी एक गहरा ताल्लुल है। हम ने इस लिये एक कमेटी मुकर्रर की है जिसका नाम कि इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है। हम कोशिश करेंगे और काफ़ी जोर से कोशिश करेंगे कि उस समझौते को जहां तक हो सके जल्दी पाए तकमील तक पहुंचाया जाय। लेकिन जहां तक कम्पेन्सेशन का ताल्लुक है उस समझौते का उस पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि जो निकासी जायदाद हिन्दुस्तान में रह गई है वह तो सिर्फ़ १०० करोड़ की है और जो क्लेम हम ने कम्पेन्सेशन ऐक्ट के मातहत मंगाये हैं, देहाती जायदाद का जिक्र नहीं कर रहा, उसकी भी एक बड़ी भारी क़ीमत है, और जो पाकिस्तान में जो शहरी जायदाद रह गई है उसकी ५०० करोड़ रुपया कीमत है। तो १०० करोड़ रुपये की निकासी जायदाद हिन्दुस्तान में है और ५०० करोड़ की रकम पाकिस्तान के जिम्मे निकलती है। अब यह ४०० करोड़ रुपय का जो डिफ्रेंस है, जब तक हमें इस रुपये में से काफ़ी रुपया पाकिस्तान से वसूल नहीं होता, हमारी जो तकालीफ़ हैं और जो दर्द मेरे दिल में पैदा होता है वह दूर नहीं हो सकता। तो हमने पाकिस्तान से खतोकिताबत की और जब पिछली दफा मैं गया तो वहां के जो वजीर हैं उनसे बात हुई। कुछ हम ने शुरू में भी लिख दिया था कि जब आप के साथ इस मसले पर हमारा उसूली फैसला हो जाये तो यह जो बकाया रकम हम ने पाकिस्तान से लेनी है, पाकिस्तान की इक्तसादी हालत को देखते हुये, उसकी इकोनोमिक कपेसेटी को देखते हुये कि कितना रुपया पाकिस्तान से लिया जाये और किस तरह से लिया जाय इस बात का फैसला बाद अजां हो सकता है। मेरा इरादा है कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान के साथ इस मामले को फिर उठाऊं।

हमारे रेफयूजीज का जो हक है, जो प्रापर्टी वे वहां पर छोड़ कर आये हैं, उसको हम ने वैल्युएशन कराया और फिर उसके क्लेम्ज मंगाये। श्री चोयथराम और दूसरे कई भाई कहते हैं कि बहुत जुल्म किया गया है, ग़ल्ती की गई है, बहुत से छोटे घरों पर डाका डाला गया है क्लेम नामंजूर कर दिये हैं और कम भी कर दिये गये हैं। इन सब बातों के बावजूद मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के जिम्मे हमारा जो

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

रुपया निलकता है---जो कि चार सौ करोड़ रुपये के करीब है--- उसका जितनी जल्दी हो सके, कुछ न कुछ हल निकल सके ।

श्री गिडवानी : अभी आशा है क्या ? आशा ही परमं दुखम् ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : इस ऐवान में तो मैं इस बात का कोई जवाब देना नहीं चाहता हूं । मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह मेरी सिर्फ आशा ही नहीं है, बल्कि मैं इसके लिये जोर भी लगाऊंगा । अगर हमारी वहां कोई चीज रह गई है, तो मुझे इस बात की कोई वजह नजर नहीं आती कि हम पाकिस्तान को अपना क्लेम दें और उसके मुताबिक अपना रुपया लें ।

श्री गिडवानी : मुबारिक है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : आप मुबारिक दें या न दें, इन्सान का काम तो कोशिश करना है, उसके नतीजे के बारें में क्या कहा जा सकता है ? अगर यह एवान मेरा साथ दे---जो भाई मेरे सामने बैठे हैं, श्री चोयथ राम हैं, श्री हुक्म सिंह हैं, वे मेरा साथ दें,---तो कोई वजह नजर नहीं आती कि जो ताकत उनकी तरफ़ से मेरे हाथ में आये, उससे मुझे कामयाबी हासिल न हो---और अगर मैं फिर भी फ़ैल होता हूं, तो वह मेरी बद-किस्मती होगी ।

श्री गिडवानी : हम आपके साथ चलने के लिये तैयार हैं ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : डेढ़ साल हुआ, नवम्बर, १९५३ में हम ने इन्टेरिम स्कीम को पहली दफा शाया किया । उस स्कीम को चलाते हुये डेढ़ साल से ज्यादा हो चुका ह । उस स्कीम के मातहत हम ने आज तक, पानी ३१ जुलाई, १९५५ तक, अठारह करोड़ से कुछ ज्यादा रुपया बतौर कम्पेन्से-शन दिया है, २,२८,००० एकड़ जमीन और कोई ३४,००,००० रुपये की मालियत के बागात भी हम ने बांटे हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज : कहां-कहां बाटे हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : ये जो क्लेम दिये गये हैं, वे तकरीबन ७५,००० आदमियों को आज तक मिल चुके हैं । मैं जानता हूं कि यह तादाद बहुत थोड़ी है । जब कि चार लाख के करीब भाई भूखे और तकलीफ़ में हैं, उनमें से ७५,००० भाई बहिन ऐसे हैं, जिनको इन्टरिम स्केल पर कम्पेन्सेशन मिला है । वह तादाद कुछ ज्यादा नहीं है, यह बात मैं खुद तस्लीम करता हूं । मैं कहना यह चाहता हूं कि गुज़िश्ता साल के बारह महीनों में जितने भाई बहिनों को कम्पेन्सेशन मिला, मौजूदा साल के पहले छः महीनों में, यानी १ जनवरी से लेकर ३० जुन तक, उनसे ज्यादा भाई बहिनों को कम्पेन्सेशन दिया है । हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अदायगी की जो रफ्तार है, वह और भी बढ़ाई जाये । यहां पर कहा गया है कि तुम आइन्दा क्या करोगे और कितने भाई बहनों को कितनी जल्दी कम्पेन्सेशन दे सकोगे । मैं कहना चाहता हूं कि इसका इन-हिसार कुछ खास बातों पर है, जिनका मैं आगे चल कर जिक्र करूंगा । हमारी जिस स्कीम को इस वक्त फाइनल कहा जाता है, अगर हम पाकिस्तान से कुछ रुपया लेने में कामयाब हो गये, तो जरूरी बात है कि यह भी फाइनल नहीं रहेगी । वह रेफ्यूजीज़ की चीज ह और उनके हाथ में चली जायेगी । वह गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में नहीं जायेगी । उन हालात में जिस स्कीम को हम फाइनल कहते हैं, वह शायद फाइनब न रहे ।

मेरे ख्याल के मुताबिक़ इस स्कीम में तीन बुनियादी चीजें हैं, तीन बेसिक बातें हैं, तीन फंडामेन्टलज़ हैं, जिन पर कि हम ने अपनी यह स्कीम बनाई हैं। सब से पहले बात यह है कि रेफ्यूजी और रेफ्यूजी के दरमियान इन्साफ हो। यह हमारा पहला बुनियादी उसूल है।

दूसरा उसूल यह है कि जो रेफ्यूजी हैं, चाहे वे क्लेमेंट हैं और चाहे नान-क्लेमेंट, जहां तक किसी जायदाद को खरीदने का सवाल है—चाहे वह जायदाद देहाती हो या शहरी हो, दुकान हो या मकान हो—उन दोनों को एक जैसी सहूलियतें होनी चाहियें ।

जो भाई बसे हुये हैं, उनको बजाय बसाने के उनको उजाड़ने का हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं है ।

तीसरी बात, जिसको कि हम ने अपने सामने रखा है, यह है कि जो छोटे क्लेमेंट्स हैं, उनको जितना भी मुमकिन हो सके, ज्यादा से ज्यादा दिया जाय।

अब मैं पहले बुनियादी उसूल की तरफ आना चाहता हूं। बहुत अरसे से कम्पेन्सेशन की एप्लिकेशन्ज़ मांगी गई हैं। पहली बात जो कि हमने की है, यह है कि वे भाई जिनका कि राजभोज साहब ज़िक्र कर रहे थे—आज पहली दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई है, उनके नाम में शायद कोई ग़लती हो गई हो..

श्री गिडवानी : राजभोज नहीं राजा भोज ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : शायद गलती हुई। हम ने तो सारी उम्र राजभोज ही समझा था। बाक़ी हम गरीब पठान लोग हैं, कुछ ज्यादा जानते नहीं हैं।

ख़ैर, राजभोज साहब ने कहा कि यह बहुत जुल्म की बात है कि जो भाई दो तीन वर्ष हुये हिन्दुस्तान में आये, उनके क्लेम नहीं लिये जा रहे हैं। यह दुरुस्त है, मैं मानता हूं हम ने फ़ैसला किया है कि जो भी भाई पाकिस्तान से ३१ जुलाई, १९५२ के बाद आये हैं—जो पहले आ चुके हैं, उनके क्लेम तो हम ले ही चुके हैं—हम उनके क्लेम लेंगे। इसके मुताल्लिक़ हम नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं यही नहीं, यह देखने के लिये कि एक शरणार्थी और दूसरे शरणार्थी के दरमियान इन्साफ हो, हम ने यह भी फ़ैसला किया है कि अगर ३१ जुलाई, १९५२ से पहले कोई शरणार्थी हिन्दुस्तान में आ चुका था—चाहे वह कोई बेवा औरत थी, कोई अनपढ़ था, कोई यतीम बच्चा था—और किन्हीं खास वजूहात से अपना क्लेम दाखिल न कर सका हम उसको इस बात की इजाज़त देने वाले हैं कि उसको मुकम्मल अख्तियार है कि वह अपना क्लेम हमारे सामने पेश करे और हम उसकी छानबीन करेंगे। अब यह कहना कि हमारे सबूत का मयार क्या होना चाहिये, यह ज़रा मुश्किल बात है। इन्साफ़ होगा—इन्साफ का मैं यक़ीन दिला सकता हूं, लेकिन यह कहना कि कोई डाक्यूमेंटरी प्रूफ न लिया जाये, उसको मानना मेरे लिये ज़रा इतना आसान नहीं है। अगर यह पूल देशमुख साहब का होता और लेने वाला होता मेहर चन्द और साथ हो जाता कामत और वह बीस रुपया ज्यादा ले जाता तो मुझे कोई फ़िक्र न होती। उस हालत में गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की जनरल रेवेन्यूज़ देने के लिये होतीं, तो देने वाले को और लेने वाले को कोई ज्यादा फ़िक्र न होती। लेकिन यह पूल तो है शरणार्थियों का। इसमें से उस शरणार्थी को देना है जिसका वाजिब क्लेम है और जो पाने का हक़दार है। इसमें मैं यह ज़रूर देखूंगा कि रिफ्यूजी रिफ्यूजी के दरम्यान इन्साफ हो लेकिन यह चीज़ कि मेहर चन्द का हिस्सा कामत ले जाय, यह तो मेरे लिये करना मुश्किल होगा ।

लाला अचिन्त राम (हिसार) : आप कामत साहब को खास तौर से जानते हैं ।

श्री मेहर चन्द खन्ना: पहली दफा जब मैं हिन्दुस्तान में आया था तो इस भाई ने मुझे दो बरस अपने घर में जगह दी थी । इसलिये मैं उसको जानता हूं ।

श्री कामत : इससे उसका क्या वास्ता है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : तो मेरे लिये यह जरूरी है कि मैं देखूं कि जिसको क्लेम मिलना है उसके साथ इन्साफ हो । मैं इस बात में ज्यादा नहीं पड़ूंगा कि टैकनिकैलिटीज को देखूं लेकिन प्रूफ़ तो मैं देखूंगा । अगर मुझ से यह कहा जाय कि जो फाइनेन्शल सेफ-गार्डस हैं उनको खैरबाद कह दिया जाय तो यह मानना तो मेरे लिये मुश्किल होगा । लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इन्साफ हो और जिसका क्लेम है उसको मिल जाये ।

मेरे मुअज्जिज दोस्तों ने कहा है कि साहब आपने बेजा वजूहात पर लोगों के क्लेम खारिज कर दिये । अगर यह चीज दुरुस्त है तो इसके बारे में सोचा जायगा । मैं एक जिम्मेदार शख्स की हैसियत से इस उसूल को मानता हूं :

श्री राधा रमण : मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री को बैठ कर बोलने दिया जाये ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं खुद इस बात को मानता हूं कि एक शरणार्थी और दूसरे शरणार्थी के दरम्यान इन्साफ़ हो । मेरे ख्याल में यह इन्साफ नहीं कि किसी का क्लेम बिला किसी खास वजूहात के खारिज कर दिया जाय । तो मैं ने यह फ़ैसला कर लिया है कि पांच कैटेगरीज़ के क्लेम्स पर हम दोबारा ग़ौर करेंगे । यह नोटीफ़िकेशन अंग्रेजी में इश्यू हुआ है इसलिये मैं उन पांचों कैटेगरीज को आपके सामने पढ़े देता हूं । वे कैटेगरीज ये हैं :

१. वे सैनिक जो सेवा की आवश्यकताओं के कारण अपने दावों को चालू न रख सकें ;

२. वे दावेदार जो भारत के बाहर रहते हैं और जिनके मामलों में निर्धारित प्रक्रिया लागू नहीं की गई है;

३. वे व्यक्ति जो नियम १८ के अन्तर्गत आने वाली अवधि के दौरान में भारत के बाहर रहे और इस प्रकार अपने दावे चालू न रख सके ;

४. वे दावेदार जो इस सूचना के प्रकाशित होने से पूर्व ही स्वर्गवासी हो गये थे;

और मेरा ख्याल है कि पांचवीं कैटेगरी सब से ज्यादा इम्पार्टेंट है । वह यह है:

५. किये गये ऐसे दावे जिन से यह पता लगता हो कि दावेदार को कोई सूचना नहीं दी गई थी या दी गई थी तो वह अपर्याप्त थी ।

तो इन पांचों हालात में हमने यह फैसला किया है कि अगर इन पांच कैटेगरीज में कोई क्लेम आता है और नाजायज तौर पर चाहे हमारी कमजोरी की वजह से या उस भाई की कमजोरी की वजह से खारिज हो गया है जिसने कि क्लेम दिया था, तो उस एक्स-पार्टी केस को हम फिर रिवाइव करने के लिये तैयार हैं और उसका केस दोबारा रिएग्जामिन करने के लिये तैयार हैं ।

अब हमने दूसरा उसूल यह बनाया है कि क्लेम और नान क्लेमेंट के बीच में कोई खास डिस्टिंक्शन न किया जाय । देहाती क्लेमों के बारे में जो कुछ कहना था सुबह भोंसले साहब ने कह दिया । लेकिन एक

चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ यह आम ख्याल पैदा हुआ है कि हमने लोगों के क्लेम, खासकर देहातियों के क्लेम बगैर सोचे समझे, बगैर किसी कसौटी के रद्द कर दिये। मैं इस वक्त जनरल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। अमेंडमेंट्स के दौरान में उन चीजों को साफ कर दिया जायगा। मैं इस बारे में सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट करना चाहता हूं कि जिन भाइयों के सबस्टेंशियल क्लेम कहे जाते हैं और जिसके लिये कृष्ण नायर साहब ने बड़े जोर से और बड़े तपाक से तकरीर की है, उन भाइयों की, जिनकी कोई जमीन नहीं थी लेकिन जिनके छोटे और बड़े मकान थे, उनकी तादाद एक लाख ५० हजार के करीब है। उन्होंने क्लेम फाइल किये हैं। हमारे पास जो चार लाख या तीन लाख ९० हजार क्लेम हैं, जिनको कम्पेन्सेशन देने के लिये हमने ये रूल्स बनाये हैं और चाहते हैं कि आपकी वसालत से कल तक पास हो जायें, उनमें ऐसे क्लेम्स की तादाद एक लाख ५० हजार है। उनके कुल क्लेम एक सौ करोड़ से ज्यादा के हैं। जो हमारे पास ५०० करोड़ से वैरीफाइड क्लेम हैं उन में से एक सौ करोड़ के यह सबस्टेंशियल और छोटे मकानात के क्लेम हैं। और आज हमने यह एलान किया है कि उनको शहरियों की तरह पूरा रुपया मिलेगा। आप खुद ही अन्दाजा लगा लें कि उसका सही मानों में क्या असर है। आप कह सकते हैं कि तुमने पहले क्यों कम रखा था। मैं अब भी कहता हूं कि हम उसकी वजूहात दे सकते हैं। हम उसको डिफैंड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यह आम तौर पर कहा गया है कि जब आपने जमीन, ईंट और चूने की कीमत लगा ली तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप उससे कहें कि देहात में तो उसकी कीमत आठ आना और शहर में एक रुपया है। जिस तरह से एक मकान देहात में बिकता है और जिस तरह से शहर में बिकता है उन दोनों में मारकेटेबिलिटी का फर्क है। लेकिन मैं अब उस चीज को ऐवान के सामने डिफैन्ड नहीं करना चाहता इसलिये कि मेरे भाई ने आज यह ऐलान किया है कि जहां तक उन भाइयों का ताल्लुक है जिनके देहाती क्लेम हैं और जिनके क्लेम एक सौ करोड़ के हैं, चाहे वह शहर में मकान रखते हो या देहात में उनको वही सहूलियत होगी और उनको उतना ही पैसा मिलेगा जितना कि किसी शहरी को मिल सकता है।

दूसरी चीज जो हमने की है वह उस गरीब क्लेमेंट के मुताल्लिक है जिसकी तादाद ८० हजार कही जाय, या एक लाख कही जाय, या कुछ हो, लेकिन उसकी काफी तादाद है। वे भाई कौन हैं? जब पांच बरस हुये हम ने पंजाब में लैंड ऐलाट की तो हमारा यह कानून था कि जो जमीन मिलेगी उसके साथ उसको देहाती मकान भी मिलेगा। अगर वह जमीन से इन्कार करता है तो देहाती मकान भी साथ जाता है। उसकी वजह साफ है। देहात में जो मकान हैं वे एपरटिनेन्ट हैं।

चाहे ज़मीदार का कोठा कहिये और चाहे ज़मीदार का मकान कहिय, उसकी हैसियत तो ज़मीन के साथ ही में है। कुछ भाई ऐसे थे जिनकी कि तादाद कही जाती है कि एक लाख के करीब है, उन्होंने इस ख्याल से कि एक या दो एकड़ ज़मीन है, लेने से इन्कार कर दिया लेकिन एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिये कि जिसकी एक दो एकड़ ज़मीन मिली है, उसकी पाकिस्तान में ढाई एकड़ से ज्यादा ज़मीन नहीं थी। हमने जो कट लगाया है, वह सिर्फ २५ परसेंट है जिसका मतलब यह हुआ कि जिसको ६ या ७ एकड़ ज़मीन हिन्दुस्तान में मिली है, उसके पास पाकिस्तान में दस एकड़ से ज्यादा ज़मीन नहीं थी। तो अगर उसकी एक या दो एकड़ ज़मीन थी और उसने

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

लेने से इन्कार कर दिया इस वजह से कि शायद बेचारे को ज़मीन तो मिली फीरोज़पुर और गुजिस्ता दो, चार वर्ष में उसने बम्बई में कारोबार शुरू कर दिया है या देहली में आ गया हो और यहां उसकी रोटियों का सहारा हो जाये और इस वास्ते उसने वहां की ज़मीन के ऐलाटमेंट को कैंसिल करवा दिया हो । लेकिन आज हमारे सामने यह चीज़ आई और बड़ा ज़ोर दिया गया कि वे गरीब भाई हैं, दुखी भाई हैं, जिनके पास एक एक एकड़ या दो दो एकड़ जमीन थी, आपको कम से कम इनका तो ख्याल करना चाहिये । उनके लिये हमने फैसला किया है कि उनको उस स्टैंडर्ड एकड़ की कीमत के मुताबिक जो किसी और के लिये हम मुकर्रर करते हैं, उसके मुताबिक हम उन को एक्स ग्रेसिया ग्रान्ट देंगे । अगर उसने कोई और ज़मीन हम से ले ली है और उसका और किसी मकान के लिये हमारे पास क्लेम है, तब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि जो हार्ड केसेज़ हैं हम उनको चाहे वह ६० हजार बनता है और चाहे ७० हजार बनता है, गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम उनको एक्स ग्रेसिया ग्रान्ट देंगे ।

अब मैं उस चीज़ की तरफ आता हूं जिसके बारे में बहुत दिनों से चर्चा हो रही है। हमारे रेफ्यूज़ी भाई जिन की कि जिन्दगी के साथ मेरी मिनिस्ट्री का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि अगर रेफ्यूजीज़ खत्म होते हैं तो यह मिनिस्ट्री भी खत्म होती है और अगर रेफ्यूजीज़ बसते हैं तो इस मिनिस्ट्री का भी नाम होता है । आप जो यह सारा बावैला हो रहा है वह इस कारण है कि उनको तक़लीफ़ हो रही है और मैं जनाब सदर, आप की वसातत से उस के बारे में गवर्नमेंट की पोज़ीशन साफ़ कर देना चाहता हूं ताकि भाइयों को मालूम हो जाय कि वाक़ई हक़ीक़त क्या है । एक तरफ तो हमारे क्लेमेंट्स हैं जिन को कि क्लेम लेना है और दूसरे हमारे वे भाई हैं जो कि नान क्लेमेंट्स हैं जिनकी कि पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है और जो कि सारी उम्र पाकिस्तान में किरायेदार हो कर रहे । वे हिन्दुस्तान में आये और यहां आकर या तो मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई निकासी जायदाद में बसे या गवर्नमेंट ने जो जायदाद बनाई उसमें उनको बसाया गया । अब हमारे पास जो दादोशुमार हैं, उसके अनुसार इवैकुई प्रापरटी में जो मकान हमारे पास हैं उनकी तादाद २ लाख और ५० हजार है और उन में से जो ५ हजार और ५ हज़ार से नीचे की मालियत के मकान हैं, उनकी तादाद २ लाख है । तो इस तरह आप देखेंगे कि कुल २ लाख ५० हजार हमारे पास निकासी मकानात हैं जिन में कि २ लाख ऐसे मकानात हैं जिनकी कि कीमत या मालियत ५ हज़ार रुपये से कम की है । इसी तरह गवर्नमेंट ने यहां पर जो मकानात बनाये हैं, उनकी तादाद तक़रीबन डेढ़ लाख है और उनमें से क़रीब एक लाख मकान से भी ज्यादा मकान ऐसे हैं जिनकी कि क़ीमत ५ हज़ार से कम है। मतलब यह हुआ कि इन चार लाख मकानों में से क़रीब तीन लाख मकान ऐसे हैं, जिनकी कि क़ीमत ५ हज़ार से कम है । इस तरह आप देखेंगे कि यह क़रीब ८० परसेंट बन जाता है । जो भी हमारे भाई हैं जिनका कि क्लेम चाहे पाकिस्तान में था या नहीं, हमने यह फ़ैसला किया है कि हम क्लेमेंट्स और नोन क्लेमेंट्स में किसी किस्म का डिस्टिंकशन नहीं करेंगे और हम उनको इजाज़त देंगे कि वह उस मकान में बैठा रहे और जो हमारी क़ीमत है उसके मुताबिक अगर वह खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, हमें उसमें कोई एतराज नहीं होगा ।

मैं क़ीमत के मुताल्लिक़ सिर्फ़ दो जुमले कहना चाहता हूं क्योंकि मुमकिन है कि इसके मुताल्लिक़ कोई आगे चल कर अमेंडमेंट आये। ज़ाहिर है कि अगर मेरे मकान इतने ही नकारा होते और उनकी मार्केट वैल्यू इतनी खराब होती तो आज इतना बावैला न मचाया जाता। कहा जाता है कि साहब क़रीब १०० परसेंट या ३०० परसेंट उनकी क़ीमतें ज्यादा कर दी गई हैं और यह इस वजह से हुआ है कि उसमें पी० डबलू० डी० वाले खा गये और कुछ हमारे अहलकार लोग खा गये और कुछ मैं खा गया .....

लाला अचिंत राम : आपके खाने की तो कोई बात नहीं कहता।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं इसके लिये आपका मशकूर हूं। लेकिन क्या करूं, आखिर को मैं मिनिस्टर हूं और मेरे डिपार्टमेंट में अगर कोई करप्शन होता है तो चाहे वह पर्सनल हो, चाहे इमपर्सनल हो उसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आती है, और मैं उससे सुबकदोश नहीं हो सकता .....

लाला अचिंत राम : गलत बात न कहिये।

श्री मेहर चन्द खन्ना : इस वावेले से ज़ाहिर है कि देहली में जो हमारा माल ह वह अच्छा है। कुछ माल हमारा अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। मैं जानता हूं कि कोल्हापुर में क्या हालत है, वहां हमारे मकान ख़ाली पड़े हुये हैं, ज़ाहिर है कि हमारा माल अच्छा नहीं होगा तभी तो उनको कोई लेने वाला नहीं और मैं जानता हूं कि वहां वह किस क़ीमत पर बिकेंगे। लेकिन देहली में यह जो हमारी बहन सुचेता कृपलानी जी और हमारे राधा रमण साहब बड़े ज़ोर से तक़रीरें कर रहे हैं, उससे साबित हो जाता है कि यहां का हमारा माल अच्छा है और उसकी डिमांड बहुत है। हमारे नासिक के श्री जी० एच० देशपांडे साहब ने बड़े ज़ोर की तक़रीर की और रेफ्यूजीज़ के लिये काफी हमदर्दी दिखलाई और मैंने उसके लिये आज मैंने उनको मुबारकबाद भी दी। अब नासिक में हमारे मकानों की जो हालत है, मैं उसे जानता हूं। हमारे भाई कहते हैं कि वहां लोग उतना किराया नहीं दे सकते हैं, किराया कम किया जाय। नासिक से कोई साहब शोर नहीं मचा रहे कि ५ हज़ार हो या दस हज़ार हो, कोल्हापुर से कोई शोर नहीं, अहमदाबाद से कोई शोर नहीं, शोर है बहन सुचेता कृपलानी की तरफ से और राधा रमण साहब की तरफ से .....

श्री पी० एन० राजभोज : करोलबाग और गांधीनगर की क्या हालत है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : शोर तो हमारी बहन सुचेता कृपलानी और दूसरे दिल्ली के एम० पीज़ की तरफ से है और अब मेरे लिये तो एक मुसीबत पड़ गई है और वह यह है कि जब तक मैं ऊपर से ऐवान का मेम्बर नहीं था तब तक मैं खुश था लेकिन अब मेम्बर हो जा की वजह से सारी देहली स्टेट का नुमाईन्दा हूं, मैं तमाम देहली स्टेट का एक वाहिद नुमायन्दा हूं और अब मुझे डर लगता है कि अगर कहीं देहली के एम० पीज़ नाराज़ हो गये, सुचेता बहन नाराज़ हो गई और हमारे राधारमण साहब नाराज़ हो गये तो फिर मैं कहां रहूंगा क्योंकि मेरा भी तो एक किस्म का रिहैबिलीटेशन होना चाहिये और मुझे भी दिल्ली के भाइयों से बहुत डर लगता है। लेकिन असली बात यह है जैसे कि कल श्री नन्द लाल शर्मा ने बड़े ज़ोर से कहा कि जवाहर लाल जी ने कहा है कि ८० फी सदी रेफ्यूजीज़ बस गये हैं, उसके लिये मेरा कहना यह है कि चिटठी अंग्रेज़ी में थी, मैं समझता हूं कि उन्होंने उसको पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने उसको पढ़ा होता तो वह शायद यह जुमला इस्तेमाल नहीं करते।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

हम एक ही शहर के हैं, एक ही इलाक़े के हैं, एक ही सूबे के हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा वह मेरे भाई शर्मा जी नहीं समझे। अगर वह मेरे पास नहीं हो आते तो मैं उनको बतला देता और समझा देता। जवाहर लाल जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसका मतलब यह है कि ८० फी सदी के क़रीब मकान ५ हज़ार की क़ीमत के हैं अगर वे लोग मकान लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि और बड़ी क़ीमत वाले मकान जो कि बिकने को हैं वह भी लोगों को दे दिये जायें तो वह रिप्यूजी पापुलेशन जिसने क्लेम लेना है उसका क्या बनेगा। खैर, इस बात को जाने दीजिये और मैं इसमें बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता।

एक चीज़ को मैं ज़रूर क्लेरीफ़ाई करना चाहता हूं और वह यह है कि हमने ५,००० के मकानों के लिये जो एक तरीक़ा बनाया था कि चाहे २० परसेंट या २५ परसेंट या ३३ परसेंट हो वह वैसे ही लागू होगा एक क्लेमेंट पर जैसे कि किसी नान क्लेमेंट पर। अभी हमारी स्कीम के मातहत, साहबेसदर, जो क्लेम लेने वाला है उसको एक नान-क्लेमेंट को निस्बत नुक़सान है और वह मैं बतलाऊंगा कि कैसे। वह यह है कि नान-क्लेमेंट आज आपके मकान खरीदेंगे पांच हज़ार रुपये के तो वे चाहे हज़ार रुपया आज दे दें या १२०० दे दें और बकाया जो रुपया होगा ३७५० वह चार सालों में देंगे। जो क्लेमेंट हैं उसके चाहे पब्लिक डयूज़ हैं चाहे उसका सूद है चाहे उसका लोन है, जितना भी उसका क्लेम है हमारे रूल्ज़ के मातहत हम उससे पैसा पैसा काट लेंगे और मुमकिन है कि उस बेचारे को पांच हजार और देना पड़ जाय। अगर ४००० लेना है तो ४००० काट लेंगे नान-क्लेमेंटस को एक फ़ायदा यह है कि वह बक़ाया रुपया जो है वह चार बरस में अदा करे। खैर हम ने यह चीज़ इस लिये नहीं की है कि हम किसी की रियायत करना चाहते हैं। हम तो यह चाहते हैं कि लीस्ट डिसरपशन हो।

रही बात जैन साहब की कि उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स दिये हैं कि ये हैं, तो मैं गवर्नमेंट की तरफ़ से ऐलान करता हूं कि मेरे प्रेडिसेसर के जो भी कमिटमेंट्स हैं उनको हम सेंट पर सेंट पूरा करेंगे। यह कहा गया कि उन्होंने कहा था कि हम जितना कम डिसरपशन होगा करेंगे और हम यह नहीं चाहते कि हम किसी आदमी को उजाड़ें। अब आप अन्दाज़ा लगाइये कि तीन लाख मकानों का मैं ज़िक्र किया है जिन की क़ीमत ५,००० रुपये तक फी मकान है। अगर आप इसकी एवरेज क़ीमत २,००० रुपया फी मकान लगा लें, निकासी मकान भी हैं, आप के बनाये हुये भी हैं, तो अगर तीन लाख को दो हजार से ज़रब दिया जाये तो ६० करोड़ रुपये की जायदाद बन जाती है। अब तीन लाख मकान जिन को कि हम एलाट कर रहे हैं कि आज आप २० या २५ पर सेंट दीजिये और बक़ाया चार बरस में दीजिये उसकी क़ीमत ६० करोड़ रुपया है। इसी तरह से अगर आप लें कि ५,००० रूपये से नीचे की दुकानें कितनी हैं तो २०,००० के क़रीब हैं तो इक्वैक्वी हैं और १५००० के क़रीब वे हैं जो गवर्नमेंट बिल्ट हैं। अगर इन ३५,००० को भी २,००० से ज़रब दें तो सात करोड़ रुपया और बन जाता है। यह ६७ करोड़ रुपया हो जाता है। अब ६७ करोड़ रुपये में से सुचेता बहन ने भी कहा था, औरों ने भी कहा और जो आर्गुमेंटस उन्होंने पेश की मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है वह उनके ही खिलाफ़ जायेगी। मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि आप ने यह फ़रमाया कि यह लोग जो बैठे हुये हैं वह नान-क्लेमेंट्स ज्यादा

हैं और मैं भी कहता हूं कि मेरी भी मुसीबत यही है कि नान-क्लेमेंट्स ज्यादा हैं। अगर आज इन तीन लाख मकानों में तीन लाख क्लेमेंट्स बैठे होते तो ६० करोड़ की एडजस्टमेंट हम उनके जिम्मे कर देते और तीन लाख को क्लेम मिल जाते, गिडवानी साहब भी मेरा शुकरिया अदा करते और पार्टी भी दे देते, मैं भी खुश हो जाता और वह भी खुश हो जाते। लेकिन होता क्या है। इन तीन लाख मकानों में से दो लाख हमारे उन भाइयों के पास हैं जो कि नान-क्लेमेंट्स हैं। तो साहब मैं ने तो २० करोड़ रुपया एडजस्ट कर दिया और ४० करोड़ रुपया मेरा बक़ाया रह गया। जो पूल आपका डेढ़ सौ करोड़ रुपये का है उसमें से ४० करोड़ की जायदाद हम ने उन रिफ्यूजीज़ को दे दी और उनसे कहा कि आप पांच बरस में पे कीजिये। ये वह शख्श हैं जो कि पाकिस्तान में मालिक नहीं थे लेकिन हिन्द सरकार ने चाहा कि उनको आज मालिक बना दिया जाये। अब आप आगे चलिये। वह जायदाद जो कि ५,००० और १०,००० के दरम्यान है और जिस की रेशो अब पांच की नहीं है लेकिन पांच और दस के दरम्यान की है उस में से जहां तक इवैक्वी प्रापर्टी का ताल्लुक़ है हमारे हिसाब के मुताबिक़ २७,००० मकान हैं। अब इसका एवरेज लगाइये। इसका चाहे आप ७,००० के हिसाब से एवरेज निकालिये चाहे साढ़े सात हज़ार के हिासब से एवरेज निकालिये जो कि ढाई गुना हो जाता है। पांच का एवरेज दो हुआ या ढाई और जब सात पर पहुंचे तो उसका तीन गुना या साढ़े तीन गुना होगा। २७,००० को अगर आप ७,००० से जरब देंगे तो १९ करोड़ रुपया बन जाता है और जो गवर्नमेंट बिल्ट मकान हैं वह १५,००० हैं और अगर आप उनको भी ७,००० से ज़रब देंग त।, ... रुपया और बन जायेगा, यानी ३० करोड़ रुपये की जायदाद और बन जायेगी। अब इन १५,००० में से कोई ६,३०० दिल्ली में वाक़या हैं। जहां तमाम हिन्दुस्तान में हमारे पांच और दस हज़ार के दर्म्यान की मालकियत के मकान ६,००० के क़रीब हैं वहां दिल्ली में उनकी तादाद ६,००० से ज्यादा है। इस ३० करोड़ रुपये की जायदाद में से अगर २/३ नान-क्लमेंट्स ले लें तो २० करोड़ रुपया और बन जाता है। अब इसी तरह से दुकानों की बात ले लीजिये। तो तीन हज़ार दुकानें तो ऐसी हैं जो कि इवैक्वी हैं और पांच हज़ार ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट बिल्ट हैं। अगर इन की क़ीमत भी लगा ली जाय तो पांच करोड़ की जायदाद और बन जाती है। तो साहबेसदर, कम्पेन्सेशन की स्कीम को तो जरूर चलाना है और यह भी देखना है कि डिसरपशन जितना कम से कम हो सके उतना ही कम हो। अब इन्साफ़ की बात तो यह थी कि पांच हज़ार की लिमिट रखते तो ८० फ़ीसदी आदमी बैठे रहते और वे मालिक बन जाते, लेकिन मांग इतनी जबरदस्त है और मेरे घर पर भी मेरे भाई आते हैं, उनको मैं सात आठ बरस से जानता भी हूं, उनको बसाया भी है उनको बाज़ार से उठाया भी है। जब दिन में भी रोशनी दिखाई जाती है तो इन्सान को सोचना पड़ता है कि कुछ ग़लती ज़रूर हो गई है। रात को तो रोशनी ज़रूर दिखानी पड़ती है क्योंकि बूढ़ा हूं, बीमार हूं, लेकिन जब दिन को रोशनी दिखाई जाये तो इन्सान को सोचना पड़ता है कि भाई इसमें ज़रूर कोई न कोई ग़लती हो गई है। तो जनाबेसदर सिर्फ़ एक ही ग़लती हुई है और वह यह कि पांच और दस हज़ार के मकान दिल्ली में बनवाये और बड़ी बड़ी मार्केट्स बनवाईं जिनका कि नाम खान मार्केट है, गफार मार्केट है, कमला मार्केट है और कोई क़सूर नहीं किया

[श्री मेहर चंद खन्ना]

मेरी मिनिस्टरी ने । अगर कोई क़सूर किया है इस मिनिस्टरी ने तो उस के लिये अगर कोई ज़िम्मेवार है और सब से ज्यादा अगर कोई क़सूरवार है तो वह है वह आदमी जो कि पहले एडवाइज़र था और आज मंत्री है जिस को कि चिराग़ दिखाया जाता है क्योंकि उसने उस वक्त रोशनी नहीं देखी । अगर वह उस वक्त रोशनी देख लेता तो शायद यह ग़लती न करता । लकिन जब हमारा उसूल यह है कि हम चाहते है कि कोई भाई न उजड़े और हमेशा ही यही कोशिश रहती है कि सब बैठे रहें । जो आप की प्रापर्टी लाक-अप हो रही है वह कम से कम डेढ़ सौ करोड़ में से इस वक्त एक सौ करोड़ से ज्यादा की ही है बल्कि ११० करोड़ रुपये की ही प्रापर्टी लाक-अप हो रही है । और यह जो आदमी पांच हजार से दस हजार की कैटेगरी में आते हैं दुकानें शामिल करके, वे सिर्फ १२ या १३ परसेंट हैं । ८० परसेंट तो पहले ही हैं और अगर हम यह लिमिट मुकर्रर करते हैं, तो १३ परसेंट और मिला कर ९३ परसेंट हमारी प्रापर्टी इम्माबलाइज़ हो जाती है । हमारे श्री दीवान चन्द शर्मा साहब ने इसी बात पर इक्तफा नहीं की बल्कि उन्होंने कह दिया कि जहां जहां कोई रेफयूजी बैठा है, उसको वहां से हटाया न जाय । बात अच्छी है और पते की है और कोई बात इस से अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन करूं क्या ? प्रापर्टीज ऐसी भी हैं, जो एक लाख, दो लाख, चार लाख तक की हैं---बड़ी बड़ी मालियत की हैं । उनकी कीमत लगाने वाला भी मैं खुद या मेरे अफसर और एलाट करने वाला भी मैं या मेरे अफसर । मैं खुद अपनी कमज़ोरियों से डरता हूं । और फिर यहां पर इंजीनियर्ज़ के मुतालिक बड़े जोर से कहा गया कि उन में ईमानदार कितने हैं । इन हालात में इस एवान के मेम्बर साहबान की इस ख्वाहिश को मद्दे-नजर रख कर कि दस हजार की दुकानें और मकान आक्शन न किए जायें, मैं गवर्नमेंट की तरफ से यह एलान करता हूं कि हम इन दुकानों और मकानों का आक्शन नहीं करेंगे, हम हाउस की इस ख्वाहिश को स्वीकार करते हैं । जहां तक पांच हजार के मकानों का ताल्लुक है, उनके मुताल्लिक तो हमने पहले ही फैसला किया हुआ है कि हम एक किस्त आज लेंगे अर बाकी बाद-अज़ां । लेकिन जो बड़े मकान हैं, उनके मुताल्लिक हम ने यह फैसला किया है कि चाहे वे मकान हों या दुकान, एक तिहाई हम इस वक्त ले लेंगे और दो तिहाई इन्स्टालमेंट्स में वसूल कर लेंगे । पहले ख्याल तो यह था कि अगर हम ने अलिफ से लेकर बे को कम्पेन्सेशन देना है और अगर एक आदमी दस हजार की दुकान या मकान लेना चाहता है, तो कोई वजह नजर नहीं आती कि वह उसका रुपया एक दम क्यों न अदा करे, लेकिन यह समझते हुए कि इस तरह रेफयूजी के ऊपर बोझ पड़ जायेगा हम ने यह मुनासिब समझा, साहिबेसदर, कि हम उस से एक तिहाई कीमत, जो हमारी रिजर्व प्राइस होगी, लेंगे और जो बकाया है, वह उस से बाद-अज़ां वसूल की जायगी । यह इस लिए किया गया है कि रेफ्यूजी बेचारा उस दुकान में रहकर कारोबार कर सके ।

४ म० प०.

तीसरा सवाल हमारे सामने बहुत बेसिक हैं । मैं ने कहा है कि गवर्नमेंट यह चाहती है, उसकी यह ख्वाहिश है, उस ने यह फैसला किया हुआ है कि जो छोटे क्लेमेंट्स हैं, उनको ज्यादा मिले । आज मैं पूजनीय टंडन जी

की तकरीर सुन रहा था, तो मैं सोच रहा था कि यह मिनिस्ट्री कितनी खुशकिस्मत है एक लिहाज से और कितनी बदकिस्मत है दूसरे लिहाज से कि आज टंडन जी उन लोगों की खातिर अपील कर रहे थे, जो बेचारे बहुत दुखी हैं, कि अगर कुछ हो सकता है तो वह उनके लिए किया जाय। मैं उन के अलफाज की बहुत कद्र करता हूं, लेकिन एक बात मैं उनके सामने रखना चाहता हूं ताकि उनको असली फैक्ट्स मालूम हो जायें और वह बात यह है कि हम ने स्माल क्लेमेंट्स के लिए क्या किया है आज तक ? साहिबे सदर, यह जो पूल है, वह १०० करोड़ रुपये का है और गवर्नमेंट का जो कान्ट्रीब्यूशन है, वह ८५ करोड़ है। अगर हम ५०० करोड़ की वह जायदाद लें, जो हम पाकिस्तान में छोड़कर आए हैं और १०० करोड़ रुपये का इक्वैकुई पूल लें, तो २० परसेंट बन जाता है **प्रो-रेटा**, जो हर रेफ्यूजी लेने का हकदार है। पंजाब और पैप्सू की मिसाल देना बेफायदा है और किसी हद तक वह दुरुस्त भी नहीं है। पंजाब और पैप्सू में हमारे पास ६० फीसदी के करीब ज़मीन थी। गवर्नमेंट ने पंजाब या पैप्सू की स्कीम में कोई कान्ट्रीब्यूशन आज तक नहीं दिया है। हमारे पास जो जमीन हिन्दुस्तान में रह गई है एवज उसके कि जो हम पाकिस्तान में छोड़ आए हैं ६० परसेंट एसेट्स हमारे पास ऐवेलेबल थे। उस ६० परसेंट को हम ज्यादा से ज्यादा ७५ परसेंट तक ले गए हैं। जहां एक भाई, जो कि छोटे क्लेम वाला और गरीब था, ६० फीसदी का हकदार था, वहां हम ने १५ फीसदी और दिया और नीचे आते आते हम ने कट लगाया, लेकिन जहां तक अर्बन प्रापर्टी का ताल्लुक है, उसमें आप के पास १०० करोड़ रुपया है और ५०० का आपका क्लेम है। गवर्नमेंट ने यह फैसला किया--और इस फैसले में इस मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हाथ है---कि गवर्नमेंट का जो कान्ट्रीब्यूशन है, वह अमीर की तरफ नहीं जायगा, वह हम गरीब को देंगे, जो कि छोटा है, बेकस है। अगर आप काम्पेन्सेशन रूल्ज की तरफ नजर दौड़ाएं, तो आप को यह जाहिर होगा कि जहां तक रीहैबिलिटेशन ग्रान्ट का ताल्लुक है, वह ४५,००० के बाद खत्म हो जाती है। अगर किसी आदमी का क्लेम या उस की जायदाद पाकिस्तान में सिर्फ ५०० रु० थी, तो वह हिन्दुस्तान में १०० रुपया **प्रो-रेटा** लेने का हकदार था। हमने क्या किया ? हम ने उस १०० रुपये में से २३३ रुपये और मिलाए और उसको ३३३ रुपए कर दिया। जहां आप यह देखते हैं कि उसको ५०० के बजाए ३३३ रुपए मिले, वहां आपको यह भी गौर करना होगा कि वह लेने का हकदार सिर्फ १०० रुपए का था और २३३ रुपए का जो कान्ट्रीब्यूशन हुआ है, वह गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। हम एक कदम और आगे बढ़े हैं। जहां हर एक रेफ्यूजी २० परसेंट लेने का हकदार था..

श्री पी० एन० राजभोज : हकदार नहीं है, दिया जाता है आपकी तरफ से।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं अपने पूल के मुताबिक कह रहा हूं, **प्रो-रेटा** शेयर के मुताबिक कह रहा हूं कि अगर **प्रो-रेटा** डिस्ट्रिब्यूशन होता, तो २० परसेंट से ज्यादा लेने का हकदार नहीं था। मैं तो शुरू में कह चुका हूं कि ४०० करोड़ रुपए की जायदाद पाकिस्तान में पड़ी है, जिसके लिए आपने मुझे आशीर्वाद भी दिया और मुबारिकबाद भी, लेकिन मैंने कहा कि मैं उनको लाने की कोशिश करूंगा। मैं कह रहा हूं कि हम एक कदम आगे बढ़े और वह इस

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

तरह कि जहां बड़े आदमी को २० परसेंट मिलना चाहिए था, हम ने दो बातें कीं---उसके ऊपर हम ने कट लगाया--२०, १९, १८, १७, १६ और फिर ११ तक पहुंचाया, १८ लाख तक। और यह जो ९ परसेंट बचा या आठ परसेंट बचा वह भी हमने जो छोटे और ग़रीब भाई थे उनके लिये दे दिया। बल्कि हम एक क़दम और आगे बढ़े। हमारे पास बड़ी बड़ी भारी तादाद के क्लेम हैं। आज बड़े बड़े खानदानों की बड़ी बदक़िस्मती है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। आप जानते हैं कि बीसियों भाई जो हिन्दुस्तान में आये हैं उनके बहुत बड़े बड़े क्लेम थे। हमने यह कह दिया है कि १८ लाख से ऊपर जितने भी क्लेम हैं, चाहे वे ५० लाख हों या एक करोड़ के हों हम उनकी तरफ़ से आख बन्द किये लेते हैं। किसी ने कहा कि तुम डाका मारते हो। इसका मैं क्या जवाब दूं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन हमने एक सीलिंग मुक़र्रर कर दी। उस सीलिंग से जो कुछ बचा है वह भी हमने जो छोटे और ग़रीब भाई हैं उनकी तरफ डाईवर्ट कर दिया और उनके क्लेम्स को स्टेप अप किया। कहा जाता है कि दो हज़ार तक पूरा होना चाहिये, पांच हज़ार तक पूरा होना चाहिये। ठीक है, यह अच्छी बात है। लेकन ज़रा यह सोचना पड़ेगा कि जिन चार लाख ५० हज़ार भाइयों को आपने पंजाब और पेप्सू में, जहां आपके पास ६० परसेंट असेट्स थे, वहां मैक्सिमम ७५ पर सेंट दिया। तो अगर आज आप किसी भाई को, जिसका क्लेम दो हज़ार या पांच हज़ार का है, सौ फीसदी देना चाहते हैं, तो सोचिये कि उसके माली इम्प्लीकेशन्स क्या होंगे और हम किस मुंह से कह सकेंगे कि वह जो साढ़े चार लाख भाई हैं, जिनको हमने ६० या ६५ या ७० पर सेंट दिया है उनको हम पूरा नहीं दे सकते। तो हमें रिफ्यूजी और रिफ्यूजी के बीच में इन्साफ़ करना है। ख्वाहिश तो हमारी भी यही है कि ज्यादा दिया जाय, जो दुखी हो उसकी ख़िदमत की जाय। लेकिन आप सोचिये कि जो स्कीम हमने आज से पांच बरस पहले बनायी थीं और जिसके मातहत लोगों को एलाटमेंट किये थे, उस स्कीम पर इसका क्या असर पड़ेगा और इस के क्या फाइनेन्शल इम्प्लीकेशन्स होंगे। मैं तो इस वक्त इसके मुताल्लिक़ कोई ख़ास राय नहीं देना चाहता लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो मौजदा पोजीशन है, जो मौजूदा हालात हैं, उनका जायज़ा लेते हुये इस स्केल को स्टेप अप करना हमारे लिये मुश्किल नज़र आता है, बल्कि में तो कहूंगा कि मौजदा हालात में ऐसा करना नामुमकिन नज़र आता है।

अब सवाल एक और पैदा होता है। वह यह है कि ७० करोड़ की प्रापर्टी लाक-अप हो गयी है। उसकी वसूली तो किसी भाई से पांच बरस में होगी किसी भाई से तीन बरस में होगी। तो जो क्लेमेंट हैं उन को क्या जवाब दिया जाय? कोई कोई भाई तो यह कहते हैं कि अगर आज आपके पास अर्ज़ी आवे तो ६ महीने के अन्दर या तीन महीने के अन्दर उनको कैम्पेन्सेशन मिल जाना चाहिये। तो यह कम्पेन्सेशन तो तब मिल सकता है कि जो लोग इस ६० या ७० करोड़ की जायदाद के मालिक बनना चाहते हैं या तो उनसे एक मुश्त वसूल कर लिया जाय या पांच बरस में और तीन बरस में वसूल किया जाय और उस वसूली के साथ

कम्पेन्सेशन को कोरिलेट करें । अगर तीन बरस में मिले तो तीन बरस में कम्पेन्सेशन दें और अगर चार बरस में वसूल हो तो चार बरस में दें । मैं जानता हूं कि इससे बहुत ज्यादा तकलीफ पैदा होगी । इसका कुछ न कुछ तदारुक ज़रूर करना होगा । तो साहबे सदर मैं आपकी वसातत से तमाम रिफ्यूजी भाइयों से यह अपील करना चाहता हूं कि जो आज दस हज़ार तक के मकान या दुकान के मालिक बनना चाहते हैं जब तक वह क़र्ज़ अदा नहीं करते उस वक्त तक उनके ग़रीब भाई को उसका पैसा नहीं मिल सकता । जहां वह भाई चाहता है कि वह आबाद हो, वहां उसका यह भी फ़र्ज़ हो जाता है कि वह अदायगी में कोताही न करे ताकि उसका दूसरा भाई ग़ैरआबाद न रहे । यही था जो कि जवाहरलाल जी ने श्रीमती कृपालानी को लिखा था । मैं अपनी तरफ़ से आपको तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि जवाहरलाल जी ने, पंत जी ने, मौलाना आज़ाद ने इस मिनिस्ट्री का हाथ पकड़ा है और इजाज़त दी है कि देहाती क्लेमों को पूरा कर दिया जाय, वे छोटे क्लेम जो नामंजूर हुये हैं, और जो कि ७० या ८० हज़ार हैं उनको एक्स ग्रेशिया ग्रांट दो, जिन भाइयों की अर्ज़ी नहीं मंगाई थी उनकी अर्ज़ियां मंगा लो । जो केसेज़ एक्सपार्टी हो गये हैं उनको रिओपिन करो । मैं निराश नहीं हूं । जहां तक रिहैबिलिटेशन का ताल्लुक़ है, जहां तक शरणार्थियों को बसाने का ताल्लुक़ है, मुझे अपनी याद में कोई ऐसा दिन नहीं आया कि मैं ने उनके सामने मांग की हो और उन्होंने हमारी मांग पूरी न की हो । मुझे आशा है कि मैं उनसे अपनी मांग पूरी करवा सकूंगा । लेकिन अगर आप मेरे हाथ मज़बूत नहीं करेंगे तो मेरा केस कमज़ोर हो जायगा । इसलिये अगर किसी रिफ्यूजी को आज मकान का या दुकान का मालिक बनना है तो उसको सोच लेना चाहिये कि उसको उसकी क़ीमत देनी पड़ेगी । कल को अगर वह मुझे दोबारा रोशनी दिखाना चाहे तो मैं इस मामले में अंधेरे में ही रहना पसन्द करूंगा, इस रोशनी को देखना पसन्द नहीं करूंगा कि अदायगी मियाद बढ़ा दी जाये, यह चीज़ नहीं हो सकती । मैं उम्मीद करता हूं कि ऐवान मेरा साथ देगा और उन भाइयों का फ़र्ज़ है जो कि हिन्दुस्तान में जायदाद के मालिक बनना चाहते हैं कि वह हमारी अपने ग़रीब भाइयों को क्लेम दिलाने में मदद करें । आपको दोनों रुख देखना पड़ेगा ।

मैं ने काफ़ी वक्त ले लिया, साहिबे-सदर, लेकिन अगर आप मुझे दस पांच मिनट और दे दें तो बहुत सी चीज़ें जो कि अमेंडमेंट्स में आने वाली हैं उनका भी फैसला हो जाय ।

श्री पी० एन० राजभोज : अब ज़मीन के सिलसिले में भी कुछ साफ़ होना चाहिये ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : एक और सवाल उठाया गया कि आप कब तक कम्पेन्सेशन दे देंगे । इस मामले में इकरार करना तो मुश्किल है । लेकिन आज सुबह इस ऐवान में आने से पहले मैं ने अपने कलीग्स से जिन पर मैं लीन करता हू, इस बारे में बातचीत की थी । मैं ने उनसे कहा कि अगर आज में कोई बात कह दूंगा तो कल मेरी अच्छाई की तरफ़ तो जान वाल बहुत कम होंगे, मेरी कमज़ोरी की तरफ़ बहुत इशारा होगा । तो मैंने पूछा कि क्या करना होगा, कैसे कम्पेन्सेशन पे होगा, कितना पे होगा । तो मैंने अपने अन्दाजे के मुताबिक़ एक एस्टीमेट लगाया है । कोशिश करूंगा कि उसको तक़मील तक पहुंचाऊं । इस साल के अभी दो तीन महीने बाक़ी हैं । हम यह कोशिश करेंगे कि इस साल के अन्दर एक लाख क्लेमेंट्स के क्लेम दे दें । आयन्दा दो सालों में हम कोशिश करेंगे कि हर साल में एक लाख भाइयों को और क्लेम दे दिया जाय ।

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

अब इसमें रिअलाइजेशन की तरफ़ से दूसरी भी डिफ़ीकल्टीज़ आयेंगी । लेकिन जो भाई छोटे हैं और ग़रीब हैं, गोकि उनकी तादाद दो तीन लाख से ज्यादा है, उनके केसेज़ में प्रायरिटी पैदा करना मुश्किल है । बहुत से भाई कहते हैं कि यह आदमी दुखी है, यह बूढ़ा है, यह टी० बी० का मरीज़ है यह आदमी ७० बरस से ज्यादा है । आप चाहते हैं कि शुरू में ही उनको दे दिया जाय । आप चाहते हैं कि पहले उनको दे दें । अब तीन, चार लाख केसेज़ में अगर दो टी० बी० के केस हैं तो मेरे लिये एक कैटगरी बन जायेगा, ७० वर्ष का अगर कोई आदमी है तो एक और कैटेगरी बन जायगा, और अगर उनमें कोई बेवा है तो वह एक अलग कैटेगरी बन जायेगा, इस तरह से कुछ को दे दूं और दूसरों को नहीं दूं, यह तो मैं कर नहीं सकता यह तो नामुमकिन चीज़ है । बावजूद इन तक़लीफ़ात के मैं यह कोशिश करूंगा कि जो छोटे क्लेमेंट्स हैं उनको बड़ी जल्दी क्लेम मिलें । अब अगर कोई बहन दुखी है, कोई आदमी टी० बी० में मुब्तिला है और कोई आदमी बूढ़ा है तो उनकी एक अलग कैटेगरी तसलीम न करते हुये, ऐज ए हार्ड केस, अगर कोई चीज़ मेरे सामने आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको कम्पेन्सेशन जल्दी मिल जाय, लेकिन मेरे लिये यह इक़रार करना कि उन तमाम केसेज को सार्ट आऊट करके और स्पेशल कैटेगरीज़ बना कर उन केसेज़ को ट्रीट करूं, यह मुश्किल है । आखिर बाज़ू तो मेरे तो ही हैं और जो मुझे दो लाख आदमियों को दो वर्ष में छानबीन करके क्लेम देना है, उसको साल दो साल के अन्दर अन्दर पूरा करना है, स्टाफ़ तो जितना मेरे पास है उतना ही है . . .

लाला अचिन्त राम : इस काम के लिये स्टाफ़ बढ़ाइये ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : अचिन्त राम जी को बड़ा विश्वास है और कई बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, लाला जी अगर मुझ से लड़ते भी हैं तो बड़े प्यार और मुहब्बत से झगड़ते हैं और मुझे भी उनके साथ बहुत प्यार ह और मैं उनकी इज्जत भी करता हूं । मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि लाला जी जितना भी मुझ से हो सकेगा, मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करने का इक़रार करता हूं, अपने बोनाफ़ाइड्स का आपको यक़ीन दिलाता हूं और अपने अफ़सरान के बोनाफाइड्स का भी यक़ीन आपको दिलाना चाहता हूं, इससे ज्यादा मैं और कुछ इस मौके पर नहीं कह सकता ।

अब छोटी छोटी चीजें जो रह गयी थीं उनका कुछ ज़िक्र कर दूं । मेरे सामने जो भाई बैठे हुये हैं उन्होंने पूछा था कि भाई तुम्हारा बेसिस आफ़ वैल्यूएशन क्या है ? आप बहुत ज्यादा क़ीमत लगा रहे हैं । मैं उनसे अर्ज करूंगा कि राजऋषि जी आपका एसा फरमाना दुरुस्त नहीं है । हमारे क़ीमत लगाने के लिये तीन फ़ैक्टर्स हैं । एक तो ज़मीन है, दूसरा डेवलपमेंट है और तीसरा कास्ट आफ़ सुपर सट्रक्चर है यानी मकान है । मकान को तो हम जो कास्ट प्राइस है, वह ले रहे हैं । अब उसके मुताल्लिक़ यह शिकायत की गई है कि उसमें इंजीनियर साहब खा गये और ठेकेदार लोग खा गये, इसका जवाब देना तो मेरे लिये बहुत मुश्किल है । मेरे पास तो काम करने के लिये वही एक एजन्सी है जो आपने हिन्दुस्तान में मुझे दी है। मुझ तो यहां हिन्दुस्तान में आये सात, आठ वर्ष हो गये हैं, मैं बहुत ज्यादा वाक़फ़ियत नहीं रखता, अलबत्ता आपन मुझे काम करने के

लिये जो टूल्स दिये हैं, जो आपने मुझे चीजें दीं हैं, उन्हीं को लेकर में वर्क कर रहा हूं और मुझे उनसे कोई खास तक़लीफ़ नहीं हुई है। मेरी जो जायदाद बनी है, दूर बनी है मुमकिन है कि उसके देने में कुछ तक़लीफ़ हो लेकिन जो जायदादें हमारी शहरों में बनी हैं और आज आपने खुद देखा है कि जब हम उनकी नीलामी करते है तो बावजूद काफी अपोज़ीशन के क़ीमत उन जायदादों की कम नहीं आती। बाक़ी यह कहना कि एक सेक्शन आफ़ दी पापुलेशन में आनेस्टी का स्टेण्डर्ड तो हाई है और दूसरे में कम है, ऐसा हो भी सकता है और इससे इन्सान इंकार भी कर सकता है। हमारे सामने जो चीज़ है उसकी हमने कास्ट प्राइस ली है, जो इमारत हमने बनाई है उस पर जो कास्ट प्राइस आई है, वही हमने ली है, साथ ही हमने जो उस पर डेवलेपमेंट चार्जेज़ आये हैं जिसमें सड़क बनाना और उसको हमवार करना शामिल है, अंडरग्राउंड ड्रेन्स बनाना भी शामिल है, उसकी भी कास्ट प्राइस लेंगे। अब तीसरा लैंड का सवाल है जो कि पेचीदा नहीं है और समझ में आ जायगा। उसके बाबत जो चीज़ आपके सामने पेश की जाती है, उसमें तसवीर का एक ही पहलू रक्खा जाता है, उसका दूसरा पहलू नहीं आता। अब लैंड जो हमने खरीदा था, वह दो क़िस्म का है। एक तो वह लैंड था जिसको कि नज़ूल लैंड कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट का था और जो कि रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री को मुफ्त में मिल गया। एक जमीन वह है जो हमने ऐक्वायर की है, जैसे दिल्ली और कलकत्ता में हमन ऐक्वायर की है। श्री हीरेन मुकर्जी उसको ज्यादा जानते हैं। अब फ़र्ज कीजिये कि दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। सड़क के एक तरफ़ गवर्नमेंट की ज़मीन है और दूसरी तरफ एक कम्पनी की ज़मीन पड़ी है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, इसमें झगड़ा पड़ जायगा। एक ज़मीन सड़क के इस तरफ़ और दूसरी सड़क के दूसरी तरफ। अगर एक ज़मीन हमने ऐक्वायर की है और उसको हमने एक्स-ऐक्युईज़ीशन कास्ट दी है तो जो ज़मीन हमें गवर्नमेंट से मुफ्त मिली है तो यह कह देना कि एक रेफ्यूजी से आप ५ रुपया गज़ के हिसाब से ले लीजिये और दूसरे रेफ्यूजी को आप जमीन मुफ्त दे दीजिये। मेरे ख्याल में यह इंटर सी जस्टिस नहीं। है। उसमें गवर्नमेंट को नुक़सान तो है नहीं। जहां तक हमारे शाह साहब का ताल्लूक है, उन्हें जो कुछ देना था वह दे चुके लेकिन बाक़ी जो कुछ है वह तो आपकी ही चीज़ है और नज़ूल लैंड अगर आपको गवर्नमेंट से मुफ्त में मिल गया है, इसलिये उसकी क़ीमत नहीं होनी चाहिये, मेरे ख्याल में यह मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि ज़मीन फ्री होल्ड भी है और लीज़ होल्ड भी है और जहां तक लीज़ होल्ड ज़मीन का ताल्लुक है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। जितना झगड़ा पड़ता है वह देहली का पड़ता है और वह यह है कि देहली में रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री ने जो पहले एलाटमेंट्स की थीं, वह ९९ ईअर की लीज़ बेसिस पर की थीं। और उस ज़मीन का बड़ा भारी ग्राउन्ड रेन्ट है, जो दो सौ गज़ का प्लाट है, उसका ६५ से ७५ रुपये तक सालाना ग्राउन्ड रेंट है। हमसे यह कहा गया है कि साहब एक रेफ्यूजी के लिये ५, ७ रुपया माहवार देना बड़ा मुश्किल है। तमाम दुनिया में फ्री होल्ड प्रापर्टी है लीज़ का इमबार्गो हम पर से जल्द हटा दिया जाय। मैं ने मिन्नतें कीं और अपने एक कोलीग के आगे हाथ जोड़े जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने मेरी बात मानी। उन्होंने कह दिया कि तुम्हें अखितयार है कि तुम लीज़ होल्ड प्रापर्टी को फ्री होल्ड प्रापरटी में कनवर्ट कर लो। जहां दो सौ गज़ के प्लाट के लिये ७५ रुपये सालाना ग्राउन्ड रेंट था, वह

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

२०० गज के प्लाट के लिये सिर्फ़ २ रुपया सालाना नामिनल ग्राउन्ड रेंट होगा । किसी भाई ने कहा था कि ६ का २५ कर दिया, ६ का २५ तो शायद नहीं हुआ ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या मैं इस सम्बन्ध में एक सवाल पूछ सकता हूं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : अभी नहीं, अमेंडमेंट्स के वक्त पूछ लीजियेगा । अब आप सोचिये कि उसका ७५ रुपये सालाना ग्राउन्ड रेंट है और ९९ साल की लीज है, यह मिनिस्ट्री आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, वर्ष या दो वर्ष में खत्म हो जायगी.....

श्री कामत : कौन जाने ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : हम जानते हैं और वे रेफ्यूजीज जानते ह जिनके कि क्लेम सरकार के पास में पड़े हुये हैं, उनके साथ आपको वास्ता नहीं पड़ेगा, अगर वे आपके पास आयेंगे भी तब भी आप इधर मेरे पास भेज देंगे । मैं उनकी हालत को बखूबी जानता हूं, मैं ने ८ वर्ष उनके साथ गुजारे हैं, मैं खुद एक रेफ्यूजी हूं और उनकी मैं तकलीफ़ों को जरा ज्यादा जानता हूं । हमने ग्राउन्ड रेंट का कैप्टिलाइजेशन कर दिया है और जो उसका फ़ायदा है वह रेफ्यूजीज को आ रहा है । हमने बेसिस आफ़ एसेसमेंट आर वल्यूएशन में कोई ऐसी खास बात नहीं की जो कि ग़लत हो । बावजूद इस बेसिस आफ़ वैल्यूएशन के जहां लीज होल्ड बेसिस जमीन की क़ीमत ९ रुपया गज है उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं । जिसको कि हम पहले जमीन दे चुके हैं जब तक कि वह खुद न चाहे गो-कि हम इसमें कमिटेड हैं, हम उसकी क़ीमत नहीं बढ़ायेंगे । अगर वह अपनी लीज होल्ड प्रापर्टी को फ्री होल्ड में तबदील करना चाहे तो उस रेफ्यूजी को अख्तियार है कि वह ऐसा कर सके । लेकिन जहां मैं एक नई चीज बेच रहा हूं उसमें मेरे लिये यह रुकावट डाली जाय कि साहब आप उसको ६५ या ७५ वर्ष के लिये करें, क्योंकि मुमकिन है कि दो, चार वर्ष के बाद यह मिनिस्ट्री खत्म हो जाय और लेने वाले और खास कर दिल्ली वाले जहां झगड़ा जोरों से, बिला कैप्टिलाइजेशन यानी ज्यादा क़ीमत दिये मालिक बन जायें ।

श्री सी० के० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि किसी हालत में भी प्राफिट का खयाल नहीं होगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह सवाल आप ने पहली अपनी तक़रीर में तो किया नहीं । मैं अर्ज करता हूं कि मैं आप को जवाब दूंगा । अगर प्राफिटीयरिंग करत मिस्टर शाह और प्राफिटियरिंग करके यह रुपया उनके रेवेन्यूज में जाता तो मुझे तक़लीफ़ होती । अब इस कुंयें की मिट्टी इसी कुंए पर ही लगेगी, कहीं बाहर नहीं जायगी । यह मिनिस्टरी आज एक ग्रेसफुल मैनर में हाउसिंस की पांच हजार से दस हजार की लिमिट बढ़ा रही है, देहाती हाउसिस जो हाफ़ हुये थे फुल कर रही है, एक्स-ग्रेशिया ग्रान्ट दे रही है । मैं अर्ज करता हूं कि आप जरा थोड़ा सा विश्वास करें, आपको अपनी गवर्नमेंट है आप की अपनी पार्टी है । मैं यक़ीन दिलाना चाहता हूं कि हमारा प्राफिटियरिंग करने का इरादा नहीं है, हम ने प्राफिटियरिंग किस के लिय करना है, नायर साहब । रिफ्यूजीज के लिये हो तो करना है, रिफ्यूजीज को ही तो यह पैसा मिलेगा । अगर हिन्दुस्तान के नेशनल्ज को मेरे प्राफिटियरिंग करने से फायदा होता हो तो मुझे यक़ीन है कि आप भी इसे नहीं चाहेंगे । मुझे पता नहीं

कि नायर साहब उस उक्त यहां पर थे या नहीं जब श्री चटर्जी साहब की तक़रीर हो रही थी और उन्होंने उनकी तक़रीर सुनी है या नहीं उन्होंने जो बात कही उससे तो किसी को फायदा हो भी जाता लेकिन इसमें किसी दूसरे को फायदा होने वाला नहीं है।

दूसरा सवाल जो उठाया गया है वह यह है कि फ़्रंटियर से जो रिफ्यूजीज़ आये हैं वे मेरे प्रान्त से आये हैं और उन्हीं के बारे में मुझे यह समझाया जाता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिये। यह एक बड़ी अजीब चीज़ है। मैं बतलाना चाहता हूं कि फ्रंटियर के तीन हिस्से थे। एक हिस्सा तो वह था जिसे कि आप समझ लीजिये जैसे दिल्ली है। इसी तरह की वह जगह थी जिसको कि हम सैटल्ड एरिया कहते थे जिसमें पेशावर था, बन्नू था, कोहाट था जिसे कि शहरी आबादी कहते हैं। दूसरा एरिया जो था वह था ट्राइबल एरिया जिस को कि एजेंसीज भी कहते हैं और वह पांच थीं, चाहे उसको पाराचनार लिख दीजिये चाहे कुर्रम कह लीजिये। ऋषि जी बहुत दफ़ा पेशावर आये और मेरा ख्याल है वह इस चीज़ को जानते हैं। एक तीसरी जगह थी जिस का कि नाम नो-मैंज़ लैंड है जिसको कि गैर इलाक़ा कहा जाता है जिस का न ब्रिटिश टेरेटरी से ताल्लुक़ था, न हिन्दुस्तान से और न ही पाकिस्तान से। जहां तक वह हिस्सा जो कि पाकिस्तान में आया चाहे वह सैटल्ड एरिया था चाहे वह ट्राइबल एरिया था वहां के लोगों से हम ने क्लेम मांगे। उनमें से अगर कोई रह गया है तो जो रूल हमने बनाये हैं उन के मातहत हम उसके केस को एग्ज़ेमिन करने को तैयार हैं। अब जो इलाक़ा न तो पाकिस्तान में गया है और न उसका कभी ब्रिटिश हिन्दुस्तान से कोई ताल्लुक़ था जिसको नो मैंज़ लैंड कहा जाता है अगर आज उनसे क्लेम मांगे जायें तो मैं तो इसको मुनासिब बात नहीं समझता हूं.....

श्री नन्द लाल शर्मा : ये लोग आपकी नीति के कारण बेघरबार हुये हैं।

श्री मेहरचन्द खन्ना : ज़रा ठहरिये मुझे अपनी बात तो कर लेने दीजिये। मेरे भाई जहां से आये हैं और मैं जहां से आया हूं इसको हम दोनों ही जानते हैं। इस चीज़ को मैं भी भूला नहीं हूं। फ़र्क इतना है कि वह हिन्दी और संस्कृत में बोलते हैं और मैं उर्दू और अंग्रेजी में और यही वजह है कि शायद उनकी बात मेरी समझ में न आती हो। हम दोनों के बड़े पुराने सम्बन्ध हैं (**श्री देशपांडे द्वारा अन्तर्बाधा**) कोई बात नहीं है देशपांडे जी मुझे यक़ीन है आप भी एक दिन पैंतरा बदलोगे और इस तरफ़ आ जाओगे यह मैं जानता हूं।

एक माननीय सदस्य : एक सवाल पूछ सकता हूं.....

सभापति महोदय : अब नहीं। समय अधिक हो गया है। हमें संशोधनों पर भी विचार करना है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : क्या मैं भाषण समाप्त कर दूं?

सभापति महोदय हां मेरा यही अनुरोध है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : यदि आज्ञा हो तो दस मिनट में समाप्त कर लूं।

एक चीज़ और आप सोचिये। आप के सामने एमेंडमेंन्टस हैं और वह डिसकस भी होंगे, बाहर लोग उन के बारे में बातें भी करेंगे। वकालत जो चाहे कोई कर ले लेकिन एक बात याद रखिये और वह यह है कि आपका पाकिस्तान से मुआयदा हुआ है,

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

कुछ आप ने कस्टोडियन मुकर्रर किये हैं, कुछ आप ने इवैकुई प्रापर्टी डिकलेयर की है, कुछ आपने क्लेम्ज़ ऐक्ट बनाया है और कुछ आपने एप्लीकेशन्ज मांगी थीं। लेकिन आप सोचें कि एक ऐसी जगह जो पाकिस्तान के पास नहीं है, वह एक ऐसी जगह है जो कि पाकिस्तान के भी बाहर है और कभी ब्रिटिश हिन्दुस्तान में भी नहीं थी, उसके भी अगर आज क्लेम शामिल कर दिये गये, तादाद तो बहुत थोड़ी होगी, मिक़दार भी बहुत थोड़ी होगी, लेकिन जो आप का केस है पाकिस्तान के खिलाफ, वह खत्म हो जायगा क्योंकि यह क्लेम उस इलाक़े के बारे में होगा जो कि पाकिस्तान में नहीं है और इससे आप का जो केस है वह वीक हो जायगा क्योंकि वह हमारे परव्यू की चीज़ नहीं, हमारे आर-बिट में नहीं आती और उससे बाहर की चीज़ है, क़ानून के बाहर की चीज़ है। मैं यह समझ सकता हूं अगर शर्मा साहब यह कहते कि भाई यह गरीब आदमी है, दुखी आदमी है, वहां से आये हैं, इनके बारे में भी कुछ सोच लेना चाहिये .....

श्री नन्द लाल शर्मा : आपकी वजह से आये हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मेरी वजह से आये हैं या आप की वजह से मैं इस बहस में पड़ना नहीं चाहता लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि मैं तो कुछ देर से आया लेकिन आप बहुत पहले आ गये थे। खैर जाने दीजिये इस बात को।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं इंडियन गवर्नमेंट को कह रहा हूं आप को परसनली कुछ नहीं कह रहा हूं :

श्री मेहर चन्द खन्ना : परसनल कहा है। कल मेहर चन्द मर गये थे आज ज़िन्दा हो गये हैं, परसनल रिमार्क कौन सा होता है। आप ने बहुत दूरअंदेशी की लेकिन मैं बहुत देर के बाद समझा है। खैर अगर शर्मा साहब यह कहते कि वह गरीब आदमी हैं, दुखी हैं, शरणार्थी हैं, डिप्लेस्ड हैं, उनके लिये भी कुछ करो तो भी कोई बात बन जाती। लेकिन आप तो यह कहते हैं कि उन के क्लेम मंगाओ क्लेम एक्ट के नीचे उनको बेरिफाई करो, यह जो सब चीज़ है इसको मैं एक्सेप्ट करने के लिये तैयार नहीं हूं।

साहबेसदर एक चीज़ और है जिसका कि मैं आपकी इजाजत से ज़िक्र करना चाहता हूं और वह है सेपेरेशन आफ़ इवैक्वी इंट्रेस्ट्स के मुताल्लिक। इस के बारे में भी कुछ कहा गया है.....

श्री पी० एन० राजभोज : राजस्थान के लोग जो हरिजन हैं वे बहुत गरीब हैं उनका भी खयाल रखा जाना चाहिये। उनको जो एलाट किया गया है वह वापस नहीं लेना चाहिये।

श्री मेहरचन्द खन्ना : जो भी हो मेरा ताल्लुक़ रिफ्यूजीज़ से है। अगर कोई हरि-जन है और वह खरीदना चाहता है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा और मैं उसको ऐसा करने में पूरी सहूलियत देना चाहता हूं। हरिजन और गैर-हरिजन में मैं कोई इमत्याज नहीं करना चाहता हूं। मेरे लिये चाहे कोई राजस्थान का हरिजन हो, चाहे सिंध प्रान्त का हो, चाहे बम्बई का हो वे सब मेरी मिनिस्टरी पर एक चार्ज है और हमें उस चार्ज को फेथफुल्ली, आनेस्टली और कानशेंशली डिसचार्ज करना है।

श्री पी० एन० राजभोज : जिस के पास पैसा न हो वह क्या करे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जिस के पास पैसा नहीं है वह किराये के मकान में रहे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा दे अलिफ़ और मालिक बने बे तो यह जरा सोचने वाली बात होगी ।

श्री बाल्मीकि : मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों को बराबर के हक़ नहीं दिये जा रहे ह । अलवर, भरतपुर और राजपूताना में उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है, हम उन के केस को सिमपैथेटिकली कंसिडर करेंगे । जितनी खिदमत हमारी मिनिस्टरी उन की कर सकेगी वह की जायगी ।

श्री पी० एल० बारूपाल : कोई चार हजार शरणार्थी रजिस्टर नहीं हुये जिनकी कि लिस्ट मेरे पास है और मैं उनको यह लिस्ट दे भी सकता हूं । क्या उनको रजिस्टर करवा के सरकार सहायता देगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : हिन्दी तो मेरी इतनी शुद्ध नहीं है और जहां तक हो सकता था मैं ने अपनी उर्दू की स्पीच में हिन्दी के जितने भी वर्ड हो सकते थे इस्तेमाल करने की कोशिश की है । मैं ने यह कहा है कि जो भाई ३१ जुलाई १९५२ से पहले आये या उसके बाद आये, अगर उन के क्लेम एक्सपार्टी रिजेक्ट हो चुके हैं तो किन हालात में वह अपने क्लेम दे सकते हैं.....

श्री बाल्मीकि : जो पढ़े लिखे नहीं हैं और कुछ जानते भी नहीं हैं, उनका क्या होगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : उनकी आप मदद कीजिये । जो हमारे भाई यहां पर पढ़े लिखे हैं उनको उनकी मदद करनी चाहिये और हम हाथ पकड़ने को तैयार हैं । लेकिन जो असली चीज है उसको तो आप और हम ही करेंगे ।

मैं ने कहा था कि यह जो सवाल सेपेरेशन आफ़ इवैक्वी इंटरेस्ट्स का है यह एक बहुत इम्पार्टेंट सवाल है । इसके मुताल्लिक़ पोजीशन कुछ साफ़ भी है और कुछ उलझी हुई भी है । साफ़ तो यह है कि यह जो एक्ट पास हुआ, वह इसी मुअज्जिज एवान ने पास किया है । कोई बाहर से तो आया नहीं है । तीन चार मेम्बर्ज—लाला अचिन्त राम, राजर्षि टंडन जी और पण्डित ठाकुर दास भार्गव—कमेटी में भी थे । सुचेता कृपालानी जी भी थीं । इन सब ने मिल कर यह एक्ट पास किया था । जो एक्ट इस एवान ने पास किया है, वह मेरे विरसे में आया है। मैं यह मानता हूं कि उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि कुछ मालूम नहीं था कि क्या पोजीशन होगी । लेकिन उस एक्ट का जो असर पड़ रहा है, वह मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं । जैसा कि इस एक्ट के नाम से जाहिर है, हम ने उस जायदाद को अलाहिदा कर दिया है, जिसका ताल्लुक़ इवैकुई इन्ट्रेस्ट से है । उसकी तादाद एक लाख और दस पन्द्रह हजार होगी—इसके क़रीब क़रीब होगी । उसमें ३५,००० केसेज का हम फैसला कर चुके हैं । उसमें जिस भाई ने जो लेना था, वह ले चुका । ३५,००० केसेज ऐसे हैं, जिनमें एडजुडिकेशन हो चुका है, लेकिन अलैहदगी नहीं हुई है और ४०,००० या ५०,००० केसेज बक़ाया हैं । इस एक्ट में जो शर्त है, वह यह है । फ़र्ज कीजिये कि दीन मुहम्मद का मकान रहन था हमारे अचल सिंह साहब के पास—धनाढ्य हैं वह आगरा के । वह दीन मुहम्मद आठ बरस हुये पाकिस्तान चला गया । अब अचल सिंह साहब को जो भी रुपया दीन मुहम्मद से लेना था, वह पूरा रुपया—उसमें कोई सीलिंग नहीं है, न को छोटे आदमी का क्लेम है, उसमें कोई चीज

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

नहीं है---वह ले सकते हैं । इसके अलावा उनको मुकम्मल अख्तियार है कि आज तक, जब तक इनको हिसाब नहीं मिलता, वह पांच परसेंट तक सूद मांग सकते हैं । तीसरी बात यह है कि आम तौर पर दावा करने के लिये जो स्टैम्प-फ़ीस लगानी पड़ती है, वह भी उनको माफ़ है । कोई स्टैम्प-फ़ी नहीं लगेगी । चौथी बात यह है कि वह जो जायदाद है, उसकी जो सैपेरेशन है, वह हमारी मिनिस्टरी करेगी, हमारे अफ़सर साहबान उसका तदारक करेंगे और जब वह जायदाद अलाहिदा हो जायगी तो अचल सिंह साहब का जो पैसा पड़ा है, वह ले लेंगे और उसके बाद अगर कुछ बच जायगा, तो वह रेफ्यूजी पूल में आयगा । अब इस एक्ट के मातहत लोगों को काफ़ी रुपया मिला है---लाख भी मिला है, दो लाख भी मिला है और तीन लाख के भी केसेज हैं, हालांकि तीन लाख के केसेज एक दो ही हैं । यह तो एक पहलू है, जो कि मौजूद है, चाहे इसको कुछ भी कहें । हमारे चटर्जी साहब ने कहा कि यह सोशल जस्टिस नहीं है कि रेफ्यूजीज के लिये सीलिंग है और लोकल आदमियों के लिये नहीं है । लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है । फ़र्ज़ कीजिये कि एक आदमी था, हिन्दुस्तान का नैशनल था । उसने अलिफ़ को क़र्ज़ दिया नार्मल रुटीन में । वह क़र्ज़ा वसूल करता है और अगर अलिफ़ पाकिस्तान चला जाय तो कोई वजह नज़र नहीं आती कि उसको क्यों पीनलाइज़ किया जाय । इस बात में किसी हद तक वज़न है, लेकिन आज मिनिस्ट्री की तरफ़ से यह एलान करना बड़ा मुश्किल है कि हम आगे क्या करेंगे । हम इसको देखेंगे और सोचेंगे, क्योंकि मुमकिन है कि हमें "ए" और "बी" स्टेट्स के पास जाना पड़े और कहना पडे कि चूंकि यह एक सेंटल एक्ट है, इस लिये वे इस बारे में रेज़ोल्यूशन पास करें । यह भी मुमकिन है कि हमें आप के पास आना पड़े, क्योंकि जब तक वह एक्ट एमेंड न किया जाय, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है । यह कहना कि इवैकुई पूल में लाख सवा लाख की जायदाद सैपेरेट हो रही है, उसमें काफ़ी रुपया हिन्दुस्तान के नैशनल्ज़ को मिल रहा है, कोई कोर्ट-फीस नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज़ नहीं है, पहला हक़ उसका है और दूसरा हक़ रेफ्यूजी का है, दुरुस्त है, लेकिन इस बात को खोलना में मुनासिब नहीं समझता हूं ।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैंने राजेन्द्र नगर कालोनी के बारे में पूछा था, उसके विषय में कुछ नहीं कहा गया है ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । यह प्रश्नों का घंटा नहीं है ।

श्री के० के० बसू : माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कुछ आश्वासन दिये हैं, यदि वह उनका संक्षेप अंग्रेज़ी में दें सकें तो संभव है कि बहुत से संशोधन प्रस्तुत ही न किये यें

सभापति महोदय : जब भी उन्होंने कोई आश्वासन दिये हैं तो उन का अंग्रेज़ी में भाषान्तर भी दिया है । जिन मामलों के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ संशोधन स्वीकार किये हैं वह उस में बता दिये गये हैं ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : कुछ संशोधनों की सूचनायें दी गई हैं । यह ग्राम्य मकानों, प्रसादतः भुगतानों और आवंटनीयता सीमा के पांच सहस्र रुपये दस सहस्र रुपये कर दिये जाने के सम्बन्ध में हैं । इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया जायेगा ।

सभापति महोदय: मुझे एक घोषणा करनी है । सदस्यों द्वारा कल दिये गये

प्रस्तावों की सूची कल रात परिचालित कर दी गई थी। कुछ और प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जो माननीय सदस्य अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहें वह पन्द्रह मिनट के भीतर इसकी सूचना सचिव को दे दें। वह सभी प्रस्ताव आज रात को परिचालित कर दिये जायेंगे।

श्री मेहरचन्द खन्ना : क्या इन प्रस्तावों पर कल चर्चा होगी ?

सभापति महोदय : अभी इन को प्रस्तुत किया गया माना जा सकता है और इन पर चर्चा हो सकती है।

श्री गिडवानी : मेरा सुझाव है कि आप कोई कार्य प्रणाली निर्धारित कर दें।

सभापति महोदय : वह तो मैं ने कल निर्धारित कर दी थी। हम इन पर पृथक् पृथक् चर्चा नहीं कर सकते हैं, इतना समय नहीं है। केवल जिन प्रस्तावों पर आग्रह किया जायेगा उन्हीं के सम्बन्ध में भाषण देने की अनुमति दी जायेगी। सारा विषय इतना परस्पर गुंथा हुआ है कि किसी विषय को पृथक् करना कठिन है।

श्री वी० जी० देशपांडे : क्या हम सभी पर एक साथ बोलें या पृथक् पृथक प्रस्तावों पर ?

सभापति महोदय : एक सदस्य को एक बार ही बोलने का अवसर मिलेगा। वह अपने तथा अन्य सदस्यों के प्रस्तावों पर बोल सकता है।

श्री वी० जी० देशपांडे : जिन सदस्यों को सामान्य चर्चा के समय बोलने का अवसर नहीं मिला था उन को अब बोलने का अवसर दिया जाये।

सभापति महोदय : इसका सदैव ध्यान रखा जाता है।

श्री गिडवानी : मैं ने दो तरमीमें पेश की हैं जो कि रूल नम्बर ७ के सम्बन्ध में हैं। उनका सम्बन्ध पब्लिक ड्यूज से है।

श्री मेहरचन्द खन्ना : प्रस्ताव की संख्या क्या है ?

श्री गिडवानी : संख्या १८४ और १८५ है।

तो मैं इस वक्त स्माल अरबन लोन्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस पर मैंने अमेंडमेंट दिया है। इन कर्जों के बारे में यह देखा जाता है कि अगर कोई किसी का श्योरिटी हुआ था या उसने उसकी शनाख्त की थी तो उससे वह कर्जा वसूल किया जाता है। आपको मालूम है, मैं खास तौर से खन्ना साहब का ध्यान इस तरफ़ दिलाना चाहता हूं, कि शुरू में हमने छोटे कर्जे देने की रस्म शुरू की तो एक रिफ्यूजी दूसरे का श्योरिटी बनाया गया लेकिन यह जाहिर बात थी कि जो श्योरिटी इस तरह से बनता था उसकी कोई कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं थी। मुझे मालूम है कि एडवाइजरी बोर्ड ने यह साफ़ ऐलान किया था कि अगर कोई किसी छोटे कर्ज़े लेने वाले का श्योरिटी बनता है तो उसकी उस कर्जे की अदायगी के मुताल्लिक कोई ज़िम्मेदारी नहीं है।

प्रस्ताव संख्या १८४ और १८५ के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है। मैं इसमें से दो बातें उड़ाना चाहता हूं। एक तो यह कि जो कर्जा लेता है उसी के कम्पेन्सेशन से वह कर्जा वसूल किया जाय। और दूसरे यह कि जो रुपया बेवाओं को और उन लोगों को जो कि इनफरमरीज़ में थे दिया गया था वह वापस न लिया जाय। वह रुपया उनके कम्पेन्सेशन से न काटा जाय। इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ़ आपको एक मद्रास के कलेक्टर साहब की मिसाल देना चाहता हूं। एक बेवा का

[श्री गिडवानी]

१५०० रुपये का कम्पेन्सेशन था। उसका क्लेम तो तीन हज़ार का था लेकिन उसको कम्पेन्सेशन १५०० रुपया मिला था। कलेक्टर साहब ने उसमें से १४७४ रुपये काट लिये और बाक़ी रुपये उसको भेजे। उसने उनको लेने से इन्कार कर दिया।

मैं इस सिलसिले में यह कह देना चाहता हूं कि यह रुपया तो हम बतौर डोल देते हैं। इसको क्यों काटा जाना चाहिये ?

अगर ऐसा किया गया तो यह बड़ी बेइन्साफ़ी होगी। जैसा कि मैंने ऊपर बतलाया है १५०० के कम्पेन्सेसन में से १४७४ रुपया काट लिया गया। ऐसा करना बेइन्साफ़ी है। जब कि यह रुपया बतौर क़र्ज नहीं दिया गया था।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ गांवों में कई कई आदमियों के ग्रुप को कर्जा दिया गया है। इन पांच में से चार नान क्लेमेंट हैं और एक क्लेमेंट है। अब ऐसा होने लगा है कि जो नान क्लेमेंट्स का लोन है वह भी उस एक क्लेमेंट के कम्पेन्सेशन से काट लिया जाता है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

राज्य-सभा से सन्देश

सचिव : श्रीमान्, मुझे यह सूचना देनी है कि राज्य-सभा ने १२ सितम्बर, १९५५ को हुई अपनी बैठक में संलग्न प्रस्ताव को पारित किया है जो अन्तर्राज्यीय जल विवाद विधेयक, १९५५ को सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में है और मुझे यह प्रार्थना करनी है कि उक्त प्रस्ताव में लोक-सभा की सहमति और उक्त प्रवर समिति में नियुक्त किये जाने वाले लोक-सभा के सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित किये जायें।

प्रस्ताव

"कि अन्तर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल सम्बन्धी विवादों के न्याय निर्णयन की व्यवस्था करने वाले विधेयक को सदनों के ४५ सदस्यों से बनी एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें १५ सदस्य इस सभा के हों, अर्थात् , श्री जी० रंगा, श्री एम० गोविन्द रेड्डी, श्री एस० वेंकटरामन, श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री एच० पी० सक्सेना, श्री कृष्णकान्त व्यास, श्री मज़हर इमाम, श्री एम० एच० एस० निहाल सिंह, श्री जगन्नाथ दास, श्री विजय सिंह, श्री एन० डी० एम० प्रसाद राव, श्री सुरेन्द्र महन्ती, श्री एस० एन० द्विवेदी, श्री एन० आर० मलकानी, श्री जय सुख लाल हाथी और ३० सदस्य लोक-सभा के हों।

कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी।

कि अन्य प्रकरणों में प्रवर समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो सभापति बनायें ;

कि यह सभा लोक-सभा से सिफारिश करती है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।

कि समिति इस सभा को २१ नवम्बर, १९५५ तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।"

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।